शुक्रवार,
२० फरवरी, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

शुक्रवार, २० फरवरी, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद परआसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पाकिस्तान पुलिस द्वारा ले जाई गई मछुआइनें

*२००. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या-**प्रधान मन्त्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि ३० दिसम्बर सन् १९५२ को पश्चिमी बंगाल के सीमावर्त्ती नादिया जिले से पाकिस्तान पुलिस १५ मछुआइनों को बलपूर्वक पकड़ कर ले गई थी ;

(ख) यदि उक्त समाचार सत्य है तो क्या यह स्त्रियां लौटा दी गई हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) २९ दिसम्बर सन् १९५२ को ग्राम नोनगंज, पुलिस स्टेशन कृष्णगंज, जिला नादिया की बूनो जाति की १९ स्त्रियां उक्त पुलिस थाने की सीमा के अन्तर्गत एक खेत से ईंधन और चने के पौधे बटोरने गई थीं। लौटते समय यह स्त्रियां अपने घरों के निकट पहुंची ही थीं कि पाकिस्तान पुलिस ने भारतीय सीमा में अनधिकार प्रवेश करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पाकिस्तान

ले गय। एक स्त्री किसी प्रकार भाग निकली और दो को बाद में छोड़ दिया गया।

(ख) प्राप्त सम्वाद के अनुसार नादिया के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कुस्तिया (पूर्वी बंगाल) के जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष विरोध प्रकट करने पर इन स्त्रियों को रिहा कर दिया गया।

डा० राम सुभग सिंह : इन स्त्रियों को कितने दिनों बाद रिहा किया गया था ?

श्री अनिल के० चन्दा : मेरे पास अभी इसकी सूचना नहीं है।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी कि इस बात की जांच की जाय कि पाकिस्तान सरकार ने कितने दिनों बाद इन स्त्रियों को रिहा किया ?

श्री अनिल के० चन्दा : हम अवश्य इसकी जांच करेंगे।

सरदार हुक्म सिंह : इन स्त्रियों को गिरफ्तार करने और पाकिस्तान ले जाने के लिए क्या पाकिस्तान सरकार ने कोई बहाना बताया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : अनुमान है कि ईंधन बटोर कर वापस आते समय इन स्त्रियों ने अनधिकृत रूप से पाकिस्तान में प्रवेश किया होगा।

सरदार हुक्म सिंह : उक्त उत्तर पर आधारित मेरा यह निष्कर्ष है कि पाकिस्तान

पुलिस अनियमित रूप से हमारी सीमा में घुस आई थी।

श्री अनिल के० चन्दा: यह प्रतीत होता है कि पाकिस्तान पुलिस ने इन स्त्रियों को हमारी सीमा के भीतर गिरफ्तार किया था। यह भी सही प्रतीत होता है कि इन भारतीय स्त्रियों ने पाकिस्तानी क्षेत्र में अनुचित पदार्पण किया था।

श्री टी० के० चौधरी: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान सरकार से इस सम्बन्ध में कोई शासकीय सूचना प्राप्त हुई है?

माननीय मन्त्री महोदय ने उत्तर में 'अनुमान' शब्द का प्रयोग किया है। क्या इस विषय में केवल अनुमान से ही काम लिया गया है अथवा उस ओर से निश्चित समाचार प्राप्त हुए हैं?

श्री अनिल के० चन्दा: हमारी जानकारी के अनुसार जिस स्थान पर यह स्त्रियां चली गई थीं वह पाकिस्तान के अन्तर्गत है।

श्री ए० सी० गुहा: क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि इस प्रकार धृष्टतापूर्वक हमारे राज्य की सीमा में प्रवेश कर व्यक्तियों को गिरफ्तार कर ले जाने के मामलों में मुआवजा वसूल किया जाय?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): जो समाचार हमें प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार माननीय सदस्यों को यह बात स्पष्ट हो जायगी कि सम्भवतः यह स्त्रियां अनजाने ही पाकिस्तानी सीमा के भीतर चली गई थीं। इस स्थान पर कोई सीमा रेखा न होने से सहज ही कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। नियम विरुद्ध गिरफ्तारियों के लिये असंदिग्ध रूप से मुआवजे के लिये दावा किया जा सकता है। वर्तमान घटना में पाकिस्तान पुलिस के हमारी सीमा में घुसने के अतिरिक्त कोई क्षति नहीं हुई। दोनों जिलों के मजिस्ट्रेट मिले, उन्होंने मामले को तय कर दिया और शीघ्र ही यह स्त्रियां रिहा कर दी गईं। इन छोटे छोटे मामलों को आगे बढ़ाना कठिन है।

श्री ए० सी० गुहा: पर्याप्त संख्या में भारतीय स्त्रियां पाकिस्तान ले जाकर रोकी गईं। सरकार यह बताने में असमर्थ है कि इन स्त्रियों को वहां कितने दिन तक रख गया। इन स्त्रियों से सम्बन्धित परिवारों को अवश्य ही आर्थिक हानि हुई होगी। अतः हानि पूर्ति होना आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य तर्क कर रहे हैं।

श्री गाडगिल: इन घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कायवाही की है अथवा करने का विचार कर रही है?

श्री जवाहरलाल नेहरू: इस दिशा में अवश्य कदम उठाये जायेंगे किन्तु राज्य की विस्तृत सीमा पर जहां कोई रेखा निर्देशित नहीं है तथा जहां मनुष्य सतत सशंकित और सावधान रहते हैं क्या प्रभावशाली कार्यवाही की जा सकती है। रक्षा के लिए नियुक्त पुलिस के जाने के पूर्व ही ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। बहुधा इस प्रकार की शिकायतें आती रहती हैं।

चौ० रनबीर सिंह: क्या भारत पाक समझौते के अनुसार पाकिस्तानियों को भारतीय सीमा के अन्तर्गत महिलाओं को गिरफ्तार करने का अधिकार है?

श्री जवाहरलाल नेहरू: घटना वाली सीमा पर इसी प्रश्न को चुनौती दी गई है। हमारी जानकारी के अनुसार गिरफ्तारियां हमारी सीमा के अन्दर ही की गई थीं। यद्यपि

बाद में वे दूसरी सीमा में लौट गये थे। हमारा कोई व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं था और यह ग्रामीण स्त्रियां सीमाओं से अनभिज्ञ कुछ चीज़ें एकत्रित कर रही थीं, गलती से उनकी सीमा में चली गईं और इस विपदा में फंस गईं। हमारी पुलिस का एक भी सिपाही वहां नहीं था।

पंडित अलगूराय शास्त्री: क्या इस मामले की जांच अभी जारी है कि यह हमारी टैरीटरी में अरेस्ट हुईं या उनकी टैरीटरी में, या यह मामला छोड़ दिया गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: यह छोटी मोटी बातें दुतरफा होती रहती हैं। जब यह बातें होती हैं तो उनको तै करने का यह तरीका होता है कि दोनों तरफ़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिल कर उनका वहां फैसला कर देते हैं और हम उन दोनों के फैसले को मंजूर कर लेते हैं जब तक कोई बड़ी बात न हो। इस मामले में दोनों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिले, उन्होंने तै कर दिया और मामला खत्म हो गया।

श्री ए० सी० गुहा: मैं यह जानना चाहता हूं कि पारपत्र प्रणाली प्रारम्भ होने के पश्चात् भारतीय प्रदेश अथवा भारतीय नागरिकों पर पाकिस्तान सशस्त्र सेना अथवा पाकिस्तानियों द्वारा इस प्रकार के धावे की कितनी घटनायें हो चुकी हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय: इस प्रश्न का उक्त घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री जवाहरलाल नेहरू: बिना जांच किये मैं इसका उत्तर किस तरह दे सकता हूं ?

सिंध नदी की घाटी के जलस्रोतों का आपरीक्षण

*२०१. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या कृषि और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सत्य है कि भारत, पाकिस्तान और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने सिन्ध नदी की घाटी के जलस्रोतों का सम्मिलित आपरीक्षण किया था ;

(ख) यदि यह सत्य है तो इस आपरीक्षण की पृष्ठ भूमि क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) भारत और पाकिस्तान द्वारा मनोनीत सिंध घाटी के इंजीनियरों के कार्यकर्ता दल की एक बैठक १ दिसम्बर १९५२ को कराची में हुई थी और तत्पश्चात् दल द्वारा वाशिंगटन में हुई प्रथम सभा के अनुसरण हेतु श्रंखलाबद्ध सभाएं हुईं। इसके बाद यह कार्यकर्त्ता दल भारत और पाकिस्तान में सिन्ध घाटी के अनेक स्थानों और कार्यों को देखने गया। इस दल की एक बैठक दिनांक २४ जनवरी से २९ जनवरी १९५३ तक दिल्ली में हुई थी। इन बैठकों में विश्व बैंक के इंजीनियर उपस्थित थे और विभिन्न स्थानों की यात्रा के समय भी वे साथ थे।

(ख) इन बैठकों और भारत तथा पाकिस्तान के विविध स्थानों की यात्रा का उद्देश्य एक ऐसी व्यापक योजना तैयार करना है जिसके अनुसार दोनों देश सिन्ध नदी की घाटी के जल का अधिकतम उपयोग प्राप्त कर सकें।

डा० राम सुभग सिंह: मैं यह जानना चाहता हूं कि विश्व बैंक के तत्वावधान में सिन्ध घाटी के जलस्रोतों का सम्मिलित विदोहन करने के उद्देश्य से क्या दोनों देशों में कोई प्रयोगात्मक समझौता हुआ है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): नहीं, श्रीमान्। जलस्रोत का अनुसंधान करने और समझौते का उपाय खोज निकालने के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में और कोई बातचीत नहीं हुई है। यहीं तक ठहराव है कि हम

विश्व बैंक के सहयोग से अनुसंधान कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार सितम्बर में किसी समय बैठक होगी और तब तक इसकी तस्वीर लगभग पूरी तरह तैयार हो जायगी।

डा० राम सुभग सिंह: मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के इन नवीनतम आरोपों में कहां तक सत्यता है कि भारत निरन्तर उन जल साधनों का उपयोग कर रहा है जो पाकिस्तान के प्रयोजनार्थ हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है यद्यपि इसका सम्बन्ध वर्तमान समस्या से पूर्णतः नहीं है।

मैं स्वीकार करता हूं कि अभी हाल में पाकिस्तान द्वारा किये गये इस आन्दोलन के सूत्रपात से कि भारत ने उसे नहरी पानी से वंचित कर दिया है अथवा करना चाहता है मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वस्तुतः पाकिस्तान सरकार ने एक प्रकार का श्वेत पत्र जारी किया है। यद्यपि मैं ने इसे अभी तक नहीं देखा है किन्तु समाचार पत्रों से बात मालूम हुई है। सच तो यह है कि हम निरन्तर उन्हें जल की पूर्ति कर रहे हैं किन्तु पंजाब के पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों में वर्षाभाव के कारण सभी स्थानों पर पानी की कमी करनी पड़ी। अतः यह सत्य है कि उन्हें पानी की कम मात्रा मिली। किन्तु इसका कारण यह नहीं है कि हम उन्हें पानी से वंचित करना चाहते थे प्रत्युत अधिक मात्रा में देने के लिये पानी था ही नहीं। यह सच है कि पानी की कमी के कारण सिंचाई की हानि हुई है। जहां तक मामले की जांच का सम्बन्ध है हमारे द्वारा दिये गये आश्वासनों के अनुसार हमने जान बूझ कर उन्हें किसी वस्तु से वंचित नहीं किया है और न हम ऐसा करने का विचार रखते हैं। किन्तु जैसा कि माननीय सदस्य का संकेत समझौते की ओर है, ४ मई, १९४८ को दोनों देशों में समझौता हुआ था। जहां तक हम से सम्बन्ध है हम इसका निर्वाह कर रहे हैं।

डा० राम सुभग सिंह: मैं यह जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के आरोप से विश्व बैंक के तत्वावधान में दोनों देशों के बीच चल रही समझौते की बातचीत कहां तक प्रभावित हुई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: मुझे ऐसी कोई बात मालूम नहीं है किन्तु परोक्ष रूप में इन सब बातों का प्रभाव पड़ता है। सच तो यह है कि यह बड़े कौतूहल की बात है कि पाकिस्तान सरकार ने इस सम्बन्ध में हमारी सरकार के पास कोई शासकीय विरोध पत्र नहीं भेजा है। प्रत्येक व्यक्ति इस बात की कल्पना करता है कि यदि उन्हें किसी कार्य में आपत्ति हो तो वे हमसे इसका विरोध प्रकट करते। बिना किसी शासकीय विरोध के वे आन्दोलन उठा रहे हैं। मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि उन्होंने विश्व बैंक के प्रतिनिधियों को इस तथ्य से सूचित किया होगा। मेरा विश्वास है उन्होंने ऐसा किया है। हमारे प्रतिनिधि इसे सुलझा देंगे।

श्री टी० एन० सिंह: क्या इस मिले जुले परिमाप में पानी के साधनों की कार्य-रचना और उपयोगिता के सम्बन्ध में दोनों देशों में कोई वचनबद्धता निहित है अथवा भारत अपने कार्य की रचना प्रणाली के सम्बन्ध में स्वतन्त्र है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: नहीं, जहां तक हमारा सम्बन्ध है यह स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार का सम्मिलित कार्य दुष्कर है और यह कठिनाइयों की ओर प्रशस्त करता है।

किन्तु पारस्परिक लाभ की दृष्टि से दोनों देशों में स्वतन्त्र कार्य करने के लिये एक सम्मिलित रूपरेखा तैयार करना दूसरी बात है। यह संयुक्त रूप रेखा तैयार करना ही वर्तमान में हमारा प्रयत्न है।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह सत्य है कि इस प्रश्न पर अंग्रेजी समाचार पत्र 'गार्जियन' भारत विरोधी प्रचार कर रहा है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं जानता कि दूसरे समाचार पत्र क्या कहते हैं।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस परिमाप के समय विश्व बैंक के प्रतिनिधि क्यों साथ थे ? इसके पीछे क्या कारण निहित हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इसका कारण—यह एक विस्तृत गाथा है। आज से पांच वर्ष पूर्व जब मैंने ४ मई १९४८ का उल्लेख किया था तभी से इस नहरी पानी की कहानी चल रही है तभी से हम वस्तुस्थिति जानने के लिये इसका संयुक्त प्रविधिक परिमाप करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी मान्यता है कि सिन्ध नदी की समूची घाटी में पाकिस्तान और भारत दोनों देशों की आवश्यकता पूर्ति के लिये पर्याप्त पानी है। सम्भव है पानी के व्यर्थ बहाव को रोक कर उसका उपयोग करने के लिये कहीं बांध बनाना पड़े। हमारी योजना के अनुसार कभी भी संयुक्त परिमाप नहीं किया गया क्योंकि पाकिस्तान ने इस मामले में हम से कभी सहयोग नहीं किया। इसके पश्चात्—कदाचित् सदस्यों को स्मरण होगा कि एक वर्ष पूर्व टेनेसी घाटी प्राधिकार के सदस्य और अपने विषय के प्रसिद्ध जानकार श्री लिलियनथल भारत आये थे। अमरीका लौटने पर उन्होंने इस विषय पर एक लेख लिखा। तत्पश्चात् विश्व बैंक ने इस पर विचार किया। विश्व बैंक के अध्यक्ष ने मुझे और पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री को इस आशय के समान पत्र लिखे कि श्री लिलियनथल के लेख से उनका ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित हुआ है और विश्व बैंक को इस कार्य में सहायता करने में बड़ी प्रसन्नता होगी। अन्ततोगत्वा विश्व बैंक इस प्रकार के निर्माण कार्य के लिए आवश्यक निधि उधार देता है। हमने लिखा कि हमें धन के रूप में नहीं किन्तु उनके इंजीनियरों से इस विषय में विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है। हम पाकिस्तान से भी इस विषय में बातचीत द्वारा किसी उपाय को ढूंढ निकालने के इच्छुक हैं। थोड़ी बहुत बहस के पश्चात् विश्व बैंक के अध्यक्ष का भारत आगमन हुआ। अन्त में एक सूत्र द्वारा भारतीय, पाकिस्तानी और विश्व बैंक के इंजीनियरों की बैठक में इन मामलों पर विचार करने का निश्चय किया गया। न्यूयार्क में इनकी बैठक हुई, कराची और दिल्ली में भी इनकी बैठकें हुईं, उन्होंने कुछ प्रगति भी की है और आशा है सितम्बर तक यह पूरी हो जायगी। इसमें दोनों देशों की दृष्टि से लाभप्रद उपाय ढूंढ निकालने के अतिरिक्त और कोई बन्धन नहीं है।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या सरकार इस सम्बन्ध में एक प्रेस टिप्पणी जारी करने की कृपा करेगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : अवश्य। सरकार ने अनेक प्रेस टिप्पणियां जारी की हैं। अब हमारा विचार इस सम्बन्ध में प्रेस टिप्पणी से कुछ अधिक जारी करने का है।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने 'न्यूयार्क टाइम्स' में १६ फ़रवरी को प्रकाशित सम्पादकीय लेख की ओर ध्यान दिया है जिसमें यह घोषित किया गया है कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के सचिव के पास भारत द्वारा सिन्ध नदी के जल पथों से वृहद मात्रा में पानी लेने की शिकायत की है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने उस लेख का सारांश देखा है। हम नहीं जानते कि पाकिस्तान सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से कोई निर्देश किया है। मेरा विश्वास है उन्होंने इसका उल्लेख अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के अध्यक्ष से किया है।

श्रीमान्, यदि आप अनुमति दें तो इस सम्बन्ध में एक बात और कह दूं क्योंकि यह विषय महत्वपूर्ण और रोचक है। विगत एक दो वर्षों में वाद-विवाद की कई श्रेणियां हो चुकी हैं। संयुक्त प्रविधिक परिमाप के अतिरिक्त हमने यह सुझाव प्रस्तुत किया था कि इस समस्या को एक उच्चस्तरीय अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। इस अदालत में भारत और पाकिस्तान के दो-दो न्यायाधीश हों और वही उस पर अन्तिम निर्णय करें। इस पर यह आपत्ति उठाई गई कि न्यायाधीशों की मतविभिन्नता की दशा में क्या हो। हमने कहा कि यदि वे किसी एक प्रश्न पर एकमत नहीं हैं तो हमें उस प्रश्न विशेष को किसी अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता के पास ले जाना चाहिये। हम ने कहा कि सम्पूर्ण मामले की ओर निर्देश करने में कोई हित नहीं है क्योंकि इसमें बहुत समय लग जायेगा। इस प्रकार के किसी मामले को अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता द्वारा सुलझाने में हमें कोई विरोध नहीं है। मैं यह भी उल्लेख कर दूं कि हमने निष्क्रान्त सम्पत्ति के विषय में भी ऐसी ही योजना प्रस्तुत की थी।

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न।

विदेशी फ़र्मों के लिये प्रश्नमाला

*२०३. **श्री के० के० बसु :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विदेशी फ़र्मों से भारतीयों और विदेशियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार द्वारा तैयार की गई प्रश्नमाला के उत्तर प्राप्त हो गये हैं; और

(ख) भारत सरकार ने विदेशी उद्योगों द्वारा वेतन श्रेणियों, भत्ते, सेवा की परिस्थितियां और नई भरतियों के सम्बन्ध में भारतीयों के प्रति होने वाले विरोधी व्यवहार को समाप्त करने के लिये क्या किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) भारत सरकार की दिनांक ३१ जुलाई, १९५२ की विज्ञप्ति की प्रतिक्रियास्वरूप भारत में विदेशियों द्वारा अधिकृत तीन चतुर्थ से अधिक फ़र्मों और कम्पनियों ने उत्तर भेज दिये हैं।

(ख) इस प्रश्न के सम्बन्ध में मुझे भय है कि वह इस प्रकार पूछा गया है कि किसी भी प्रकार का उत्तर प्रश्न की आधार भूमि की सत्यता से दूर नहीं हटाया जा सकता और उसका उत्तर देने के लिये मैं तैयार नहीं हूं। जो कुछ मैं कह सकता हूं वह यह है कि भारत सरकार की यह स्पष्ट नीति है कि विदेशी उद्योगों में भारतीयों को अधिकतम संख्या में नौकरियां दी जा सकें।

श्री के० के० बसु : मन्त्री महोदय द्वारा स्वयं स्वीकृत असन्तोषपूर्ण उत्तर की स्थिति में क्या हम यह जान सकते हैं कि सरकार इन मामलों पर क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं उस वक्तव्य का उत्तरदायित्व सम्भालने के लिये तैयार नहीं हूं। मेरा कथन यह है कि रिज़र्व बैंक द्वारा १९४८ में तैयार की गई सूची के सम्बन्ध में मुझे पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इस सूची में फ़र्मों की संख्या १,३०० है। जनवरी के प्रारम्भ से अभी तक हमारे पास ४३ स्थानों से सूचना प्राप्त हो चुकी है। इस बात का निर्णय सरकार समय समय पर करती रहती है कि भारतीयों की नियुक्ति सन्तोषजनक धरातल पर है अथवा

नहीं । सरकार इस बात का भरसक प्रयत्न करेगी कि ये उद्योग अधिक संख्या में भारतीयों को नियुक्त करें।

श्री के० के० बसु : अंग्रेजी उद्योगों द्वारा की जाने वाली असन्तोषजनक नियुक्तियों के प्रश्न की ओर इन उद्योगों के भूतपूर्व भारतीय कर्मचारियों के स्मृति पत्र की ओर क्या सरकार ने ध्यान दिया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे नहीं मालूम कि माननीय सदस्य का संकेत किस स्मृति पत्र की ओर है । हमें अनेक स्मृति पत्र प्राप्त हुए हैं । मेरा विचार है कि भारत में अंग्रेजी उद्योगों के भारतीय कर्मचारियों का कोई संगठन नहीं है । अतः माननीय सदस्य द्वारा निर्देशित किये गये किसी अधिकृत स्मृति पत्र का मुझे स्मरण नहीं है ।

श्री रघुरामय्या : क्या मैं यह जान सकता हूं कि अब तक जो उत्तर प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर क्या यह कहा जा सकता है कि वेतन श्रेणी और नौकरी की स्थितियों सम्बन्ध में इन उद्योगों में नियुक्त भारतीय और विदेशी कर्मचारियों में अन्तर है ?

प्रश्नावली इस ढंग से तैयार की गई थी कि वह केवल प्रत्येक श्रेणी की संख्या की ओर ही संकेत करती है । हमने यथार्थ स्थिति और माननीय मन्त्री द्वारा उल्लिखित सूचना के विषय में नहीं पूछा है ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बंगाल व्यापार संघ द्वारा जारी किये गये परिपत्र ने माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है जिसमें न्यायार्थियों को इस प्रकार उत्तर भेजने का निर्देश किया गया है कि उनके अधीनस्थ भारतीयों की यथार्थ स्थिति प्रकट न हो ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मुझे भय है कि मैंने ऐसा कोई परिपत्र नहीं देखा है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : प्रश्न माला को इस पद्धति से क्यों नहीं तैयार किया गया कि अपेक्षित जानकारी प्राप्त हो सके ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं इस बात से सहमत हूं कि मेरे माननीय मित्र के विचार से प्रश्नावली की रचना अपूर्ण है क्योंकि प्रश्नावली के प्रति मेरे और उनके देखने के दृष्टिकोण में अन्तर है । मेरे दृष्टिकोण से प्रश्नावली सन्तोषजनक थी ।

डा० लंका सुन्दरम : क्या सरकार ने उन अवस्थाओं की जांच की है जिनके अन्दर भारतीय व्यावसायिक उद्योगों को विश्व के उन प्रमुख देशों में काम करने की अनुमति प्रदान की जाती है जहां के निवासियों ने यहां फर्में चला रखी हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह सुझाव काम करने के लिये है और उचित अवसर पर इस पर विचार किया जायगा ।

श्री गाडगिल : क्या मैं यह जान सकता हूं कि अच्छी स्थिति में काम करने वाली विदेशी फर्मों को अनुविहित भारतीयकरण प्राप्त करने के लिये क्या सरकार बिल स्वीकृत करने का विचार कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस सम्बन्ध में जहां तक सरकार के दूरगामी विचारों का सम्बन्ध है उसकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है ।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि भारतीयों की अपेक्षा अत्यन्त हीन योग्यता वाले विदेशी कारीगरों को 'कारीगर' की श्रेणी में नियुक्त कर लिया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : किन्हीं व्यक्तिगत उद्योगों की अवस्था में यह बात सच हो सकती है किन्तु इस तथ्य को सामान्य स्थिति में मानने के लिए सरकार के पास कोई विश्वस्त युक्ति नहीं हैं ।

श्री दामोदर मेनन: माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि कुछ फर्मों ने अभी उत्तर नहीं दिये हैं। क्या सरकार इन फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: सरकार जो कार्यवाही करने में समर्थ है उसे वह कर रही है।

श्री दामोदर मेनन: मैं जानना चाहता हूं कि सरकार कौन सी कार्यवाही करने में समर्थ है ?

श्री एच० एन० मुकर्जी: क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित हुआ है कि प्रश्नावली में चाय के विशेष बगीचों में दिये जाने वाले बगीचा-भत्ते, यातायात और सेवक-भत्ते समाविष्ट नहीं हो पाये हैं और क्या सरकार यूरोपियनों द्वारा संचालित चाय के बगीचों के सम्बन्ध में एक स्वतन्त्र प्रश्नावली जारी करने का विचार कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मेरा विश्वास है माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य इस बात को जानते हैं कि कुछ समय पूर्व मैं ने सदन में कहा था कि सरकार एक ऐसा विधेयक रखने जा रही है जिसके अनुसार वह किसी भी प्रकार के आवश्यक आंकड़े प्राप्त कर सकेगी। जब यह विधेयक इस सदन और दूसरे सदन द्वारा स्वीकृत होकर परिनियम पुस्तक में लिख दिया जायगा मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि तब माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत सुझाव पर विचार किया जायेगा और इसी रूपरेखा पर सूचना प्राप्त हो सकेगी।

विदेशों में प्रचार

*२०४. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले दो वर्षों की तुलना में १९५२-५३ में मंत्रालय द्वारा विदेशों में प्रचार कार्य में किस प्रकार वृद्धि हुई ;

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष में कहां और कितने स्थानों पर नवीन प्रचार केन्द्र स्थापित किये गये हैं; और

(ग) इनमें से कितने स्थान अभी रिक्त हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) विदेशों में प्रचार के लिये आय-व्यय लेखा के अनुबन्ध में निम्न वृद्धि हुई है :—

१९५०–५१	३०,२५,८४०	(वास्तविक)
१९५१–५२	३७,५८,१००	(संशोधित प्राक्कलन)
१९५२–५३	६४,७४,८००	(संशोधित प्राक्कलन)

वर्तमान वर्ष में चलचित्र, संदर्भ पुस्तकालय, पुस्तिकाएं भारतीय कला प्रदर्शन और अन्य प्रचार सामग्री के माध्यम से प्रचार में वृद्धि हुई है। अमरीका और मध्यपूर्व स्थित प्रचार संस्थाओं को पुनर्गठित किया गया है और सर्वत्र मोर्स प्रथा का विस्तार हुआ है। चित्र, ब्लाक, रेखाचित्र आदि में प्रचार की दृष्टि से उन्नति हुई है।

(ख) दमिश्क और बान में दो नये प्रचार केन्द्र खोले गये हैं अन्य दो केन्द्र प्रारम्भ करने का विचार है।

(ग) एक भी नहीं।

श्री एस० सी० सामन्त: मैं यह जानना चाहता हूं, श्रीमान्, कि इतना विस्तार करने पर भी क्या हम इन प्रचार-केन्द्रों को उचित मात्रा में उपयुक्त प्रचार सामग्री देने में असमर्थ हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा: यह तो अपने अपने मत का प्रश्न है किन्तु जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमारा विश्वास है कि हम विदेशों हमारे प्रचार केन्द्रों को उचित और सन्तोष-

जनक मात्रा में आवश्यक साहित्य तथा सूचना देने में समर्थ हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विदेशी समाचार पत्रों में प्रकाशित विपरीत समाचारों का विरोध करने की व्यवस्था में सुधार किये गये हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : अवश्य श्रीमान्।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं यह जान सकता हूं, श्रीमान् कि क्या हमारे प्रचार स्थानों द्वारा समुद्र पार के देशों में भारतीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के वितरण की व्यवस्था में सुधार किया गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : विदेशों में हमारे प्रचार स्थानों को पर्याप्त संख्या में पत्रिकायें और समाचार पत्र भेजे जाते हैं।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : क्या सूचना मन्त्रालय और विदेशों में प्रचार के परस्पर सहयोग के लिये कोई व्यवस्था है ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह मन्त्रालय निकट सहयोग से काम करते हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि प्रदर्शनियां तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं की व्यवस्था की गई है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि सन् १९५२ और १९५३ में भारतीयता की प्रतीक कोई चित्रकला, रेखाचित्र और फोटो प्रदर्शनी आयोजित की गई है ?

श्री अनिल के० चन्दा : हां, श्रीमान्। अमेरिका और दूसरे स्थान——चीन, जापान, आस्ट्रेलिया और अमेरिका में इनका प्रदर्शन किया गया था।

निर्यात की गई वस्तुओं का स्तर

*२०५. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके अनुसार यह मालूम किया जाय कि भारत से ब्रिटेन तथा अन्य देशों को निर्यात की जाने वाली वस्तुएं पहले भेजे गये नमूनें के सदृश हैं ;

(ख) यदि नहीं हैं तो सरकार निर्यात किये जाने वाले पदार्थ और वस्तुओं के गुण तथा स्तर को ह्रास गत होने से बचाने के लिये क्या कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) इसका उत्तर नकारात्मक है।

(ख) सन, पटसन, कच्ची तम्बाकू और मदिरा आदि कुछ पदार्थों के सम्बन्ध में अनिवार्य स्तर नियंत्रित करने के लिये एक योजना क्रियान्वित की जा रही है। अन्य वस्तुओं के विषय में व्यापारिक प्रथा के अनुसार खरीदने वालों और विक्रेताओं को स्वयं ही व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे यहां से निर्यात की गई वस्तुओं की निम्न श्रेणी के सम्बन्ध में क्या किसी देश ने शिकायत की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह शिकायत तो विभिन्न वस्तुओं के विषय में लगातार होती रहती है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं शिकायत करने वाले देशों के नाम जान सकता हूं तथा उन्होंने कौन सी वस्तुओं के सम्बन्ध में शिकायत की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री वी० पी० नायर : क्या भारत सरकार को भारत से निर्यात की गई काली मिर्च के सम्बन्ध में अमरीकी व्यापारियों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है और क्या सरकार

ने इस आरोप की सत्यता का पता लगाया है अथवा इस बात को जानने का प्रयत्न किया है कि अमरीका में खरीदी गई काली मिर्च के मूल्य को कम करने के लिये जान बूझ कर ऐसा किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : भारत सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है किन्तु मैं ने अमरीका के आयात कर्ताओं की इस शिकायत के विषय में समाचार पत्रों में पढ़ा है ।

डा० एम० एम० दास : मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारी निर्यात वस्तुओं के स्तर को बनाये रखने के लिये क्या सरकार ने निर्यात वृद्धि समिति की सिफारिशों को पूर्ण रूपेण मान लिया है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नहीं, श्रीमान् ।

श्री पून्नूस : माननीय मन्त्री महोदय ने बतलाया था कि उन्होंने काली मिर्चों की बुरी किस्म के विषय में पत्रों में समाचार देखे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इन समाचारों की सत्यता मालूम करने अथवा यह देखने का कोई प्रयत्न किया है कि निर्यात की गई वस्तुएं वस्तुतः इससे प्रभावित हुई हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हां, श्रीमान्, । अमेरिका स्थित हमारे निजी प्रतिनिधियों से जो समाचार प्राप्त हुए हैं वे भी इन शिकायतों की प्रामाणिकता को ही सिद्ध करते हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि विदेशों को भेजी जाने वाली वस्तुओं का स्तर देखने के लिये क्या कोई व्यवस्था है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य के प्रश्न के पूर्व भाग में उसका उत्तर भी निहित है ।

श्री पुन्नूस : मैं यह जानना चाहता हूं कि निर्यात की जाने वाली काली मिर्च के स्तर को सुरक्षित रखने के लिए क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैंने प्रश्न के (ख) भाग के उत्तर में कहा था कि व्यापार प्रथा की दृष्टि से वस्तु की श्रेणी तथा श्रेणी का मापदण्ड अधिकतर विक्रेता और खरीदने वालों पर ही निर्भर करता है ।

लकड़ी की पच्चीकारी का काम

*२०६. **सरदार हुक्म सिंह : वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किन राज्यों में उद्योग के स्तर पर लकड़ी की पच्चीकारी का काम किया जाता है ।

(ख) क्या कोई ऐसी संस्था है जो इस विषय में प्रशिक्षण देती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) पंजाब और मैसूर राज्यों में गृह उद्योग के समान;

(ख) मैसूर का चमाराजेन्द्र टेकनीकल इंस्टीट्यूट लकड़ी की । पच्चीकारी की शिक्षा देता है । अन्य राज्यों में दी जाने वाली इस विषय की प्रशिक्षण सुविधाओं की जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होते ही सदन पटल पर प्रस्तुत कर दी जायगी ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस उद्योग में कोई बड़ी साझे अथवा सहकारी संस्था भी लीन है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक सरकार को विदित है हम यह नहीं कह सकते कि देश में चमाराजेन्द्र टेकनीकल इंस्टीट्यूट के अतिरिक्त अन्य संस्था भी है। सम्भवतः सहकारी संस्थायें हो सकती हैं। विस्तृत जानकारी प्राप्त होने पर मैं इस प्रश्न का अधिक निश्चयात्मक उत्तर दे सकूंगा।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस पच्चीकारी के कार्य से किसी विदेशी वस्तु का विनिमय होता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरा विश्वास है कि ऐसा होता है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें इस पच्चीकारी के कार्य में प्रयुक्त करने के लिये बाहर से मंगाना पड़ता है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे भय है कि मैं इस विस्तृत जानकारी से भिज्ञ नहीं हूं। कदाचित पच्चीकारी का अधिकांश काम चांदी पर किया जाता है और कतिपय अवस्थाओं में चांदी का आयात करना पड़ता है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं यह जानना चाहता हूं कि मैसूर तथा अन्य दूसरे स्थानों पर पच्चीकारी का काम करने वाली संस्थाओं को क्या आर्थिक सहायता अथवा अनुदान दिया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरा विश्वास है कि प्रश्न के (ख) भाग के उत्तर में मैंने जिस संस्था का उल्लेख किया है केन्द्रीय सरकार ने उसे कोई सहायता नहीं दी है।

बुने हुये ऊनी वस्त्र

*२०७. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में बुने हुए ऊनी वस्त्रों का उत्पादन करने वाली इकाइयों की संख्या का आगणन किया गया है ;

(ख) इन इकाइयों का कुल उत्पादन कितना है; और

(ग) क्या इस उद्योग को संरक्षण देने के अधिकार पर कभी विचार किया गया था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) देश में ऊनी वस्त्र बुनने वाली इकाइयों की गणना गत वर्ष तटकर आयोग द्वारा की गई थी। इस उद्योग में ८७५ इकाइयां हैं और समान वस्त्र उत्पादन करनेवाली चार मिले हैं।

(ख) सन् १९५१ में इनका कुल उत्पादन २०,२२० लाख पौंड है।

(ग) हां, श्रीमान्। सुरक्षा देने के अधिकार पर गत वर्ष तटकर आयोग ने विचार किया था और उस के मत में इस उद्योग को संरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह सच है कि है कि सन् १९४७ से इसके उत्पादन में कमी हो रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सन् १९४९, १९५० और १९५१ के मेरे पास के आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि यह ह्रास की ओर उन्मुख हो रहा है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं इस उद्योग के पतन का कारण जान सकता हूं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अपनी सम्पूर्ण जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इसका कारण उपभोक्ताओं द्वारा खपत की कमी है।

सरदार हुक्म सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस उद्योग के लिये आवश्यक ऊनी सूत विदेश से मंगाया जाता है अथवा उसका उत्पादन यहीं किया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : थोड़ी मात्रा आयात की जाती है किन्तु देश में लगभग दस मिलें हैं जो इस कार्य के लिये सूत बनाती हैं।

सरदार हुक्म सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या तटकर आयोग ने लुधियाना इण्डस्ट्रीज़ को ऊनी वस्त्रों के उत्पादन के पूर्व ऊनी सूत वूलिन ड्रास क्रिया पर तैयार करने के लिये धारीवाल मिल आदि से सहायता दिलाने के लिये सरकार से सिफारिश की थी !

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं यह जान सकता हूं कि खपत की कमी के साथ ही उत्पादन में कमी होने से क्या ऊनी वस्त्रों के आयात में भी कोई आनुक्रमिक कमी हुई है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हां, यह उचित है।

सरदार हुक्म सिंह : मैं यह जानना चाहता था कि क्या मिलों को विशेष क्रिया द्वारा निर्मित ऐसा सूत देने के लिये कहा गया था जिससे वस्त्र न सिकुड़ सकें। ऐसी क्रिया केवल धारीवाल ऊनी मिलों में ही प्रयुक्त की जाती है। चूंकि लुधियाना उद्योग में इस तरह के साधन नहीं है तटकर आयोग ने यह सिफारिश की थी कि सरकार इस क्रिया को धारीवाल मिल में पूरी करा कर इस उद्योग की सहायता करे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह सहायता प्रदान की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सिफारिश सं० ५ इसी ओर निर्दिष्ट है। मूझे ज्ञात नहीं कि इस दिशा में कुछ और भी किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय चाय क़रार

*२०८ **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : वाणिज्य और उद्योग मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत, इण्डोनेशिया और श्रीलंका द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार पर हस्ताक्षर करने के पूर्व चाय उत्पन्न करने वाले कौन कौन से देश थे और इनमें से प्रत्येक देश का उत्पादन कितना था ;

(ख) चाय उत्पन्न करने वाली भूमि को नियंत्रित करने में यह करार कहां तक सफल हुआ है और करार के अनुसार प्रत्येक देश कितनी चाय निर्यात कर सकता है;

(ग) उक्त करार के सफल संचालन में क्या बाधाएं हैं; और

(घ) क्या भारत निर्धारित भूमि पर खेती कर रहा है और क्या वह करार के अनुसार निश्चित मात्रा में चाय निर्यात कर रहा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) अपेक्षित सूचना प्रकट करने के लिये सदन पटल पर एक विवरण पत्र प्रस्तुत किया गया है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २२**]

(ख) और (घ) अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार प्रारम्भ होने के पश्चात् जिन सदस्य देशों में चाय पैदा करने वाली भूमि का विस्तार किया गया है वह करार की सीमा के भीतर ही किया गया है यद्यपि भारत करार में निर्दिष्ट सीमा तक चाय पैदा नहीं कर सका है। निर्यात की जाने वाली मात्रा और भाग लेने वाले प्रत्येक देश द्वारा निर्यात की गई चाय की वास्तविक मात्रा बताने वाला विवरण पत्र सदन पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट २ अनुबंध संख्या २३**]।

(ग) एक भी नहीं, श्रीमान्।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मैं जानना चाहता हूं कि हमारे देश की चाय खरीदने वाले देश कौन से हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे भय है कि प्रश्न विषय के अन्य भाग की ओर जा

रहा है। यदि उस पर प्रश्न किया गया तो मैं उत्तर दे सकूंगा।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात से परिचित है कि भारतीय चाय संगठन ने हाल ही में एक प्रस्ताव पास किया था कि चाय उत्पादक भूमि आठ प्रतिशत तक सीमित कर दी जाय ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हां, श्रीमान्।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या सरकार इस दिशा में कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस दिशा में भारत जो भी कार्यवाही कर सकता है वह करार में सम्मिलित अन्य देशों के दृष्टिकोण पर आधारित है और मेरा विचार है कि यदि कोई देश सीमा के सम्बन्ध में सहमत नहीं होता है तो उस देश की सम्मति विशेषाधिकार का कार्य करती है। वर्तमान अवस्था में यह मामला लन्दन में एक परिषद् के विचाराधीन है। मेरा विश्वास है कि इस सम्बन्ध में हमारे विचारों को समर्थन प्राप्त नहीं होगा।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या मैं यह मान लूं कि सरकार ने नियंत्रण के सम्बन्ध में—भले ही वह किसी भी रूप में हो—अन्तर्राष्ट्रीय चाय समिति से कोई प्रार्थना की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हां। भारत के चाय उत्पादन कर्त्ताओं की इच्छा से अन्तर्राष्ट्रीय संस्था को सूचित कर दिया गया है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : जापान और फारमोसा द्वारा किये गये निर्यात के सम्बन्ध में हमारी प्रतिस्पर्धा का विस्तार कितना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जापान और फारमोसा ?

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : हां। यह देश भी चाय पैदा करते हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरा विश्वास है कि यह देश निर्यात करने वाले देशों के समह में किसी भी भांति सम्मिलित नहीं है।

डा० एम० एम० दास : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि विगत कुछ वर्षों से हमारे द्वारा निर्यात की गई चाय की मात्रा अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार में उल्लिखित मात्रा से कम रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे सूचना चाहिये।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि दक्षिण अफ़्रीका की भांति कुछ देश प्रकट रूप से अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार की वंचना और उल्लंघन कर रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरा विचार है कि अफ़्रीका इस व्यवस्था में सम्मिलित नहीं है। किसी भी स्थिति में मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री ए० सी० गुहा : चूंकि इस करार पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं चाय पैदा करने वाले अन्य कौन से ऐसे देश हैं जो इस करार में सम्मिलित नहीं है। उनके उत्पादन का इस करार के संचालन और हमारे उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस प्रश्न का उत्तर मैं केवल स्मृति के आधार पर ही दे सकता हूं। इस योजना में सम्मिलित होने वाला दूसरा देश केवल अफ़्रीका है। परन्तु

में निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी अंश तक इसका प्रभाव होना ही चाहिये।

प्लास्टिक उद्योग

*२०९. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि युद्ध के पश्चात् भारत म प्लास्टिक उद्योग के विकास का क्या अनुपात रहा है और सरकार ने इसकी उन्नति में क्या सहायता प्रदान की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): विवरण पत्र सदन पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २४**]

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके लिए कौन से कच्चे माल की आवश्यकता है, वह कौन से देशों से मंगाया जाता है तथा उसकी निश्चित मात्रा कितनी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह प्रश्न उद्योग के विकास की गति से सम्बन्धित है। मेरा विश्वास है कि विवरण पत्र में देश के भीतर प्राप्त होने वाले समस्त पदार्थों की पूरी सूचना दे दी गई है। अधिक जानकारी के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री टी० एन० सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ढाली जाने वाली वम्र सुव्युद (मौल्डेड प्लास्टिक) सामग्री के लिये प्लास्टिक चूर्ण (पाउडर) का आयात किया जाता है और उक्त स्थिति में कितना पाउडर मंगाया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं पुनः इस प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर दे सकता हूं। वम्र सुव्युद चूर्ण इस देश में बढ़ती हुई मात्रा में उत्पन्न होने पर भी कच्चा माल अभी मंगाया जाता है। इसकी मात्रा बताने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस देश में निर्मित होने वाला प्लास्टिक चूर्ण उचित स्तर पर न होने के कारण ही बाहर से मंगाया जाता है। यदि ऐसा है तो प्लास्टिक चूर्ण के स्तर को ऊंचा करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे भय है कि जहां तक मैं जानता हूं प्रश्न में आये हुए मूल तथ्य सही नहीं है।

दिल्ली में गृह निर्माण योजनायें

*२१०. **श्री राधा रमन: निर्माण, गृह-व्यवस्था और रसद** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में दिल्ली में गृह निर्माण कार्य के लिये कितनी निधि व्यय करने का विचार कर रही है;

(ख) इस निधि को व्यय करने के लिये क्या योजना है; और

(ग) क्या सरकार दिल्ली राज्य में गृह निर्माण की सहायता करने का विचार कर रही है ?

निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : आगामी वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों, विस्थापित व्यक्तियों और संसद सदस्यों के रहने के स्थान के लिये लगभग ४·४ करोड़ की व्यवस्था की गई है। यह निधि दिल्ली राज्य की सरकार, राज्यों की सहकारी संस्थाओं और सेवा नियोजकों को आगामी वित्तीय वर्ष में सहायक औद्योगिक गृह योजना के अनुसार झोंपड़ियों को हटाने के लिये दी जाने वाली निधि के अतिरिक्त है।

(ग) हां, औद्योगिक श्रमिकों के लिये सहायक गृह योजना के अन्तर्गत दिल्ली राज्य की सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में इस योजना से लाभ उठाने का निश्चय कर लिया है।

श्री राधा रमन : श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास इस कार्य के लिए कोई निश्चित स्थान है ?

सरदार स्वर्णसिंह : हां श्रीमान्। सम्पूर्ण दिल्ली में स्थान है।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि बजट अधिवेशन के मध्य संसद् के कितने सदस्यों को मकान दिये जाने की सम्भावना है ?

सरदार स्वर्णसिंह : श्रीमान्, एक खण्ड पहले ही दिया जा चुका है। आशा की जाती है कि शीघ्र ही अधिक खण्ड दिये जायेंगे। सन् '५२ और '५३ के मध्य ७२ संसद् सदस्यों को फ्लैट दिये जाने की योजना है।

श्री के० के० बसु : श्रीमान् मैं यह जानना चाहता हूं कि विभिन्न श्रेणियों पर कितना आनुपातिक द्रव्य खर्च किया जा चुका है और इन विभिन्न श्रेणियों में प्रति व्यक्ति कितना रुपया व्यय होगा ?

सरदार स्वर्ण सिंह : श्रीमान्, यह आंकड़े सम्बन्धी विस्तृत कार्य है। यदि मेरे माननीय मित्र को रुचि हो तो मैं आंकड़े दे सकता हूं। किन्तु मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं यह जान सकता हूं कि वर्तमान अधिवशन में जो कि शीघ्र ही समाप्त होने वाला है संसद् सदस्यों के लिये कितने फ्लैट बनायै जाने की योजना थी और अभी कहां तक इसने प्रगति की है ?

सरदार स्वर्णसिंह : श्रीमान्, हम परिगणना के बहुत पीछे नहीं हैं। आंकड़े पहले ही बताये जा चुके हैं।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह सच है कि सदन की गृह-व्यवस्था समिति को यह सूचना दी गई थी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व लगभग ७० फ्लैट बन कर तैयार हो जायेंगे ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं यह नहीं कह सकता कि इस तरह का वर्गीकृत आश्वासन दिया गया था किन्तु यह आशा थी कि फ्लट तैयार हो जायेंग और वह वस्तुतः तैयार हो रहे हैं, आठ फ्लैट का एक खण्ड हमने सुपुर्द कर दिया है।

श्री **भगवत झा** : मैं यह जानना चाहता हूं श्रीमान्, कि क्या सरकार की यह इच्छा है कि संसद् के सदस्यों की संख्या से फ्लैट की संख्या कम रखी जाय ताकि अधिवेशन समाप्त होने की दशा में भी वे इनमें रहने के लिये विवश कर दिये जाये ?

श्री पुन्नूस : श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि संसद् सदस्यों द्वारा बंगलों और फ्लैट के लिये दिये गये कितने प्रार्थना पत्र अस्वीकृत कर दिये गये ?

सरदार स्वर्णसिंह : श्रीमान्, यह गणना का प्रश्न है। हमें संसद् के सदस्यों की संख्या याद ह और बंगलों की संख्या भी। प्रत्येक सदस्य बंगला प्राप्त करने के लिये उत्सुक है किन्तु हम हर एक को नहीं दे सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : यह नितान्त आवश्यक नहीं है। मेरा विचार है कि इस 'गृह समस्या' को समाप्त करने देना चाहिये।

अखिल भारत आकाशवाणी के प्रमुख संचालक के विरुद्ध मामला

*२११. **श्री लक्ष्मण सिंह चरक** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मन्त्री दिनांक २९ जुलाई १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० २१८५ के उत्तर की ओर निर्देश करने की

कृपा करेंगे और यह बतलायेंगे कि अखिल भारत आकाशवाणी के मुख्य संचालक श्री लक्ष्मनन के सरकार द्वारा विचाराधीन मामले में क्या किया गया है ?

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार के सामने कोई प्रारम्भिक विवरण प्रस्तुत किया गया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख) चूंकि इस मामले की कार्यवाही अभी समाप्त नहीं हुई है मामले का विस्तृत रूप प्रकट करना जनहित के विरुद्ध है।

श्री लक्ष्मण सिंह चरक श्रीमान्, क्या मैं इस मामले का देर तक निर्णय न होने के कारण जान सकता हूं ?

डा० केसकर : श्रीमान्, जनपदाधिकार आचरण नियम में निश्चित कार्यविधि प्रस्तुत की गई है । इसके अनुसार उक्त व्यक्ति को अपने बचाव के लिये प्रत्येक उचित सुविधा दी जाती है। यही देरी का कारण है और इसमें कोई सहायता नहीं की जा सकती।

श्री दाभी : श्रीमान्, क्या मैं इस अधिकारी के विरुद्ध आरोपों का स्वरूप जान सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न संख्या २१८५ में ही दिये गये हैं।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह सच है कि इस अधिकारी को जन सेवा आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने और अपने आचरण की व्याख्या करने की सुविधा प्रदान की गई है ?

डा० केसकर : मुझे यह विदित नहीं है। यदि माननीय सदस्य की इच्छा हो तो मैं जांच करूंगा ।

आवेष्ठित टेलीफोन तार का कारखाना

***२१२. सरदार ए० एस० सहगल** : (क) **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि पश्चिमी बंगाल के मिहिजिम में आवेष्ठित टेलीफ़ोन तार और ड्राई कोर कागज के उत्पादन के लिए एक कारखाने का निर्माण किया गया है ?

(ख) यदि यह सही है तो इस कारखाने का उत्पादन कितना है ?

(ग) क्या इस वस्तु के सम्बन्ध में समस्त देश की मांग इस कारखाने के उत्पादन से पूरी हो जाती है ? क्या सरकार को इसे बाहर से मंगाना पड़ता है ? यह कितनी मात्रा में मंगाई जाती है ?

(घ) क्या कारखाना प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में ब्रिटेन के मेसर्स स्टेण्डर्ड टेलीफ़ोन्स एण्ड केबल लिमिटेड से कोई समझौता किया गया है ?

(ङ) इस कारखाने की लागत मूल्य, वार्षिक उत्पादन और लाभ कितना है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) कारखाना निर्माण के पथ पर है और इस वर्ष के मध्य तक उसके पूर्ण हो जाने की आशा है।

(ख) जैसा कि प्रश्न (क) के उत्तर में स्पष्ट है अभी कुछ उत्पादन नहीं है ।

(ग) सम्पूर्ण देश की आवश्यकता अनुमानत: १००० से १२०० मील लम्बे तार वार्षिक है। इसका मूल्य लगभग दो करोड़ है। वर्तमान में इसकी पूर्ति बाहर से की जाती है ।

(ङ) कारखाने की योजना प्रतिवर्ष ४६९ मील लम्बाई वाले तार तैयार करना है। वर्तमान श्रेणी में लाभ का प्रश्न नहीं

उठता है क्योंकि कारखाने ने अभी उत्पादन आरम्भ नहीं किया है।

कारखाने का लागत मूल्य लगभग ११० लाख है ।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, म यह जानना चाहता हूं कि ब्रिटेन की स्टेण्डर्ड टेलीफ़ोन कम्पनी केवल निर्माण कार्य के लिय ही रहेगी अथवा उन्हें इस कारखाने में पूंजी लगान की अनुमति दी गई है ?

श्री के० सी० रेड्डी : यह केवल टकनीकल सहायता के लिये ही है । कारखाने में पूंजी लगाने से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री के० के० बसु : कारखाना पूरा हो जाने पर क्या टेकनीकल सहायता समाप्त हो जायगी अथवा जारी रहेगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : यह विभिन्न रूपों में चालू रहेगी। श्रीमान्, यह सहायता उस तरह नहीं रहेगी कि कारीगर सब समय कारखाने में काम करते रहेंगे। स्टेण्डर्ड टेलीफ़ोन्स और केबल कम्पनी से २० वर्ष का करार है। सूची अवधि में उनसे टेकनीकल सहायता मिलती रहेगी ।

श्री के० के० बसु : श्रीमान् मैं यह जानना चाहता हूं कि आइत अथवा लाभ के रूप में इस टेकनीकल सहायता के लिये कुछ पारिश्रमिक दिया जायगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : हां, श्रीमान् । उनसे जो करार किया गया है उन में ये मुद्दे भी सम्मिलित हैं। यदि माननीय सदस्य स्वतन्त्र प्रश्न उपस्थित करें तो मैं विस्तृत जानकारी प्रकट कर सकता हूं ।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान् क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस कथित टेकनीकल सहायता के लिये उन्हें कितना प्रतिशत पारिश्रमिक मिलेगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है कि यदि अलग प्रश्न पूछा गया तो मैं विस्तारपूर्वक उत्तर दे सकता हूं ।

पेनिसिलीन कारखाना

*२१३. **सरदार ए० एस० सहगल :** **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने पेनिसिलीन कारखाने में कुल कितनी पूंजी लगाई है और संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष ने मशीनें तथा अन्य सामग्री के रूप में कितना व्यय किया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : पेनिसिलीन कारखाने में भारत सरकार ने कुल १,२९,१३,४०० रु० लगाया है। १९५२ के अन्त तक इस रकम से आठ लाख रुपये खर्च किये जा चके ह । संयक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष ने मशीनें तथा अन्य साधनों के रूप म ४०,४६,००० रु० खच किया है।

डा० एम० एम० दास : श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इस सरकारी पेनिसिलीन को दृष्टिगत रखते हुए निजी कम्पनियों द्वारा पेनिसिलीन उत्पादन करने वाली मशीनों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं ऐसे किसी तथ्य से परिचित नहीं हूं किन्तु मैं इस मामले की प्रामाणिकता मालूम करूंगा।

डा० एम० एम० दास : मैं यह जानना चाहता हूं श्रीमान् कि क्या यह सरकारी नीति है कि इस राजकीय पेनिसिलीन कारखाने को देखते हुए अन्य वैयक्तिक कम्पनियों द्वारा पेनिसिलीन उत्पादन के कारखाने को प्रोत्साहन न दिया जाय ?

श्री के० सी० रेड्डी : यह सही स्थिति नहीं है, श्रीमान्। हमारे पेनिसिलीन कारखाना

स्थापित करने के प्रयत्न के अतिरिक्त यदि इस तरह की कोई वैयक्तिक संस्था अथवा राज्य सरकार पेनिसिलीन कारखाना प्रारम्भ करने को उद्यत है तो हम उन पर विचार करेंगे । देश की आवश्यकता और हमारे कारखाने में उत्पादन की मात्रा पर विचार करने पर ही हम किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं । माननीय सदस्य द्वारा वर्णित किसी प्रकार का कठोर प्रतिबन्ध नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं यह जानना चाहता हूं कि देश में कितनी पेनिसिलीन की आवश्यकता का अनुमान है और कारखाने के भली प्रकार काम करने पर इस आवश्यकता की कितने प्रतिशत पूर्ति हो सकेगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : श्रीमान्, मैं यह नहीं कह सकता कि हमारे देश में कितनी पेनिसिलीन की आवश्यकता है । आंकड़े एक दूसरे से भिन्न हैं । विशेषज्ञों द्वारा बतलाये गये अंक भी एक दूसरे से इतने अधिक भिन्न हैं कि मैं निश्चित संख्या नहीं बता सकता । किन्तु योजनान्वित पेनिसिलीन कारखाना आवश्यकता की आंशिक पूर्ति ही करेगा पूरी नहीं ।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि यह कारखाना कितने अनुमानित मूल्य पर पेनिसिलीन भारत में बेच सकेगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : श्रीमान्, अभी से निश्चित मूल्य नहीं बताया जा सकता ।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान् । हम यह तो जान सकते हैं कि क्या पेनिसिलीन अत्यन्त सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सकेगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : यही आशा की जाती है, श्रीमान् ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : कारखाने की आधारभित्ति यही है अन्यथा उसे प्रारम्भ करने में कोई प्रयोजन नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यथार्थ रूप की अनुपस्थिति में आप अनुमानित मूल्य क्यों कर बता सकते हैं ।

भारतीय ग्राम पर पाकिस्तान पुलिस द्वारा गोलियों चलाया जाना

*२१४. **श्री गिडवानी :** (क) **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या पाकिस्तान की सीमा पुलिस ने ३० दिसम्बर १९५२ को सिलहट की सीमा पर खासी जैन्तिया पहाड़ियों में डाकी से ६ मील पूर्व के एक ग्राम पर गोलियां चलाई थीं;

(ख) उक्त घटना में कितने व्यक्ति आहत हुये थे;

(ग) क्या इस मामले की जांच की गई है; और

(घ) इस जांच का क्या परिणाम हुआ ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (घ). उक्त तिथि पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई ।

नवीन इस्पात संयन्त्र का स्थान

*२१५. **श्री ए० एम० टामस :** (क) उत्पादन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने ८० करोड़ रु० के इस्पात संयन्त्र की स्थापना के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया है । ऐसी दशा में वह स्थान कौन सा है ?

(ख) सरकार ने कौन कौन से विभिन्न स्थानों पर विचार किया था?

(ग) स्थान का अन्तिम चुनाव करने में सरकार किन तथ्यों से प्रभावित हुई है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) नहीं। सरकार द्वारा सारे मामले की टेकनीकल स्तर पर जांच कर लेने तक निर्णय नहीं किया जा सकता।

(ख) और (ग). प्रश्न उद्भव नहीं होते हैं। १९४८ के योजना विवरण का पुनर्वीक्षण और एक नवीन योजना वृत्तान्त तैयार करने के लिये सरकार ने एक टेकनीकल मिशन की नियुक्ति की है। नवीन संयन्त्र की स्थापना के सम्बन्ध में सरकार का विचार स्पष्ट है और टेकनीकल मिशन के वृत्तान्त को दृष्टिगत रख कर ही अन्तिम निर्णय किया जायगा।

श्री ए० एम० टामस: दिनांक १३ फ़रवरी को माननीय मंत्री महोदय ने इसी सदन में कहा था कि जापानी सार्थ (फ़र्म) से बातचीत समाप्त कर ली गई है। क्या माननीय मंत्री का ध्यान जापानी विदेश मंत्री के उस वक्तव्य की ओर आकर्षित हुआ है जिसके अनुसार बातचीत समाप्त हो जाने का कारण तीसरे दल द्वारा हस्तक्षेप है और कहा जाता है कि इस्पात उद्योग के विकास की इस विपुल निनादित योजना के सहसा भंग हो जाने का कारण १०० लाख डालर पूंजी की वृद्धि है ?

श्री के० सी० रेड्डी: सदन में इस प्रश्न का अनेक अवसरों पर उत्तर दिया गया है। जापानियों से बातचीत समाप्त होने के कारण अनेक बार बता दिये गये हैं। माननीय सदस्य जिस समाचार की ओर मेरा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं वह मैं ने देखा है। यह कथन सही नहीं है कि किसी तृतीय दल के हस्तक्षेप के फलस्वरूप हमारे और जापानियों के बीच बातचीत समाप्त हुई है। तीसरे दल का कहीं अस्तित्व ही नहीं है। स्वानुभूति से प्रेरित होकर ही सरकार ने यह निर्णय किया है। किन्तु यह कथन सर्वथा अनुचित है कि अंग्रेज़ अथवा अमेरिकन कोई तीसरा दल था। जहां तक इस्पात और लोहे की इस संयुक्त योजना में पूंजी लगाने का अनुमान है आंकड़ों में मतभेद है और निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि इस योजना में कुल कितनी रक़म लगी है।

श्री मेघनाद साहा: क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि मार्च १९४९ में तत्कालीन मंत्री महोदय ने यह घोषित किया था कि कारखाने के लिये समस्त योजना तैयार है और तीन महीने के भीतर कार्य प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री के० सी० रेड्डी: मैं अपने पूर्वाधिकारी के उत्तर से भिज्ञ नहीं हूं। मैं इस तथ्य से परिचित हूं कि १९४८ में इस्पात योजना की स्थापना के विषय में जो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था सरकार ने उसका अध्ययन किया था किन्तु दुर्भाग्यवश वित्तीय सीमाओं के कारण सरकार लोहे और इस्पात की इस नवीन योजना को कार्यान्वित नहीं कर सकी। सरकार इस दिशा में प्रगति करने के लिये अत्यन्त उत्सुक है। मैं ने पहले भी कहा था हम इस देश में लोहे और इस्पात की राजकीय योजना को व्यवहृत करने के लिये भरसक प्रयत्न करेंगे।

श्री मेघनाद साहा: योजना को इस प्रकार टालते रहने में सरकार ने कितने अरब रुपया व्यर्थ खर्च किया है ?

श्री के० सी० रेड्डी: अरबों रुपयों की बात जाने दीजिये कुछ भी खर्च नहीं किया गया है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या भारत सरकार ने जापान सरकार से बातचीत पूरी तरह समाप्त करने का निश्चय कर लिया है अथवा

भविष्य में भी वह वार्त्ता जारी रखेंगे क्योंकि आज के पत्रों में यह समाचार है कि जापान सरकार इस लोहे और इस्पात योजना की स्थापना के सम्बन्ध में पुनः प्रतिनिधित्व कर रही है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे भय है श्रीमान्, यह प्रश्न काल्पनिक है । जापानियों से बातचीत समाप्त हो गई है । भविष्य के विषय में मैं नहीं कह सकता । टेकनीकल मिशन का गठन किया गया है और उसके विवरण की प्रतीक्षा की जा रही है । इस विवरण के पूर्ण होने के पश्चात् हम सोचेंगे कि लोहे और इस्पात की योजना के साथ हम अन्य हितों का कहां तक सहयोग दे सकते हैं । इस समय तक यदि जापानियों ने निश्चित प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये तो वे स्वभावतः भारत सरकार का यथोचित ध्यान प्राप्त करेंगे ।

श्री ए० एम० टामस : (ख) और (ग) के उत्तर में यह कहा गया था कि यह प्रश्न उद्भव नहीं होते हैं । श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह बतलाने की स्थिति में नहीं है कि उसने किन किन स्थानों पर विचार किया था ?

श्री के० सी० रेड्डी : श्रीमान्, मैं यह कहने की स्थिति में हूं कि योजना विवरण ने विभिन्न स्थानों की सम्भावना पर विचार किया था और उन्होंने कुछ सिफ़ारिशें भी की हैं । यदि माननीय सदस्य अलग प्रश्न रखें तो लोहे और इस्पात के संयंत्र की स्थापना के लिये जिन सम्भावित नामों पर विचार किया गया था मैं उनके विषय में निश्चित रूप से कुछ बता सकूंगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन

*२१६. **श्री ए० एम० टामस** : (क) क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि न्यूयार्क में चाय पैदा करने वाले प्रमुख देशों के अन्तर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन का क्या परिणाम हुआ ?

(ख) यदि उक्त सम्मेलन ने कोई सिफ़ारिशें की हैं तो उन्हें कार्यान्वित करने के लिये भारत सरकार ने क्या किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). मैं माननीय सदस्य का ध्यान उस उत्तर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो मैं ने तारांकित प्रश्न संख्या १२७ के उत्तर में १७ फ़रवरी १९५३, को दिया था ।

श्री ए० एम० टामस : अमरीका में चाय के प्रचार के लिये कुल कितनी निधि खर्च की जाती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : भारत इस कार्य के लिये ४५०,००० डालर देता है ।

श्री ए० एम० टामस : पहले कितनी निधि खर्च की गई थी, श्रीमान् ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : लगभग इतनी ही ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : यह प्रचार हमारी समिति द्वारा किया जाता है अथवा अमरीकी द्वारा ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं माननीय सदस्य को प्रश्न संख्या १२७ की ओर निर्देशित करूंगा । इस उत्तर में स्पष्ट है कि भारत सरकार ने श्रीलंका और इंडोनेशिया के सहयोग से अमरीकी चाय परिषद् के साथ एक क़रार किया है जिसके अनुसार उनके सहयोग से प्रचार किया जा सके । अमरीकी चाय परिषद् का चन्दा ५२०,००० डालर

है । भारत ४५०,००० डालर, श्री लंका ३५,०,००० डालर और इण्डोनेशिया २५,००० डालर चन्दा देते हैं । सारी निधि एकत्रित करने पर एक संयुक्त बोर्ड उस देश में प्रचार की व्यवस्था करेगा ।

श्री दामोदर मेनन : श्रीमान, मैं यह जानना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय चाय विक्रय बोर्ड की हमारी सदस्यता से यह नवीन क़रार किस दृष्टि से प्रगतिशील है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, हमें यह मालूम नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय चाय विक्रय बोर्ड वस्तुतः क्या कर रहा है । अमरीका से लौटे हुये एक सज्जन ने मुझे बताया कि वहां के रहने वालों को यह भी पता नहीं कि भारत में चाय कहां पैदा होती है । अब हमारे आदमी यह काम करेंगे । हम चाय व्यापार को अब इस कार्य में भाग लेने वहां भेजेंगे । वहां सामीप्य रहने से हमारे हितों की भलीभांति देख भाल की जायगी और सम्भवतः अमरीका में भारतीय चाय अधिक मात्रा में बिक सकेगी ।

श्री ए० एम० टामस : यह कहा गया था कि यह क़रार विभिन्न सरकारों के प्रमाणीकरण पर निर्भर है । क्या सम्बन्धित सरकारों ने इस क़रार को प्रमाणित कर दिया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मैं इतना ही कह सकता हूं कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है यह हमें स्वीकृत है । मैं नहीं कह सकता कि क्या दूसरे देशों ने इसे प्रमाणित कर दिया है ।

श्री वेंकटारमन् : क्या यह सच है कि अमेरिका के चाय हित अन्य चाय पैदा करने वाले देशों द्वारा चन्दा दिये गये डालर के स्थान पर डालर देने को तत्पर हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, जो आंकड़े मैं ने प्रस्तुत किये हैं उनसे यह प्रतीत नहीं होता कि मेरे माननीय मित्र का अनुमान सत्य है । वे केवल ५२०,००० डालर चन्दा दे रहे हैं । जब कि चाय पैदा करने वाले विभिन्न देशों का चन्दा ८२५,००० डालर है ।

श्री ए० वी० टामस : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन सब मामलों में हमारे चाय बोर्ड की सलाह ली गई थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इसकी सलाह नहीं ली गई थी, श्रीमान् ।

श्री वेंकटारमन् : श्रीमान्, क्या यह सच नहीं है कि भारत सरकार ने इस निधि को अमरीका में प्रचार के लिये इसीलिये खर्च करना स्वीकृत किया था कि अमरीका के चाय हितों द्वारा उतनी ही निधि व्यय की जायगी जितनी कि चाय पैदा करने वाले देश अपने आन्तरिक व्यापार में करते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं नहीं जानता यह स्वीकृति किस ने दी थी । मैं ने नहीं दी ।

श्री वेंकटारमन् : क्या यह सच है कि अमरीकी चाय व्यापार के लिये प्रस्ताव तैयार करते समय केन्द्रीय चाय बोर्ड ने भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से यह सिफ़ारिश की थी कि अमरीकी हित भी समान खर्च उठावें ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : केन्द्रीय चाय बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे मालूम नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछने की अवधि बीत गई है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मनीपुर के कुटीरउद्योगों को ऋण

*२१७. **श्री एल० जे० सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २६ नवम्बर, १९५२ को पूछे गये मनीपुर के कुटीर उद्योगों के ऋण से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न संख्या ७१४ के (घ) भाग की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे:

(क) मनीपुर के उद्योगों को ऋण देने के पश्चात् प्रत्येक सार्थ (फ़र्म) ने ऋण की सहायता से कितनी उन्नति की;

(ख) क्या ऋण के सम्बन्ध में किसी प्रकार की विशेष शर्तें अथवा परिस्थितियां थीं;

(ग) उन सार्थों के नाम क्या हैं जिन्होंने ऋण प्राप्त करने के लिये भारत सरकार के पास प्रतिनिधित्व किया था;

(घ) कुल प्रार्थनापत्रों में से कितने स्वीकृत किये गये, कितने अस्वीकृत हुये और कितने अभी विचाराधीन हैं;

(ङ) प्रार्थियों को ऋण स्वीकार करने का मापदण्ड क्या था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) पूरी जानकारी वाला एक विवरण पत्र सदन पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २६]**

(ख) केन्द्र प्रशासित क्षेत्र के कुटीर और छोटे उद्योगों को उद्योग राजकीय सहायता (केन्द्र प्रशासित क्षेत्र) आदर्श नियमों के अन्तर्गत ऋण स्वीकार किये गये हैं। उसकी एक प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत कर दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २५]** ।

(ग) से (ङ). अपने अपने क्षेत्र के कुटीर और छोटे उद्योगों को समय समय पर ऋण स्वीकृत करने के लिये भारत सरकार द्वारा मुख्य आयुक्तों और उपराजप्रमुखों के पास कोष रखा गया है। ये ऋण सीधे भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किये जाते हैं। उपराजप्रमुख और मुख्य आयुक्त प्रार्थनापत्र आमन्त्रित करते हैं और उस क्षेत्र के औद्योगिक सलाहकार बोर्ड की सिफ़ारिश तथा उद्योगों की राजकीय सहायता योजना के आदर्श नियमों के अनुसार उचित अवस्थाओं में ऋण स्वीकृत कर दिया जाता है। मनीपुर के मुख्य आयुक्त से इस सम्बन्ध में विस्तृत परिचिति देने के लिये कहा गया है और उपलब्ध होने पर वह सदन पटल पर प्रस्तुत कर दी जायगी।

विदेशों को जाने वाली व्यापारी और अ-राजकीय व्यापार प्रतिनिधि मण्डल

*२१८. **श्री एन० पी० सिन्हा** : (क) **उद्योग और वाणिज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विदेशों में भारतीय वस्तुओं के लिये मण्डियों का क्षेत्र निर्माण करने के लिये जाने वाले वैयक्तिक व्यापारी और अ-राजकीय व्यापार प्रतिनिधि मण्डलों को सरकार क्या सहायता और सुविधा प्रदान करती है ?

(ख) क्या वैयक्तिक व्यापारियों और इस तरह के प्रतिनिधि मण्डलों में सन् १९५१-५२ में सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार को कोई प्रार्थनापत्र दिया था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में जो सुविधायें दी हैं उन में (i) विदेश विनिमय की स्वीकृति, (ii) पारपत्र देने और प्रवेश पत्र प्राप्त करने और (iii) भारतीय वस्तुओं के आयातकर्ताओं से व्यापारिक सम्पर्क स्थापित करना सम्मिलित है। विदेश स्थित भारत सरकार के व्यापारिक प्रतिनिधियों को इस आशय के

आदेश दिये गये हैं कि वे व्यापारियो और ग़ैर सरकारी प्रतिनिधि मण्डलों की पूरी सहायता करें तथा स्थानीय व्यापारियों, वाणिज्य परिषदों और सरकारी अधिकारियों के नाम परिचय-पत्र देते हुये भारतीय वस्तुओं के निर्यात की बिक्री के सम्बन्ध में जानकारी देकर सम्पूर्ण सुविधायें प्रदान करें।

(ख) वैयक्तिक व्यापारियों की ओर से प्रार्थनापत्र प्राप्त हुये थे किन्तु ग़ैर सरकारी प्रतिनिधि मण्डलों की ओर से नहीं।

केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग का पुनर्गठन

*२१९. **श्री एस० एन० दास : निर्माण, गृह-व्यवस्था और रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग का पुनर्गठन करने के लिये नियुक्त की गई समिति के प्रतिवेदन पर अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि उक्त बात सत्य है तो उसकी कौन सी सिफ़ारिशों को स्वीकार कर कार्यान्वित किया गया है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है और सब प्रमुख सिफ़ारिशें मान ली गई हैं। इस मान्यता के अनुसार समिति द्वारा सिफ़ारिश की गई रूपरेखा के आधार पर केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग का पुनर्गठन कर लिया गया है और तीन क्षेत्र तथा पांच विभाग समाप्त कर दिये गये हैं। स्वीकृत सिफ़ारिशों को व्यवहृत करने के लिये मुख्य इंजीनियर को आदेश दे दिये गये हैं। कार्यालयों की स्थापना और एकीकरण, वेतन और हिसाब का केन्द्रीकरण भरती करने के नियमों की रचना, राष्ट्रीय भवन संगठन की स्थापना तथा क्षेत्रीय आधार पर विशेष वर्णन, डिज़ाइनों और पदार्थों को समान स्तर पर लाने के सम्बन्ध में जो सिफ़ारिश की गई हैं उन्हें कार्यान्वित करने में कुछ समय लगेगा। केवल एक महत्वपूर्ण सिफ़ारिश ऐसी है जिस पर अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है और जो अभी विचाराधीन है। यह अधीक्षक इंजीनियरों का ठेकेदारों से झगड़े के समय मध्यस्थ की भांति काम न करने से सम्बन्धित है।

जनरल मोटर्स कम्पनी का मोटर संयोजक संयंत्र

*२२०. **श्री के० जी० देशमुख : वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनरल मोटर्स कम्पनी, बम्बई की बम्बई स्थित मोटर संयोजक संयन्त्र को बन्द करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जहां तक सरकार को विदित है यह सन्यंत्र काम कर रहा है।

भारतीय कहवा बोर्ड के कर्मचारियों का वेतन और भत्ता

*२२१. **श्री नम्बियार : वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार भारतीय कहवा बोर्ड के कर्मचारियों को केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिश के अनुसार वेतन और भत्ते दे रही है ;

(ख) यदि नहीं तो क्या कर्मचारियों ने वेतन कमीशन की दरों को क्रियान्वित रूप देने की मांग की थी। यदि उन्होंने ऐसा किया था तो वह स्वीकृत क्यों नहीं किया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). भारतीय कहवा बोर्ड के अन्तर्गत अनेक

पद केन्द्रीय सरकार के किसी भी पद से संवादित नहीं होते हैं। वेतन की दरों और कर्मचारियों के भत्ते पर पुनर्विचार करने का प्रश्न अभी अनिर्णीत है। तो भी उन्हें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के नियमों के अनुसार ही भत्ता मिलता है।

राजकीय वाणिज्य समिति के प्रतिवेदन की परीक्षा

*२२२. **श्री झूलन सिन्हा: वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या राजकीय वाणिज्य समिति की सिफ़ारिशों का शीघ्र परीक्षण करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और ऐसी अवस्था में उसके प्रमुख लक्षण क्या हैं।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री० टी० टी० कृष्णमाचारी) : समिति ने अभी प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

हाथकरघ पर काम करने वालों को सहायता

२२३. **श्री टी० एस० ए० चेट्टयार: वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार बुनकरों में फैली हुई बेकारी और स्टाक एकत्रित हो जाने से उत्पन्न हुई विषम स्थिति से परिचित है जो मद्रास राज्य में विशेष रूप से उल्लेखनीय है; और

(ख) क्या मद्रास सरकार ने इन बुनकरों को अहायता देने के लिये भारत सरकार से कोई प्रार्थना की है और प्रार्थना की अवस्था में क्या सहायता दी गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : बुने हुये वस्त्रों के स्टाक एकत्र हो जाने से जो कठिनाइयां पैदा हुई हैं सरकार उनसे परिचित है।

(ख) नहीं। प्रश्न के अन्तिम भाग के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता।

बिहार के जूट के मिलों का प्रतिनिधित्व

*२२४. **श्री एल० एन० मिश्र**: (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि भारत सरकार के आदेशानुसार जूट मिलों के तीन सदस्यों वाले प्रतिनिधि मण्डल ने बिहार का भ्रमण किया था ?

(ख) प्रतिनिधिमण्डल की इस भेंट का क्या उद्देश्य है और उसने बिहार में कौन कौन से स्थानों को देखा है ?

(ग) क्या प्रतिनिधिमण्डल ने सरकार के समक्ष कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

(घ) यदि हां तो विवरण के प्रमुख लक्षण क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ). सरकार को दी गई सूचना के अनुसार बिहार राज्य के जूट उत्पादकों की एक कठिनाई मिलों से सीधे सम्पर्क का अभाव है। इस बात की सूचना भारतीय जूट मिलों की संस्था को दे दी गई थी। उन्होंने सहज ही बिहार में प्रतिनिधिमण्डल भेजने की स्वीकृति दे दी। इस प्रतिनिधिमण्डल के साथ बिहार सरकार का एक अधिकारी भी था। उन्होंने पटना, पूर्निया, फ़ोरबेसगंज और गोलबाग़ देखा। विवरण की एक प्रति सरकार को प्राप्त हुई है। विवरण में निम्न बातें हैं:—

(i) बिहार में क़ीमतें अन्य क्षेत्रों के समान हैं किन्तु प्रति एकड़ उपज बिहार में कम है अतः जो क़ीमतें आसाम और बंगाल

के लिये आर्थिक हैं वे ही प्रायः बिहार के कृषक के लिये असन्तोषजनक सिद्ध होती हैं ।

(ii) जल के अत्यधिक अभाव का प्रभाव बिहार के जूट की श्रेणी पर बुरा पड़ता है ।

(iii) यद्यपि माल गाड़ी के डिब्बे सन्तोषजनक संख्या में उपलब्ध हैं माल भरने के स्थानों पर भीड़ रहती है ।

(iv) प्रतिनिधिमण्डल की बिहार यात्रा के समय उत्पादकों ने लगभग ७५ प्रतिशत फ़सल बेच दी थी ।

कोसी नियंत्रण योजना

*२२५. **श्री एल० एन० मिश्र** : (क) **सिंचाई और शक्ति** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कोसी नियंत्रण का कार्य जिसे गत मानसून के मध्य में स्थगित कर दिया गया था पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है ?

(ख) यदि हां तो उस कार्य का स्वरूप क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : कोसी योजना का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है । जांच सम्बन्धी कार्य किया जा रहा है । मानसून के मध्य काम स्थगित कर दिया गया था क्योंकि अधिक वर्षा होने से उस स्थान पर काम नहीं किया जा सकता था । मानसून समाप्त होने के पश्चात् शीघ्र ही अक्टूबर, १९५२ में काम शुरू कर दिया गया था ।

(ख) इस कार्य के विभिन्न विषय हैं :—

(i) बेलका बांध स्थान पर कंकरीट बांध की नींव का अनुसन्धान ।

(ii) भू बांध की मिट्टी का परिमाप;

(iii) जलाशय क्षेत्र का परिस्थिति आपरीक्षण और गुण आपरीक्षण; और

(iv) पश्चिमीकोसी नहरी व्यवस्था का आपरीक्षण ।

पूर्वी बंगाल में हिन्दुओं का संरक्षण

*२२६. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफ़िर** : **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी बंगाल के अल्पसंख्यक हिन्दू समुदाय के संरक्षण के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से कोई पत्रव्यवहार हुआ है यदि हां तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) माननीय सदस्य का ध्यान दिनांक १५ दिसम्बर, १९५२ को राज्य परिषद् में श्री बी० सी० घोष द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २२० के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है । प्रश्न और उत्तर की प्रति सदन पटल पर रख दीं गई है **[देखिय परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २७]**

(ख) पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से कुछ पत्रव्यवहार हुआ है । यह पत्र व्यवहार विभिन्न विषयों से सम्बन्धित है जिनमें उक्त प्रश्न भी शामिल है । यह पत्र व्यवहार अभी चल रहा है ।

श्रम निवास व्यवस्था

*२२७. **श्री हेडा** : (क) **निर्माण, गृह और रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कारखानों में काम करने वाले मज़दूरों के अतिरिक्त अन्य श्रम जिनमें कृषि श्रम

विशेष रूप से सम्मिलित है के निवास के लिये सरकार के पास क्या योजनायें हैं ?

(ख) किन राज्यों ने इस सम्बन्ध में योजनायें बनाई हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : औद्योगिक श्रम के अतिरिक्त मज़दूरों के रहने की जगह के लिये केन्द्रीय सरकार ने अभी कोई विशेष योजनायें नहीं बनाई हैं । वित्तीय साधनों की उपलब्धि में इसकी सम्भावना नहीं है किन्तु गृह योजनाओं को इतना विस्तृत न कर देना सम्भव है कि वह साधारणतया समस्त श्रमिकों के लिये प्रयुक्त हो । इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है कि झौंपड़ियां हटाने के लिये राज्य सरकारों और स्थानीय संस्थाओं को सहायता दी जाये । तब इन योजनाओं से जो लाभ होगा वह आवश्यक रूप से औद्योगिक श्रमिकों तक ही सीमित न रहेगा ।

(ख) केन्द्रीय सहायता सम्बन्धी निश्चित योजना के अभाव में राज्य की सरकारों द्वारा इस दिशा में किये गये कार्यों को बताने की स्थिति में मैं नहीं हूं ।

नहरी पानी का विवाद

*२२८. **श्री दामोदर मेनन : प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नहरी पानी के झगड़े को तय करने के लिये भारत और पाकिस्तान में अभी बातचीत चल रही है ; और

(ख) इस मामले की ओर भारत का क्या दृष्टिकोण है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : पुनर्निर्माण और विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की प्रेरणा पर बैंक के इंजीनियरों के सहयोग से एकसूत्र हो कर काम करने के लिये सिंध की नदी व्यवस्थाओं से सिंचाई के साधनों की प्रविधिक आधार पर वृद्धि करने के उद्देश्य से भारत और पाकिस्तान ने इंजीनियरों की एक सिंध घाटी कार्यकारिणी का निर्माण किया है । जून १९५२ से अभी तक इस कार्यकारिणी की वाशिंगटन कराची और दिल्ली में तीन बैठकें हो चुकी हैं । इस मामले में भारत की स्थिति ४ मई, १९४८ को पाकिस्तान से किये गये समझौते में स्पष्ट कर दी गई है । हमारा यह विश्वास है कि सिंध घाटी की नदियों में भारत और पाकिस्तान की आवश्यकता पूर्ति के लिये पर्याप्त मात्रा में जल है । इस जल को प्राप्त करने के लिये किसी योजना की आवश्यकता है । इसी बीच ४ मई सन् १९४८ के क़रार के अनुसार भारत पाकिस्तान को पानी देता रहा है । जब तक अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के सद् प्रयत्नों से बातचीत प्रगतिपूर्ण है हम पाकिस्तान को पानी देते रहेंगे । ४ मई, १९४८ के समझौते की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत कर दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २८]**

राष्ट्रीय भवन निर्माण संघ

*२२९. **श्री के० सी० सोधिया : निर्माण,-गृह व्यवस्था और रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने राष्ट्रीय नगर और देहात योजना अधिनियम के सम्बन्ध में योजना आयोग की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ? यदि यह सत्य है तो राष्ट्रीय भवन निर्माण संघ की स्थापना की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : सम्बन्धित मंत्रालयों में इन सिफारिशों पर विस्तृत विचार किया जा रहा है । जहां तक राष्ट्रीय भवन निर्माण संघ का सम्बन्ध है योजना आयोग की सलाह

से एक आन्तरिक विभागीय समिति द्वारा उसके कार्य तथा रचना के विषय में रूपरेखा तैयार की जा रही है ।

अखिल भारत आकाशवाणी पर फ़िल्मी गीत

*२३०. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफ़िर : सूचना तथा प्रसारण मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अखिल भारत आकाशवाणी से चलचित्र नियंत्रण पर्षद् द्वारा यथोचित रूप से स्वीकृत किये गये फिल्मी गीतों के प्रसार पर प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : फिल्मी गीतों के प्रसारण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । अखिल भारत आकाशवाणी से केवल उच्च स्तरीय संगीत ही प्रसारित करने के उद्देश्य को सम्बल देने के लिये सरकार ने फिल्म-गीतों की संख्या कम करने का निर्णय किया है ।

भारत जापान संयुक्त लौह संयंत्र

*२३१. **श्री एस० ए० खान : उत्पादन मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि कलकत्ता के समीप भारतीय और जापानी लोहे के एक संयुक्त संयंत्र की योजना बन्द कर दी गई है ;

(ख) यदि यह सही है तो उसके कारण क्या हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) कलकत्ता के समीप इस प्रकार की योजना का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) इसका प्रश्न ही नहीं उठता है ।

भारतीय विकास और अनुसन्धान केन्द्र

१९०. **श्री कर्णी सिंह जी** : **सिंचाई और शक्ति** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या जोधपुर (राजस्थान) में भारतीय विकास और अनुसन्धान केन्द्र में कार्य प्रारम्भ हो गया है ;

(ख) यदि यह बात सही है तो निम्न दिशा में क्या किया गया है :

(i) राजस्थान के जलसाधनों के विकास के लिये ;

(ii) अनुपजाऊ क्षेत्र को कृषि-योग्य बनाने के लिये ;

(iii) राज्य के भूगर्भ, भूभौतिकी और जलसम्बन्धी क्षेत्र का परिमाप करने के लिये ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) नहीं, श्रीमान् । इस प्रस्ताव पर अभी भारत सरकार विचार कर रही है ।

(ख) (क) भाग के उक्त उत्तर की स्थिति में यह प्रश्न आवश्यक ही नहीं रह जाता है ।

खान कम्पनियां

१९१. **श्री ईश्वर रेड्डी : उद्योग और वाणिज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत के अन्दर समाविष्ट प्रत्येक राज्य में कितनी कम्पनियां हैं ; और

(ख) प्रत्येक कम्पनी किस खनिज पदार्थ में काम करती हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है किन्तु उचित अवधि में सदन पटल पर प्रस्तुत कर दी जायगी ।

समुद्र पार जाने वाले निर्यात

१९२. **डा० राम सुभग सिंह : वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२-५३ के उत्तरार्द्ध में

(i) वैयक्तिक और (ii) सरकारी हिसाब से समुद्र पार निर्यात के आंकड़े क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : वैयक्तिक और सरकारी हिसाब से भारतीय निर्यात अंकों का सरकारी रूप में अलग अलग उल्लेख नहीं है ।

काम स्थगित करने वाले चाय बागान

१९३. श्री बर्मन : वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विभिन्न राज्यों में काम स्थगित करने वाले चाय बागानों की संख्या ;

(ख) नौकरी से निकाले गये मज़दूरों की संख्या ; और

(ग) प्रत्येक बगीचे के अंशधारकों (शेअर होल्डर्स) की संख्या कितनी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) १०७ ।

(ख) ६०,४५६ ।

(ग) सरकार के पास ज्ञातव्य नहीं है ।

विदेशों में भारतीय

१९४. श्री बर्मन : प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विदेशों में रहने वाले भारतीयों और भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की अलग अलग संख्या कितनी है ?

(ख) अपने अधिवास के देश की राष्ट्रीयता स्वीकार करने वाले व्यक्तियों की संख्या ; और

(ग) उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने अधिवास की राष्ट्रीयता स्वीकार नहीं की है अथवा जिन्हें यह सुविधा अस्वीकृत कर दी गई है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : माननीय सदस्य द्वारा अपेक्षित ज्ञातव्य अत्यधिक परिश्रम के अभाव में प्राप्त करना अत्यन्त कठिन और कदाचित ही सम्भव है : बर्मा, श्रीलंका, मलाया, पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी द्वीप समूहों में रहने वाले बहु-संख्यक भारतीय वहां स्थायी अथवा स्थायी सदृश ही वहां रहने लगे हैं । बहुत से व्यक्तियों ने अभी यह निश्चय नहीं किया है कि वे भारतीय राष्ट्रीयता को अंगीकृत करेंगे अथवा अपने अधिवास के देश के नागरिक बनेंगे । वर्तमान अवस्था में यह कहा जा सकता है कि वे सब व्यक्ति भारतीय नागरिक समझे जायेंगे जिनके पास भारतीय पारपत्र हैं अथवा जिन्होंने विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में अपने नाम दर्ज करवा दिये हैं । यदि उक्त सूचना से माननीय सदस्य सन्तुष्ट हों तो उसे उचित समय में सदन पटल पर प्रस्तुत कर दिया जायगा ।

सिंगापुर और मलाया से व्यापार

१९५. श्री के० के० बसु : उद्योग और वाणिज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९४७ से सिंगापुर और मलाया से किये गये आयात और निर्यात का कुल मूल्य ; और

(ख) आयात और निर्यात के मुख्य पदार्थ ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सदन पटल पर विवरण पत्र रख दिया गया है ।

(ख) निर्यात और आयात के मुख्य पदार्थों को बतलाने वाला एक वृत्तान्त भी सदन पटल पर प्रस्तुत है ।

(क) और (ख) के लिये **देखो परिशिष्ट २ अनुबन्ध संख्या २९]**

पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित करने के लिये जन-बल

१९६. **श्री एस० सी० सामन्त : योजना मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या किसी भारतीय राज्य में जलबन्दियों को बांध निर्माण आदि के कार्य में लगाया गया है ; और

(ख) यदि ऐसा किया गया है तो उन राज्यों के नाम काम में लगाये गये बन्दियों की संख्या और कार्य का स्वरूप क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां ।

(ख) मद्रास राज्य की तुंगभद्रा योजना में दो हज़ार बन्दियों को काम में लगाया गया है । उत्तर प्रदेश के बनारस ज़िले के सम्पूर्णानन्द कैंप में लगभग २००० से अधिक चुने हुये बन्दियों को चन्द्रप्रभा बांध पर लगाया गया है । बम्बई और मैसूर में बन्दियों को जनकार्य में लगाने की योजनायें शीघ्र ही स्वीकृत की जाने वाली हैं । बिहार और राजस्थान में इस प्रकार की योजनाओं पर सक्रिय विचार किया जा रहा है ।

हंगरी से व्यापार क़रार

१९७. **श्री नानादास : वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारत और हंगरी में एक व्यापार क़रार उपसंहृत किया गया है ;

(ख) क्या इस क़रार में आयात और निर्यात की विशेष मात्रा निर्दिष्ट की गई है ;

(ग) उस क़रार के अनुसार प्रस्तावित आयात निर्यात का कुल मूल्य ;

(घ) क्या इस क़रार की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत की जायगी ; और

(ङ) क्या अभ्रक क़रार की सूची में दी गई वस्तुओं में सम्मिलित है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् । पत्र-विनिमय के आधार पर दोनों देशों में १९५२-५३ के लिये एक व्यापार-क़रार किया गया है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) इन व्यापार-पत्रों की प्रतियां सदन के पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

(ङ) नहीं, श्रीमान् ।

गृह उद्योगों के लिये बोर्ड

१९८. **श्री एम० एल० द्विवेदी : वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृप करेंगे :

(क) अखिल भारत गृह उद्योग बोर्ड को समाप्त कर उसके स्थान पर अखिल भारत हाथ करघा बोर्ड, अखिल भारत हस्त शिल्प बोर्ड और खादी बोर्ड की स्थापना के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इन सब बोर्डों की स्थापना कर दी गई है ;

(ग) इन बोर्डों के सदस्य कौन कौन हैं ;

(घ) क्या सरकार इन बोर्डों के कार्य को स्पष्ट करने वाले विवरण पत्र सदन पटल पर प्रस्तुत करने का विचार कर रही है ;

(ङ) इस परिवर्तित व्यवस्था के फलस्वरूप प्रतिवर्ष व्यय में कितनी कमी होगी ;

(च) क्या इनमें से किसी बोर्ड ने काम करना प्रारम्भ कर दिया है ; और

(छ) यदि उक्त तथ्य सही है तो क्या उन्होंने विशेषत: इन वस्तुओं को (i) भारत और (ii) विदेशों में जनप्रिय बनाने के लिये कोई सिफ़ारिशें प्रस्तुत की हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ऐसा विचार है कि एक बोर्ड के स्थान पर अपने अपने विषय के विशेषज्ञ और अनुभव प्राप्त व्यक्तियों से युक्त अलग अलग बोर्ड बनाने पर अधिक अच्छा परिणाम निकलेगा ।

(ख) हां ।

(ग) और (घ). अपेक्षित सूचना की जानकारी देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत है । **[दखिय परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३०]**

(ङ) वर्तमान स्थिति में यह निर्धारित नहीं किया जा सकता ।

(च) सब ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है ।

(छ) अखिल भारत हाथकरघा बोर्ड ने निम्न योजनायें प्रस्तुत की हैं :—

(i) हाथकरघे कपड़े का प्रचार आन्दोलन सम्बन्धी संगठन करने के लिये एक आन्तरिक, विपणन संघ स्थापित किया जाय । इसका मुख्य कार्यालय मद्रास में तथा अन्य बड़े नगरों में कार्यालय रहेंगे । इनका कार्य विपणन और विक्रय में अभिवृद्धि करने के अतिरिक्त उत्पादन की कार्यविधि में अनुसन्धान और सुधार करना होगा ।

(ii) वेतन और आढ़त पर काम करने वाले अधिकारियों का एक बाह्य विपणन संघ की स्थापना जो मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया की सात चुनी हुई मण्डियों में विक्रय के लिये तथा नवीन वाणिज्य क्षेत्र पैदा करने के लिये काम करेगा ।

सिंदरी में नये कारख़ाने

१९९. श्री ए० सी० गुहा : उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सिंदरी में किसी नवीन कारखाना स्थापित करने की योजना अथवा प्रस्ताव है ;

(ख) यदि उक्त बात सच है तो

(i) वे कारखाने कौन कौन से हैं ;

(ii) उनका अर्थ वहन किस प्रकार किया जायगा ;

(iii) उनकी व्यवस्था किस प्रकार होगी ; और

(ग) क्या युद्ध की हानिपूर्ति से सम्बन्धित जर्मनी से प्राप्त मशीनें सिंदरी में काम में लाई जा रही हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) हां ।

(ख)

(i) ६०० टन न्यांगार (कोक) एक न्यांगार कन्दु संयन्त्र (कोक ओवन प्लांट) ;

(२) भुजलेप (सीमेंट) के उत्पादन, उर्वरक कारखाने के उपोत्पादक चूर्णातु प्रांगारीय अवपंक (केल्शियम कारवोनेट स्लज) का उपयोग करने के लिये एक सीमेंट कारखाना ;

(३) मिह (अरीया) अथवा तिक्तातु भूयीय (अमोनियम नाइट्रेट) के निर्माण के लिये एक संयंत्र ; और

(४) प्रोदीन्यव (मेथानोल) उत्पादन के लिये एक संयंत्र (ii) और (iii) न्यांगार कन्दु और प्रोदीन्वय संयंत्र की अर्थ व्यवस्था सिंदरी उर्वरक और रसायन मर्यादित (सिंदरी फ़र्टिलाइज़र्स एण्ड केमीकल्स लिमिटेड) करेगा ।

मिह (अरीया) अथवा तिक्तातु भूयीय (अमोनियम नाइट्रेट्स) सम्बन्धी योजना पर अभी अनुसन्धान किया जा रहा है । संयन्त्र प्रारम्भ हो जाने पर सिन्द्री फ़र्टिलाइज़र्स और केमीकल्स इसकी व्यवस्था करेंगे ।

(ग) जर्मनी से युद्ध की हानिपूर्ति स्वरूप मिले उत्पादन हेतु उपयोग में लाया जायगा ।

अमरीका द्वारा ख़रीदी गई पटसन की वस्तुयें

२००. **श्री ए० सी० गुहा : वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५२ में (जनवरी से दिसम्बर) प्रत्येक महीने के अनुसार अमरीका द्वारा खरीदी गई भारतीय पटसन की वस्तुओं की मात्रा ;

(ख) हर एक वस्तु का प्रति माह मूल्य ;

(ग) भारतीय पटसन की वस्तुओं और यूरोपीय देशों में बनी हुई पटसन की वस्तुओं में कहां तक समानता है ; और

(घ) अमरीका ने भारत के अतिरिक्त अन्य देशों से कितने प्रतिशत खरीद की थी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) नहीं । अमरीका द्वारा वास्तविक खरीद के विषय में सूचना प्राप्त नहीं है । अमरीका में निर्यात की गई पटसन की वस्तुओं की मात्रा और १९५२ में इन प्रमुख वस्तुओं की कलकत्ता का बाजार भाव बताने वाला विवरण पत्र सदन पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३१]**

(ग) और (घ). सरकार देश के बाहर के व्यपारिक कार्यों के विषय में कोई भी अधिकृत परिगणन बताने की स्थिति में नहीं है ।

नारियल की जटा

२०१. **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) इस देश में १९५२ में शिल्पित और अशिल्पित नारियल की जटा का उत्पादन कितना है ?

(ख) क्या १९५२ में किन्हीं देशों को किसी मात्रा में इसका निर्यात किया गया था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) १९५२ के पत्री वर्ष के उत्पादन अंक प्राप्त नहीं हैं । नारियल की जटा पैदा करने वाले सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र , ट्रावनकोर-कोचीन ने सन् १९५१-५२ में १५,६०,००० हंडरेडवेट और पश्चिमी बंगाल ने ८३,००० हंडरेडवेट नारियल की जटा का उत्पादन किया ।

अन्य राज्यों से सूचना एकत्रित की जा रही है और उचित समय में सदन पटल पर प्रस्तुत कर दी जायगी ।

(ख) १९५१-५२ में १२,२७,००० हंडरेडवेट नारियल की जटा निर्यात की गई थी ।

मोटरकार और साइकलों की ख़रीद

२०२. **श्री वी० पी० नायर : निर्माण, गृह व्यवस्था और रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) राजकीय उपयोग के लिए भारत सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली साइकलों और मोटरकारों की वार्षिक अनुमानित आवश्यकता; और

(ख) क्या सरकार सदन पटल पर वह विवरण पत्र रखने को तैयार है जिसमें भारत निर्मित साइकलें और कम्पनी का नाम

और विदेश निर्मित साइकलें और कम्पनी का नाम, प्रत्येक साइकल का लागत मूल्य और सन् १९४७, १९४८, १९४९, १९५०, १९५१ और १९५२ में भारत और विदेश में बनी साइकलों पर खर्च की गई कुल रकम दी गई है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उप-मंत्री (श्री बुरा गोहिन) : (क) विभिन्न वर्षों में विभिन्न मात्रा खरीदी गई है। गत वर्ष के तथ्यों पर आधारित आगामी वर्ष की आवश्यकता इस प्रकार हो सकती है :—

साइकलें लगभग २०००

मोटरकार जिनमें जीपगाड़ियां भी सम्मिलित हैं ८००

इस्पात की आवश्यकता

२०३. **श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** (क) **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५३-५४ में भारत को विभिन्न श्रेणियों के कितने इस्पात की आवश्यकता पड़ेगी।

(ख) पत्नी वित्तीय वर्ष में इसका कितना भाग भारत में उत्पादित किया गया था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). एक विवरण पत्र सदन पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है।

विवरण

वर्ग	१९५३-५४ में मांग	†१९५२-५३ में उत्पादन (अप्रेल से नवम्बर १९५२)
(१)	(२)	(३)
	(टनों में)	(टनों म)
पटरियां और बनावट-कार्य	७५०,०००	१८०,११७
पत्तर	४००,०००	१६२,९५४
छड़ें और डंडिया	६५०,०००	२२९,१९४
चद्दरें	२००,०००	४६,०७४
टीन की चद्दरें	१३०,०००	४३,९७८
तार और तार से बनी वस्तुएं	४०,०००	२२,५१५
नालियां और ट्यूब	६०,०००	नहीं
पहिये, टायर और धुरियां	५०,०००	१५,१०७
अन्य	६०,०००	२७,०६८

† वर्ष के शेष भाग के आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हैं।

कच्चे लोहे का निर्यात

२०४. **श्री माधव रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सन् १९५०-५१ में भारत से निर्यात किये गये कच्चे लोहे की मात्रा बतलाने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : ८४,५१३ टन।

जापानी पेन्सिलें

२०५. **श्री एम० आर० कृष्ण** : **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि बृहद् मात्रा में सस्ती जापानी पेन्सिलें अनुचित रूप से भारत में आ रही हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : सरकार इस अनुचित आयात से अनभिज्ञ है।

गण्डक नहर योजना

२०६. **पंडित डी० एन० तिवारी** : **सिंचाई और शक्ति** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने बिहार में गण्डक नहर योजना की जांच के लिए ४८,००० रुपये की स्वीकृति दी थी;

(ख) क्या भारत सरकार ने योजना की जांच करना प्रारम्भ कर दिया है अथवा क्या उन्होंने बिहार सरकार को इस सम्बन्ध में जांच करने के लिए आदेश दे दिए हैं ;

(ग) क्या इस स्वीकृत विधि में से कुछ भाग खर्च किया गया है अथवा सम्पूर्ण भार बिहार सरकार ने उठाया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) नहीं, श्रीमान् । भारत सरकार ने भारत भू-परिमाप द्वारा गण्डक घाटी के परिमाप के लिए १९४७-४८ में २२,००० रु० की निधि स्वीकृत की थी ।

(ख) भारत भू-परिमाप ने केवल गण्डक घाटी का परिमाप किया था। जांच का अन्य कार्य बिहार सरकार ने किया था।

(ग) २२,००० रुपये की स्वीकृत निधि में १७,४१२ रु.० खर्च कर दिया गया।

भारतीय कहवा बोर्ड श्रमिक संघ

२०७. **श्री नम्बियार: वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कहवा बोर्ड में चतुर्थ श्रेणी के १,२०० कर्मचारी काम करते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इनमें से लगभग ९०० कर्मचारी भारतीय कहवा बोर्ड श्रमिक संघ के सदस्य हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उक्त संघ को मान्यता देने से मना कर दिया है और यदि ऐसा किया है तो उसका क्या कारण है; और

(घ) क्या संघ को मान्यता प्रदान करने के लिए सरकार को प्रार्थना पत्र दिया गया था और यदि यह बात सही है तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) भारतीय कहवा बोर्ड के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या १,१४४ है।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर प्रस्तुत कर दी जायगी।

(ग) और (घ) मान्यता इसलिए नहीं दी गई थी कि संघ चतुर्थ श्रेणी के समस्त कर्मचारियों का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करता था और सरकार ने इस प्रकार के संघों को मान्यता स्वीकार करने के लिए जो शर्तें निश्चित कर रखी हैं संघ उनको संतुष्ट नहीं कर सका।

रेशमी कपड़े और सूत का आयात

२०८. **श्री झूलन सिन्हा :** (क) **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१ और १९५२ में भारत में कितना रेशमी कपड़ा और सूत आयात किया गया था ;

(ख) यदि इस देश को रेशम के सम्बन्ध में स्वभरित बनाने का प्रयत्न किया जाय तो इस उद्योग का विकास करने में कितना समय चाहिए ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) —

	रेशमी वस्त्र	रेशमी सूत
१९५१	२२,६७२ पौंड (लगभग ३९१,५०० गज)	६०,०४२ पौंड
१९५२	३२,६७४ पौंड (लगभग ६७०,००० गज)	१२,३५९ पौंड

(ख) अनुमान है कि यह निर्देश कच्चे रेशम की ओर है। अभी इस दिशा में संकेत करना कठिन है।

बड़ौदा प्रसारण केन्द्र

२०९. **डा० अमीन :** (क) **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बड़ौदा में प्रसारण केन्द्र निर्माण करने का कुल लागत मूल्य कितना है ;

(ख) क्या यह सच है कि स्वर्गीय श्री सयाजी राव हीरक जयन्ती निधि से बड़ौदा के प्रसरण केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है और सरकार केवल इसके निर्वाह के लिए खर्च कर रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) और (ख) प्राप्त सूचना के अनुसार पूर्व बड़ौदा प्रसरण केन्द्र के निर्माण में कुल ४,४९,७८० रु० खर्च हुआ था। मालूम हुआ है कि इसका अधिकांश भाग हीरक जयन्ती न्यास निधि से पूरा किया था। यह सत्य नहीं है कि भारत सरकार केवल केन्द्र के निर्वाह के लिए ही खर्च कर रही है। १६ दिसम्बर १९४८ को १,८९,१२२ रु० देने के पश्चात् जोकि उस दिन इसका कुल और विशुद्ध मूल्य निर्धारित किया गया था यह केन्द्र अखिल भारत आकाशवाणी द्वारा ले लिया गया था। २९ अप्रेल १९५१ से अहमदाबाद और बड़ौदा संयुक्त और सम्बद्ध केन्द्रों की भांति काम कर रहे हैं। दोनों नगरों के बीच में स्थापित करने के उद्देश्य से दोनों केन्द्रों के लिए एक शक्तिशाली दूरप्रेषक रखने की योजना है।

शुक्रवार,
२० फरवरी, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

शुक्रवार, २० फ़रवरी, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद-पर आसीन थे।]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

३ म० प०

स्थगन प्रस्ताव

पश्चिमी बंगाल में न्यूनतम मजदूरी ढांचा

उपाध्यक्ष महोदय: मझे बंगाल सरकार एवं बङ्गाल विधान-मंडल द्वारा मजदूरी में कमी करने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की पूर्व सूचना मिली है।

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर): मेरा प्रस्ताव बङ्गाल विधान मंडल द्वारा की गई कार्यवाही के विरोध में नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं यह जानना चाहता हूं कि यह विधान किसके द्वारा स्वीकार किया गया है? मैं सर्वप्रथम माननीय सदस्य से कुछ सूचना चाहूंगा उन का कथन है :—

"भारत सरकार का यह कार्य कि बङ्गाल सरकार को न्यूनतम मजदूरी ढांचे के सम्बन्ध में एकपक्षीय कार्यवाही स्वयं करने....."

पश्चिमी बङ्गाल द्वारा क्या एकपक्षीय कार्यवाही की गई है?

श्री टी० के० चौधरी: पश्चिमी बङ्गाल सरकार ने एक विज्ञप्ति चाय के खेतों में कार्य करने वाले मज़दूरों की न्यूनतम मजदूरी तथा खाद्य सामग्री रियायत देने के सम्बन्ध में गज़ट में प्रकाशित की है जिस से उन को क्षति पहुंची है एवं आर्थिक हानि भी हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या केन्द्रीय सरकार को या संसद् को पश्चिमी बङ्गाल द्वारा किये गये कार्य पर संविधान के अन्तर्गत पुनः विचार करने का क्षेत्राधिकार है?

श्री टी० के० चौधरी: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम केन्द्र के अधीन है।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य का विचार है कि यह समवर्ती सूची के अधीन है? मान लिया जाय कि यदि ऐसा है तो क्या संसद् पश्चिमी बङ्गाल की कार्यवाही को बदल सकता है? माननीय मंत्री को क्या कहना है?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): जहां तक केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का श्रम मामलों में सम्बन्ध है, यह समवर्ती विषय है, और ऐसे विषयों में जो प्रथा चली आ रही है उसी के अनुसार तय होता है। न्यूनतम मज़दूरी के सम्बन्ध में यहां कानून बन चुके हैं, किन्तु उस सम्बन्ध में कार्यपालिका शक्ति राज्य सरकार में ही निहित है। इस विषय में जहां तक केन्द्रीय सरकार के उत्तरदायित्वों का सम्बन्ध है, स्थगन प्रस्ताव यह बताता है :

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

"संसद् के दोनों सदनस्थलों पर दिये गये दृढ़ आश्वासन कि चाय के उत्पादन में लगे हुए मज़दूरों द्वारा उपभोग किए गये लाभों को नहीं छीना जायगा, के भङ्ग होने पर....."

मैं समझता हूं कि यह इस सदन तथा उस सदन के सदस्यों द्वारा पूछे गये, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा की गई जांच के क्षेत्र के विषय में अर्थात् श्री राजाराम राव, प्रश्नों से सम्बन्धित है। उस सम्बन्ध में मैं कह चुका हूं कि न तो इस कर्मचारी को मज़दूरी के प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता थी और न तो इस मामले पर हम ही कोई सिफारिशें स्वीकार करने को तैयार थे। इस विषय में भारत सरकार जो कुछ कर सकती है वह है केवल सलाहकारों के रूप में काम करना और पक्षों को सहमत कराना। वह मेरे माननीय साथी श्रम मंत्री ने किया है और पुनः करने जा रहे हैं। श्रम मंत्री कुछ दिनों में शिलांग जा रहे हैं। वे इस मामले पर सम्बन्धित हितों से तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों से भी बात चीत करेंगे। जहां तक चाहे पश्चिमी बङ्गाल सरकार या आसाम सरकार द्वारा इस मामले में की गई कार्यवाही का सम्बन्ध है, स्थिति की निष्पक्षता चाहे कुछ भी हो, उन्हों ने जो कुछ किया है उस को करने के लिये वे पूर्णरूपेण समर्थ हैं। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि मजदूरों ने यह अनुभव किया है कि उन के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया है। इन राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही से चाय बाग़ों का बन्द होना तो रुक ही गया है। आज प्रातः के समाचार पत्र से विदित होता है कि कुछ चाय के बाग फिर खुल गये हैं। अतः चाय बाग़ों के चलते रहने और मज़दूरों को नौकरी देने की दृष्टि से उन का कार्य उचित ही जान पड़ता है। मैं इस विषय की अधिक विवेचना नहीं कर सकता क्योंकि मैं उस के लिये साधिकार नहीं हूं।

श्री टी० के० चौधरी उठे--

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य अपनी बात स्पष्ट कर चुके हैं। अब तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि यह मूलतः पश्चिमी बङ्गाल सरकार का कार्य है और उस के द्वारा निश्चित की गई नयूनतम मज़दूरियों के पुनरीक्षण का संसद् को कोई अधिकार नहीं है। माननीय श्रम मंत्री ने यह भी कह दिया था कि वह वहां जाकर त्रिपक्षी सम्मेलन का प्रयटन करेंगे। अभी उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि चाय बाग़ों का बंद होना रोकने के लिये यदि बङ्गाल सरकार कुछ पग उठाती है तो वह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बनना चाहिये। श्रम मंत्री के आ जाने पर तथा आय व्ययक तथा वित्त विधेयक की परिचर्चा के समय माननीय सदस्यों को सुझाव रखने का भी मौका मिलेगा। अतः मैं इसे स्थगन प्रस्ताव के उपयुक्त नहीं समझता।

अब सचिव कुछ सन्देश पढ़ेंगे :

राज्य परिषद् से संदेश

सचिव: मुझे राज्य परिषद् के सचिव से प्राप्त दो सन्देश पढ़ने हैं :

(१) "राज्य-परिषद् के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम ९७ के उपबन्धों के अनुसार, मुझे छावनी (संशोधन) विधेयक १९५२ की, जो प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया था और जिसे राज्य-परिषद् ने १८ फरवरी, १९५३ को हुई अपनी बैठक में यथा संशोधित रूप में पारित कर दिया है, एक प्रति साथ भेजने का निदेश मिला है; और

(२) "राज्य-परिषद् के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम ९७ के अनुसार मुझे पशु आयात

(संशोधन) विधेयक १९५३, की जिसे राज्य-परिषद् ने १८ फरवरी १९५२ को हुई अपनी बैठक में पारित किया है, की एक प्रति साथ भेजने का निदेश मिला है।"

पटल पर रखे गये पत्र

(१) छावनी (संशोधन) विधेयक

(२) पशु आयात (संशोधन) विधेयक

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री बी० दास : (जयपुर–क्योंझर) : मैं निम्नांकित को प्रस्तुत करना चाहता हूं :—

(१) "जापानी कपड़े के आयात तथा विक्रय" पर लोक लेखा समिति का चौथा प्रतिवेदन;

(२) विनियोजन-लेखा (रेलवे) तथा (डाक तथा तार) १९४९–५० तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति का पांचवां प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये ४ ओ. ओ. (६०)]**

भारतीय तटकर (संशोधन) विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं भारतीय तटकर अधिनियम १९३४ में फिर संशोधन करने वाले एक विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि:

"भारतीय तटकर अधिनियम १९३४ में पुन: संशोधन करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को प्रस्तावित करता हूं।

निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति-प्रशासन (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब अन्य विधेयकों को लेगा। श्री ए० पी० जैन।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं कि :

"निष्क्रमणार्थी-सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम १९५० में फिर संशोधन करने वाले विधेयक को प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचारार्थ ग्रहण किया जाय।"

प्रवर समिति का प्रतिवेदन कुछ समय से सदन के सामने है। प्रवर समिति ने कुछ परिवर्तन किये हैं जो विशिष्ट प्रकार के नहीं हैं बल्कि वे विधेयक में बहुत काफी सुधार कर देते हैं। प्रवर समिति द्वारा किये गये परिवर्तनों के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण देना आवश्यक नहीं क्योंकि उन का ब्यौरा स्वयं प्रतिवेदन में दिया गया है और अपनी बात स्वयं बताता है। प्रवर समिति के प्रतिवेदन में २ विमति टिप्पण भी संलग्न हैं। उन में से एक श्रीमती सुचेता कृपलानी का है। वस्तुत: वह विमति टिप्पण बहुत कुछ एक विचार की अभिव्यक्ति भर है, बहुमत प्रतिवेदन से उस में कोई बड़ा अन्तर नहीं है। श्री देशपांडे ने दूसरा विमति टिप्पण दिया है। वे इस समस्या को उस दिशा से बिल्कुल विपरीत दशा में ले रहे हैं जिस में मैं ने यह विधेयक सदन के सम्मुख रखा था। हमारा अभिप्राय निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति अधिनियम से अपने उन प्रजाजनों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करना था जिन का पाकिस्तान को प्रव्रजन करने का कोई विचार नहीं है।

श्री देशपाण्डे: चाहते हैं कि निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम के उपबन्धों को अधिक बड़ा बनाया जाय जो स्वभावत

[श्री ए० पी० जैन]

उन लोगों की कठिनाइयों को और अधिक बढ़ा देगा जिन को हम कुछ आराम देना चाहते हैं। अतएव यह सम्भव नहीं कि उन के टिप्पण में आग्रह किये गये विभिन्न विषयों से सहमत हुआ जासके क्योंकि वे विधेयक की आत्मा के ही विरुद्ध जाते हैं। वस्तुतः जब से मैं इस मंत्रालय का प्रभारी रहा हूं मैं सदा यह अनुभव करता रहा हूं कि निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति विधि एक विशेष प्रकार की विधि है जो हमारी इच्छा और आकांक्षा के विरुद्ध हमारे ऊपर लादी गई है। यदि पाकिस्तान ने अपना भाग अदा किया होता अर्थात् यदि पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों को अपनी सम्पत्ति से लाभ उठाने दिया जाता, उन से लगान या अन्य लाभ लेते रहते तो इस विधान को बढ़ाने की हमें आवश्यकता न रहती। पर पाकिस्तान ने उल्टा किया और इसलिये हमें भी इस विधान को संविदा पुस्तक में रखने के लिये विवश होना पड़ा। मुझे हर्ष है कि हम अब ऐसी स्थिति में पहुंचे र हैं, अच्छा हो यदि पाकिस्तान के साथ सहमत होकर पहुंचें, जब निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति विधि की आवश्यकता ही न रहेगी। सदन को विदित है कि निष्क्रमणार्थी सम्पत्तियों के निबटारे के सम्बन्ध में हमारे पास कुछ योजनाएं हैं और यदि वे सफल हो सकीं तो जैसी मुझे आशा है इस विधि की आवश्यकता समाप्त हो जायगी। और मैं समझता हूं कि जितनी ही शीघ्र यह विधान समाप्त हो जाय उतना ही हम सब के लिये अच्छा है।

मैं एक शब्द और कहूंगा कि सदन के विभिन्न सदस्यों द्वारा पटल पर रखे गए संशोधनों की सूची में मैं देखता हूं कि कुछ का सम्बन्ध दीवानी अदालतों के कार्यक्षेत्र से है। उन में सुझाया गया है कि इस विषय या उस विषय में दीवानी अदालत का कार्यक्षेत्र रहे। निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति विधि की सारी की सारी योजना उसे दीवानी अदालतों के कार्य क्षेत्र से अलग रखना और निष्क्रमणार्थी विषयों को निबटाने वाले अधिकारियों का अधिपत्य अलग रखना ही रही है। कठिनाइयां हुई होंगी, कभी-कभी न्याय भी नहीं हुआ होगा और वह तो सदैव दीवानी अदालतों में भी नहीं होता—फिर भी सब मिला कर हम ने देखा है कि हम ने जो विशेष अधिकारी वर्ग खड़ा कर रखा है उस ने बड़ी अच्छी तरह से इस विधि का प्रशासन किया है। मुझे भरोसा नहीं कि दीवानी अदालतों का कार्य क्षेत्र बढ़ाने से कोई विशेष सफलता मिलेगी। इसी कारण हम ने मूल विधेयक में दीवानी अदालतों के कार्यक्षेत्र का प्रश्न नहीं उठाया था और न यह प्रवर समिति के सामने ही आया है।

जहां तक मेरा अनुभव है, मैं इस निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति विषयक बातों में दीवानी अदालतों की बाधा पसन्द न करूंगा। फिर भी यदि आवश्यक हुआ तो मैं इस प्रश्न पर अलग विचार करने के लिये उद्यत रहूंगा। पर इस विधेयक में यथा स्थिति दीवानी अदालतों का कुछ कार्यक्षेत्र रखने के प्रश्न पर विचार करना सम्भव नहीं क्योंकि वह विधेयक की वर्तमान मूल रूप योजना के ही विरुद्ध है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त कर दूंगा और सदन के माननीय सदस्यों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करूंगा तथा अन्त में उठाई गई बातों को निबटाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : परिचालन और प्रवर समिति को निर्देश सम्बन्धी संशोधनों को मैं देर करने वाला मानता हूं। मैं माननीय सदस्यों के विचार जानना चाहूंगा।

श्री वी० जी० देशपाण्डे (गुना) : जब इस विधेयक पर मूल रूप से सदन में विचार हो रहा था और लोक मत इस पर मांगा गया था तो माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि शरणार्थियों की संस्थाओं के प्रतिनिधियों को एक अवसर दिया जायगा कि वे प्रवर समिति के समक्ष अपने दृष्टिकोण रख सकें। तब अखिल भारतीय शरणार्थी संस्था विशेष रूप से अन्य संस्था में भी प्रवर समिति के समक्ष आना चाहती थीं किन्तु उन को अवसर ही नहीं दिया गया। इस विधेयक पर लाखों शरणार्थियों का जीवन निर्भर है। अत: इस विधेयक को पारित करने के पूर्व लोक मत लेना अत्यन्त आवशयक है। इस पर विवाद की भी आवश्यकता है विशेषकर "इच्छुक निष्क्रमणार्थी" की परिभाषा पर जब कि पाकिस्तान में इस विधेयक में यह उपबन्ध है कि इस उपबन्ध को समाप्त कर दिया जाय। इस के अतिरिक्त प्रधान संरक्षक की शक्तियों पर भी बड़ा वाद-विवाद चल रहा है। इन कार्यों से लाखों मनुष्य प्रभावित होते हैं। अत: सम्बन्धित लोगों से इस सम्बन्ध में परामर्श करना आवश्यक है। यह प्रस्ताव मामले को देर से सुलझाने वाला नहीं वरन् विशेष वाद-पद उठाना है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य भी प्रवर समिति के सदस्य थे। क्या कोई स्मरण पत्र इन संस्थाओं द्वारा प्रेषित किया गया था ?

श्री वी० जी० देशपण्डे : अखिल भारतीय शरणार्थी संस्था ने स्मरण पत्र द्वारा अपना मामला प्रवर समिति के समक्ष रखने की स्वीकृति मांगी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : वे अपना स्मरण पत्र डाक द्वारा भेज सकते थे क्या उन्होंने ऐसा किया ?

श्री वी० जी० देशपाण्डे : उन को इतना मौका नहीं था। मैं ने प्रवर समिति में स्पष्ट कहा था कि यदि कोई शरणार्थी संस्था अपना प्रतिनिधित्व करना चाहे तो उसे अवसर दिया जाना चाहिये। कुछ स्वेच्छा से आये हुए स्मरण पत्रों पर विचार किया गया था। अब अनेक शरणार्थी आकर कहते हैं कि पट्टा सम्बन्धी अनुबन्ध बड़ा हानिप्रद है। इस से हिन्दुओं के साथ मुसलमानों की अपेक्षा अधिक अन्याय होता है क्योंकि अधिकतर पट्टेदार हिन्दू ही हैं। अत: हम देखते हैं कि इस अनुबन्ध से तमाम शरणार्थी प्रभावित हुए हैं।

श्री ए० पी० जैन : केवल एक पत्र प्राप्त हुआ था जो चोइथराम गिडवानी का था। पत्र १९ सितम्बर १९५२ का है। यह स्मरण पत्र नहीं था। सदन के हित के लिये मैं पत्र तथा अपना उत्तर पढ़ूंगा। श्री गिडवानी ने १९ सितम्बर १९५२ को मुझे लिखा था :

> "निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति संशोधन विधेयक के प्रस्तुत करते समय सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि शरणार्थी संस्थाओं को प्रवर समिति के समक्ष इस के सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण रखने का मौका दिया जायगा। अखिल भारतीय शरणार्थी संस्था अपना मत समिति के समक्ष रखने की अत्यधिक इच्छा रखती है। मैं अत्यन्त कृतज्ञ हाऊंगा यदि आप कृपया मुझे समिति के सुनने की तिथि बता सकें।"

यह पत्र मुझे २० ता० को दिया गया था और मैं ने उन को जो उत्तर भेजा था निम्न प्रकार से था :—

> "आप के पत्र की प्रतिलिपि मुझे आज ८ बजे प्रात: (अर्थात् २० सितम्बर, १९५२) को श्री अचिन्त राम द्वारा

[श्री ए० पी० जैन]

प्रवर समिति की प्रथम बैठक में मिली। मूल पत्र (अर्थात् जो मेरे पास श्री गिडवानी ने भेजा) मेरे पास लगभग १२–१५ दोपहर समिति की दूसरी बैठक में प्राप्त हुआ। मैं ने एक घोषणा की कि विस्थापित लोगों को प्रवर समिति के समक्ष अपने विचार रखने की अनुमत कुछ माह पूर्व थी, किन्तु आप की संस्था ने अपनी प्रार्थना सहित पहले से मुझ से भेंट नहीं की। अब भी जब कि प्रवर समिति की बैठक पिछले चार दिनों से हो रही है आप का प्रार्थना पत्र अन्तिम दिवस आया और उस में भी स्मरणपत्र नहीं है जिस में आप के द्वारा उठाये गये विवाद बिन्दुओं तथा संस्था का इस मत पर दृष्टिकोण क्या है, नहीं संलग्न किये गये हैं। आप का पत्र समिति के समक्ष रखा गया था। चूंकि समिति उस समय तक व्यवहारात्मक रूप से अपना कार्य पूरा कर चुकी थी, मैं आप की संस्था से इस अन्तिम दशा में मिलने की समिति की असमर्थता की सूचना आप को दे रहा हूं।"

वास्तव में पत्र मिलने के समय समिति अपनी सभी कार्यवाहियां समाप्त कर चुकी थी, और केवल हस्ताक्षर ही संलग्न करने को रह गये हैं।

श्री गिडवानी (थाना) : हम लोगों को सूचना नहीं थी कि समिति की बैठक चल रही है। न तो संस्थाओं को ही सूचित किया गया था कि उन्हें सबूत देने पड़ेंगे जैसा कि ऋण संराधना विधेयक के सम्बन्ध में हुआ था और तब हम ने अपने प्रतिनिधि भेजे थे। जब मुझे कोई सूचना नहीं मिली तो मैं ने प्रवर समिति को एक पत्र भेजा था जिस का उत्तर माननीय मंत्री द्वारा अभी पढ़ा गया। और इस प्रश्न पर अपना दृष्टिकोण रखने का हमें अवसर ही नहीं मिला। अतः शरणार्थी दृष्टिकोण से नहीं वरन् राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक को तय करने के लिये कुछ और समय दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहूंगा कि वह प्रवर समिति को पुनः क्यों सौंपा जाय ? उन्हों ने प्रवर समिति को पुनः सौंपने के लिये पूर्वसूचना दी है, मैं उस के कारण विशेष जानना चाहता हूं ?

श्री गिडवानी : मैं चाहता हूं ताकि समिति इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करले। अभी माननीय मंत्री ने बताया कि आगामी भविष्य में इस विधेयक की कोई आवश्यकता न होगी क्योंकि योजना सारी सम्पत्ति को निबटाने की है। अतः नवीन योजनानुसार सरकार के लिये यह तय करना आवश्यक होगा कि वह पूरी चीज़ को बदल दे या समाप्त कर दे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रवर समिति को निर्देश कब दिया गया था ? विधेयक अगस्त में प्रस्तुत किया गया था और प्रवर समिति का प्रतिवेदन नवम्बर म हुआ था।

श्री ए० पी० जैन : वास्तव में प्रवर समिति ने अपने विमर्श २० सितम्बर, १९५२ को ही समाप्त कर दिये थे। प्रतिवेदन तैयार हो चुका था, और हम लोग केवल नवम्बर में एकत्रित हुए प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिये ही।

उपाध्यक्ष महादय : विधयक ४ अगस्त १९५२ को प्रस्तुत किया गया था, और समिति को निर्देश ११ अगस्त १९५२ को किया गया, और समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि ५ नवम्बर १९५२ थी। इस प्रकार

प्रवर समिति को निर्देशन करने व अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने केबीच लगभग तीन मास का समय मिला था।

श्री देशपाण्डे जिन्हों ने अब प्रस्ताव बनाया है और घुमवाया है वह स्वयं भी प्रवर समिति के सदस्य थे। जब एक बार मामला प्रवर समिति को निर्देशित किया जाता है, लोग यह समझते हैं कि विधेयक देश के सम्मुख रखा गया है। और शरणार्थी सारे देश भर में नहीं हैं। अधिकतर शरणार्थी तो यहीं हैं किन्तु वहां भी विशिष्ट खण्डों में उपयुक्त सुधार एवं संशोधन करने के सम्बन्ध में उन पर कोई रोक नहीं है।

मैं इन परिस्थितियों में ऐसा नहीं समझता कि सदन के समक्ष कोई ऐसा प्रस्ताव रखा गया हो कि यह क्यों घुमवाया जाना चाहिये। सभी उचित अवसर प्राप्त हैं।

जहां तक श्री गिडवानी का सम्बन्ध है कि कोई भी माननीय सदस्य, चाहेप्रवर समिति का सदस्य हो या न हो किन्तु वह पर्यालोचनों में भाग ले सकता है।

श्री वी० जी० देशपण्डे : तब वह सदन के सदस्य नहीं थे।

उपाध्यक्ष महोदय : इस के बाद यह देखा जायगा।

अतः मैं इन प्रस्तावों में से किसी को भी स्वीकार करने का मेरा विचार नहीं है।

अब हम मूल प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिये आगे बढ़ेंगे।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा) : हम लोग तथा शरणार्थी माननीय पुनर्वास मंत्री के द्वारा सरकार के विचार सुनने के इच्छुक हो रहे हैं कि इस निष्क्रमण सम्पत्ति का क्या रहा है ? विस्थापित लोगों में बांटने के लिये केन्द्रीय संचित राशि में कुछ हिस्सा देने के लिये पुनर्वास मंत्री का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है। एक वर्ष पहले एक अगस्त के दिन जब वर्ष १९५२ प्रारम्भ हुआ पुनर्वास मंत्री ने चुनाव भाषण में कहा था कि शीघ्र ही यह सब होने जा रहा है। किन्तु अब पता लगा कि या तो पुनर्वास मंत्री ने मंत्रि-मण्डल या वित्त मंत्रालय से परामर्श नहीं किया होगा, या उन के भाषणों और घोषणाओं को उन लोगों ने सुना ही न होगा या वित्त मंत्रालय ने सोचा होगा कि यह एक अबोध अनभिज्ञता थी कि शरणार्थियों का मार्ग अवरुद्ध हो गया।

राजस्व तज्ञा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : मैं माननीय सदस्य द्वारा एक मंत्री तथा दूसरे मंत्री के बीच किये गये विभेद पर मुझे आपत्ति है। मैं समझता हूं कि पुनर्वास मंत्री जो करता है उस में से वित्त मंत्री भाग लेता है। सरकार एक इकाई की भांति कार्य करती है। यह वास्तव में अनुचित होगा कि एक दोष वित्त-मंत्रालय पर ही लादा जाय।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : माननीय मंत्री ने अनेक बार इस सदन में तथा उस के बाहर भी कहा कि मुआवज़ा दिया जायगा। इस सम्बन्ध में 'अबोध अज्ञानता' नहीं हो सकती।

सरदार हुक्म सिंह : बिलकुल ठीक। किन्तु ये शब्द पंडित ठाकुरदास भार्गव के हैं जो यदा कदा अध्यक्ष रहते हैं। मैं यह चाहता हूं कि यह असंदिग्ध रूप से घोषित कर दिया जाय कि सरकार इस के लिये वचन बद्ध है। **(एक माननीय सदस्य** : प्रतिवेदन गलत हो सकते हैं) किन्तु मंत्रालयों को कहना चाहिये कि प्रतिवेदन गलत हैं। मुझे हर्ष होगा कि प्रतिवेदन गलत हों। किन्तु मुझे सरकार की वर्तमान स्थिति का पता होना चाहिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वित्त मंत्री से सीधे पूछिय।

सरदार हुक्म सिंह : माननीय मंत्री ने कुछ आकषक शब्दों में बताया कि सरकार शीघ्र ही इस निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति का निपटारा कर देने की योजना पर विचार कर रही है। इस प्रकार के विधेयकों में हम इस बात की कमी पाते हैं कि इस सम्पत्ति का क्या होने जा रहा है जिससे विस्थापित व्यक्तियों को बड़ी उद्विग्नता हो रही है। विस्थापितों को मुआवज़ा देने के सम्बन्ध में एक विधेयक था किन्तु निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई भी विधेयक नहीं बना। शरणार्थी इस के इच्छुक नहीं हैं कि सम्पत्ति उन्हें दे दी जाय। वे कभी चाहते भी नहीं थे। यदि इस से कुछ कठिनाइयां आ रही हों तो यह विधेयक तथा अधिनियम दोनों ही समाप्त कर देने चाहियें। उन का जिस से सम्बंध है वह है कि जब ऐसी घोषणाएं की जाती हैं कि आयव्ययक में कोई उपबन्ध नहीं है या वित्तीय उपबन्ध नहीं है, जहां तक निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति का सम्बन्ध है, हम लोग यह जानना चाहेंगे कि संकोष के लिये यह उपलब्ध होगा अथवा नहीं। ऐसे समय पर शरणार्थी घबड़ा जाते हैं कि ऐसे उपबन्ध बनाये जाने वाले हैं। यदि यह तय किया जाता है कि ऐसे अधिनियम नहीं बनने चाहियें तो हम उन्हें नहीं चाहते। शरणार्थियों का सम्बन्ध इस से है कि उन्हें मुआवजा दिया जाने वाला है अथवा नहीं। अनेक बार ये घोषणायें की गई जिन में सरकारी वक्ताओं के साथ प्रधान मंत्री भी सम्मिलित हैं कि मुआवज़ा का कोई प्रश्न नहीं है केवल मुसलमान प्रव्रजकों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति के अतिरिक्त। किन्तु आज प्रधान मंत्री चाहते हैं कि यह अधिनियम चलता रहे और उन्होंने कहा कि सरकार इस सम्पत्ति के निबटारे पर उचित कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। मैं अब भी प्रधान मंत्री से प्रार्थना करूगा कि वह यदि इस स्थिति में हों तो अपना निश्चित उपकथन हमारे समक्ष रखें। हम जानना चाहते हैं कि इस सम्पत्ति का निबटारा किस प्रकार होने जा रहा है किस प्रकार उस धन का उपयोग होगा, यह शरणार्थियों के लिये हितकर होगा या अन्य कोई प्रस्ताव अभी वह और रखने वाले हैं।

जहां तक इस विधेयक पर प्रवर समिति की सिफारिशों का सम्बन्ध है माननीय मंत्री ने बताया कि यह नागरिक संहिता के कार्य के बाहर है। जब संशोधित विधेयक आया तो उस पर संरक्षक तथा सरकारी प्रवक्ताओं में बड़ा झगड़ा हुआ और अब जब कि प्रमाण पत्र दे दिया है तो मामला शान्त हो गया है। यह केवल आगम ही होगा जिस की संरक्षक जांच करेगा। और यदि उस पर आगम न होगा तो बर्खास्त के मुकदमे में वह दीवानी अदालत में जा सकेगा और अपने आगम को स्थापित कर सकेगा। इस प्रकार प्रवर समिति की सिफारिशों में भी एक नया उपबन्ध लाया जा रहा है जिस के द्वारा दीवानी अदालतों को वह क्षेत्राधिकार प्राप्त हो जायगा जो पहले नहीं था। अतः मंत्री द्वारा मानी गई यह स्थिति कि वह दीवानी अदालतों को दिये जाने वाले क्षेत्राधिकारों को स्वीकार नहीं करेंगे प्रवर समिति के लिये अच्छा कारण नहीं उपस्थित करते क्योंकि प्रवर समिति ने स्वयं ही वह खण्ड जोड़ लिया है।

अब पट्टे तथा अन्य चीज़ों के उपबन्ध भी विस्थापित लोगों के हित के विरुद्ध होंगे क्योंकि विधेयक अब यह कहता है कि वे शर्तें जिन पर मूल पट्टे दिये गये थे नहीं बदलने चाहिये। पहले मूल मालिकों ने पट्टे पर सम्पत्तियां कुछ समय के लिये दे दी थीं और यदि वे किसी शरणार्थी को दे दी गई थीं तो वह उन को अपने नाम कृषकीय अधिकार रूप में आवंटन करा लेना चाहेगा, और अब यह दिया हुआ है कि जहां तक मू ल २ ३ ८ त

अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, संरक्षकों के लिये विभिन्नता करना संभव न होगा। अतः वह भी शरणार्थियों के विपरीत हो जायगा, जिन को वे स्थान छोड़ने पड़ेंगे या उन स्थानों का पुनः पट्टा करना पड़ेगा।

अब धारा ४० तथा ४१ में संशोधन हुआ है, इस में भी एक खतरा है। भारतीय नागरिक को एक प्रमाण पत्र दिया जायगा कि वह अपनी सम्पत्ति बेच सकता है। और यदि दो वर्ष बाद वह पाकिस्तान जाना चाहता है, तो उस का सौदा चालू नहीं रह सकता। अधिकतर इस में घाटा विस्थापित लोगों का ही होगा क्योंकि उन को सम्पत्ति प्राप्त करने की अत्यन्तावश्यकता है और वे खरीद लेते हैं क्योंकि संरक्षण ने उन्हें प्रमाण पत्र दे दिया है कि वे उसे बेच सकते हैं। बेचारे शरणार्थी को क्या पता कि वह सुज्जन दो या तीन वर्षों में पाकिस्तान चल देंगे। यदि ऐसा ही होता है तो संरक्षण के सम्मुख प्रश्न आता है और यदि वह विक्रय को रद्द कर देता है, तो सौदा समाप्त हो जाता है। तो शरणार्थी को ही घाटा होगा। यह धन शरणार्थी के भाग में से ही संकोष में जमा कर लिया जायगा। इस से न तो शरणार्थी का लाभ हुआ और न देश का ही। अतः मेरी प्रार्थना यह है कि जब एक बार सरकार ने प्रमाण पत्र दे दिया है और संरक्षण ने तय कर लिया है कि वह यदि चाहे तो बिक्री पर प्रभाव डाल सकता है, तो कोई भी कठिनाई न होगी। यदि उसे धन लेने की अनुमति दे दी गई, क्योंकि वह उधर से भी हो सकता है, तो वह घाटे में नहीं रहेगा। वह अपने सन्तोष भर को धन कमा लेगा किन्तु घाटे में रहने वाले केवल भारतीय नागरिक ही होंगे। अतः उन्हें दण्ड देने से क्या लाभ ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : ऐसा नहीं है। यदि स्वीकृति नहीं दी गई है, और वह मनुष्य यहां दो वर्ष तक रहता है तो हस्तांतरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा चाहे स्वीकृति भी दे दी गई हो। यह अब किसी के लिये भी नहीं है.....

सरदार हुक्म सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि पुनर्वास मंत्री ने वित्त मंत्री का परामर्श ले लिया है या नहीं और वह जो कुछ इस विषय में जानते हों बताने की कृपा करें। सरकार ने इस सम्पत्ति का निबटारा करने का निश्चय किया है या नहीं। बेचारे शरणार्थी शीघ्र ही मुआवजे के रूप में कुछ धन पाने के इच्छुक हैं ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

श्री वी० जी० देशपाण्डे : माननीय मंत्री एवं विधेयक के प्रणेता के विचारों में कुछ अन्तर है। मैं चाहता यह हूं कि समुदाय के आधार पर यह कार्य नहीं होना चाहिये और निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति अधिनियम के प्रशासन से किसी को भी हानि नहीं होनी चाहिये। मैं ने कांग्रेस दल की एक पुस्तिका पढ़ी है जिस के अनुसार मुसलमानों को अनेक आवश्यक छूटें दी गई हैं। शायद यही अन्तर हो किन्तु मैं नहीं जान सका कि उस में क्या अन्तर है। वह तो एक असाम्प्रदायिक संस्था है और प्रति दिन हम उस के साम्प्रदायिकता के विषय में उपदेश सुना करते हैं। मैं सभी सम्प्रदायों के साथ उचित तथा पक्षपात रहित व्यवहार चाहता हूं किन्तु हिन्दुओं का अहित का मुसलमानों को छूटें देना उन्हीं के लिये असाम्प्रदायिक होगा और शायद मेरे तथा उनके प्रयत्न में यही अन्तर हो।

मैं चाहता हूं कि वे उपबन्ध जिन से यहां के मुसलमानों की हानि होती है या उनके साथ अन्याय होता है, वे अधिनियम में से हटा दिये जाने चाहिये। इस सम्बन्ध मे। मत नहीं हो सकते किन्तु जब हम मूल विधेयक तथा संशोधित को पढ़ते हैं तो पता लगता है

[श्री वी० जी० देशपांडे]

कि वह इन सीमाओं का अतिक्रमण करता है। इस सम्बन्ध में हमें दो बातों को दृष्टि में रखना चाहिये। एक तो यह कि निष्क्रमणार्थी एकत्रित धनराशि घटने न पाये और यदि ऐसी कोई संभावना हो तो हमें उसका विरोध करना चाहिये।

दूसरी चीज़ यह है कि राष्ट्रीय सिक्ख सम्मेलन में जाना या मुसलमानों को छटें देना साम्प्रदायिकता नहीं है किन्तु जहां हिन्दुओं के साथ अन्याय हो रहा हो और उस के विरुद्ध कुछ न कहना विवेक शून्य साम्प्रदायिकता है और वह नहीं होनी चाहिये। इस अधिनियम के अनुसार उन मुसलमानों को सहायता देना जो भारत छोड़ कर पाकिस्तान जाना चाहते हैं, मैं इस का विरोधी हूं। हमें यह बताया जाता है कि जब वह अनुबन्ध समाप्त कर दिया गया है तो हम ने निष्क्रमणार्थी की परिभाषा का संशोधन कर दिया है। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी सम्पत्ति का स्थानान्तरण १४ अगस्त, १९४७ से लेकर १८ अक्टूबर, १९४९ तक पाकिस्तान को किया है, जो इस उपबन्ध के कारण इच्छुक निष्क्रमणार्थी होने के कारण अपनी अन्य सम्पत्ति का स्थानान्तरण न कर सके और वे जो अभी तक पाकिस्तान जाने की प्रतीक्षा में हैं और अपनी शेष सम्पत्ति को भी निबटाने की राह देख रहे थे। एक बार यदि उन्हें कहीं यह अवसर मिल जाय यानी सम्पत्ति का निबटारा कर सकें, वे सीधे पाकिस्तान जा सकते हैं। यह मेरी प्रथम आपत्ति है।

इच्छुक निष्क्रमणार्थियों वाला खण्ड पाकिस्तानी निष्क्रमणार्थी अधिनियम में चल रहा है तब तक हम उसे निकाल नहीं सकते। यह मौलिक भेद नहीं चल सकता और न इस प्रकार हमारे घाव ही ठीक किये जा सकते हैं। मुसलमानों को अधिक रियायतें देने की धुन में हमें यह खण्ड नहीं निकाल देना चाहिये।

एक मनुष्य जिस के निकटतम आश्रित जैसे पत्नी व बच्चे आदि पाकिस्तान में हों और वह यहीं रहता हो तो उसे कम से कम इच्छुक निष्क्रमणार्थी नहीं तो निष्क्रमणार्थी अवश्य ही कहा जाना चाहिये। यदि निकटतम आश्रित पाकिस्तान में रह रहे हों तो ऐसी दशा में कोई भी अपवाद नहीं माना जाना चाहिये।

अभी तक निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति सम्बन्धी सारे अधिकार प्रधान अभिरक्षक को ही प्राप्त थे। प्रवर समिति का विचार भी हम लोगों के ही पक्ष में था कि यह अधिकार इन के अतिरिक्त किसी अन्य ज़िला तथा सत्र न्यायाधीश को सौंपा जाना चाहिये। इस के पूर्व अनेक मामले इस प्रकार के हुए हैं जिन में यहां उन की सम्पत्ति की रक्षा की गई और वह भारतीय मुसलमान अन्त में पाकिस्तान वापस चला ही गया। अतः ज़िला तथा सत्र-न्यायाधीश को ही ऐसे मामले अन्तिम रूप से निबटाने का अधिकार देना चाहिये। कम से कम प्रधान अभिरक्षक का कुछ अधिकार रहना चाहिये किन्तु अन्तिम सीमा तक नहीं।

प्रवर समिति में संशोधन करने के पश्चात् अब निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति लेना दो रूपों में स्वीकार कर लिया गया है या तो वह दुबारा किराये पर उठी हुई हो या उस में जिस कार्य के लिये वह दी गई थी उस के अतिरिक्त उपयोग में लाई जा रही हो। मैं समझता हूं इस संशोधन को स्वीकार करने में माननीय मंत्री को आपत्ति न होगी। यदि किरायेदार ने किराया नियन्त्रण अधिनियम का उल्लंघन किया हो उन से ही खाली कराई जा सकेगी अन्यथा नहीं।

श्री गिडवानी: इससे शरणार्थियों के हितों पर उल्टा प्रभाव पड़ता है तथा राष्ट्रीय हितों पर भी कुठाराघात करता है

अतः मैं इस का विरोध करता हूं। मैं इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय शरणार्थी संस्था की ओर से प्रधान मंत्री को लिखे गये पत्र का आशय सुनाता हूं, जब उन्होंने मुआवज़े के सम्बन्ध में भाषण दिया था। मैंने उन्हें लिखा था कि मुझे बार-बार शरणार्थियों की विचारणीय अवस्था में सुधार करने के लिये उत्साहित किया गया था २५ दिसम्बर को होने वाले सम्मेलन के वक्ताओं तथा जनता द्वारा, जिस का मैं अध्यक्ष था। मैं ने यह भी लिखा था कि आप के भाषण ने जनता में क्षोभ तथा क्रोध की भावना और अधिक बढ़ा दी है। आप कृपया सरकार का मुआवज़े के सम्बन्ध में जो भी निर्णय हुआ हो सूचित करने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे जान पड़ता है कि माननीय सदस्य इस विधेयक का विरोध करना चाहते हैं। प्रवर समिति के प्रतिवेदन पर विवाद का क्षेत्र संकुचित है। अतः नियम ९८ के अनुसार उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये।

श्री गिडवानी : मैं समझता था कि यह प्रश्न मुआवज़े से सम्बन्धित था क्योंकि प्रवर समिति ने संभवतः दो या तीन खण्ड संख्या ७ और १५ निकाल दिये थे। अतः मैं इस पत्र-व्यवहार को पढ़ रहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां पर हमें प्रवर समिति की सीमा के अन्दर ही विचार करना है। जो अवस्था अब है उस में विधेयक अस्वीकार किसी भी दशा में नहीं किया जा सकता। अतः इस समय तो उन्हें केवल प्रवर समिति की सीमा में ही रहना है।

श्री गिडवानी : मैं विधेयक के कुछ खण्डों जैसे खण्ड संख्या ७ और १५ का विरोध करता हूं।

श्री धर्मवीर ने उत्तर में लिखा है कि शरणार्थी मुसलमान प्रव्रजकों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति में से मुआवजा पाने के अधिकारी हैं। वे पाकिस्तान से मिलने वाले सभी मुआवज़ों को पाने के अधिकारी हैं। यह नीति श्री गोपालस्वामी आयंगर द्वारा चालित की गई है।

मैं श्री गोपालस्वामी आयंगर के लिखे गये पत्र का सारांश सुनाता हूं :

ख्वाजा शहाबुद्दीन पाकिस्तान पुनर्वास मंत्री के आगमन के दो दिन पूर्व एक संयुक्त सम्मेलन आप की अध्यक्षता में हुआ था निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति के प्रश्न पर वाद-विवाद करने के लिये। विभिन्न पहलुओं से इस में विशेष कर मुआवज़े पर विचार किया गया। इस में यह निश्चय किया गया कि मुआवजे तीन प्रकार से मिलेंगे। प्रथमतः मुसलमानों द्वारा भारत में छोड़ी गई सम्पत्ति में से, द्वितीय, क्रमशः छोड़ी गई सम्पत्ति के मूल्य के अन्तर से जो पाकिस्तान से वसूल की जायगी और अन्त में भारत सरकार द्वारा काफी मात्रा में मिलने वाली धनराशि। क्या इस से विस्थापित व्यक्ति सन्तुष्ट न होंगे।

अतः मुसलमान निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति ही अधिक आवश्यक है उन को मुआवजा देने के लिये। चूंकि यह पश्चिमी पाकिस्तान से अधिक सम्बन्धित है। अतः पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी इस में अधिक चाव रखते हैं। अतः मैं संशोधित विधेयक के खण्ड ७ और १५ का विरोध करता हूं।

४ म० प०

अब विधि यह है कि सर्वप्रथम उप-अभिरक्षक उस को निष्क्रमणार्थी घोषित करे। तत्पश्चात् यदि सताया हुआ पक्ष इस के विषय में कुछ गलती का अनुभव करता है तो वह अभिरक्षक के पास अपील करता है और अन्त में उच्च-न्यायालय में। कभी-कभी सर्वोच्च न्यायालय की भी शरण ली जाती है।

[श्री गिडवानी]

अतः जब यह कार्य इतना लम्बा चौड़ा है और सरकार जब यह असाधारण शक्ति चाहती है तो इस का अर्थ यह है कि सरकार को न्यायपालिका में विश्वास नहीं है। मैं सदैव से यह कहता आ रहा हूं कि कार्यपालिका या सरकार को न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। यदि विधेयक में संशोधन करने का तात्पर्य न्यायपालिका के कार्यों में सरकार का हस्तक्षेप करना होगा तो उन का निर्णय न्यायिक तथा वैधानिक सिद्धान्तों पर किस प्रकार हो सकेगा। यदि इस अवस्था में यह सब चलता रहा तो हमारी सरकार जो अपने को लोक-तन्त्रात्मक, समाजवादी तथा कानून के अनुसार चलने का दम भरती है, सब भ्रमात्मक होगा। यदि मैं यह कहूं तो अनुचित न होगा कि यदि यह विधेयक पारित हो गया तो कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों का ही लाभ होगा। और मैं समझता हूं कि यही इस विधेयक का उद्देश्य है। निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति संकोष इस प्रकार घटता जायगा।

जहां तक मैं समझता हूं कि खण्ड १५ के द्वारा सरकार की शक्ति और भी अधिक बढ़ जायगी। मेरे विचार से यदि ये दोनों खण्ड पारित कर दिये जाते हैं तो कोई भी कानून की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अब मैं माननीय पुनर्वास मंत्री के निर्णय पर ही सब कुछ छोड़ता हूं। यह सम्पत्ति उन शरणार्थियों को मिल रही है जिन्होंने शारीरिक तथा नैतिक दोनों प्रकार के कष्ट सहे हैं और जो उन लोगों की सम्पत्ति है जिन की वफा-दारी पर हमें सन्देह रहता है और इस प्रकार एकत्रित राशि कम होती जायगी। मूल अधि नियम के अनुसार निष्क्रमणार्थी की परिभाषा है वह व्यक्ति जो पाकिस्तान चला गया हो और इच्छित निष्क्रमणार्थी का वर्णन भी सविस्तार इस में किया गया है संक्षेपतः यह है कि कोई भी व्यक्ति जिसने १४ अगस्त, १९४७ के बाद अपनी सम्पत्ति पाकिस्तान भेज दी हो और जिसके विषय में उस के आचरण या अन्य किसी प्रमाण द्वारा यह सिद्ध हो जाय कि वह पाकिस्तान में बसना चाहता है तो वह इच्छित निष्क्रमणार्थी समझा जायेगा।

इस संशोधित विधेयक द्वारा लगभग एक हजार व्यक्ति जो संरक्षक न्यायालयों, जजों तथा अभिरक्षकों द्वारा शरणार्थी करार किये गये हैं उन का ही लाभ होगा। मैं ने ऐसे अनेक उदाहरण देखे हैं जिन में लोग अपनी सम्पत्ति यहां बेचकर अधिक से अधिक पैसा कमा कर चुपके से पाकिस्तान चले जाते हैं। इतना ही नहीं इन में से कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत सरकार के स्वामिभक्त बने रहने की शपथ भी ग्रहण की थी वे भी अन्त में एक दिन पाकिस्तान खिसक गये। इस प्रकार के उदाहरण अभी भी नित्य प्रति देखने में आते हैं। मैं ने पिछले अधिवेशन में एक प्रश्न रखा था उस का उत्तर नहीं दिया गया किन्तु संसद् सचिवालय से मुझे एक पत्र मिला है जिस का आशय यह है कि आप के पत्र राजस्थान अधिकारियों द्वारा पाकिस्तान को ले जाने वाली नकद धनराशि की सूचना यह है कि ढोलपुर के तहसीलदार ने पाकिस्तान को १,००,००० रु० जो सरकारी थे भेज दिये तथा कोताधिकारी ने भी कुछ सरकारी राशि पाकिस्तान भेज दी है। लेखा की जांच होने के कारण निश्चित राशि का पता नहीं चल सका। क्या भारत सरकार को ज्ञात है कि राजस्थान सरकार के १७ कर्मचारी जैसे जयनारायन व्यास के पूर्व प्रधान व्यक्तिगत सचिव तथा राजस्थान के मुख्य मंत्री आदि जो इच्छुक निष्क्रमणार्थी घोषित कर दिये गये थे, उन्हों ने अपना कुछ धन पाकिस्तान को भेज दिया है। क्या सरकार

उपरोक्त दोनों अधिकारियों के विरुद्ध कुछ कार्यवाही करने का विचार नहीं कर रही है। क्या लोक हित की दृष्टि से यह आवश्यक नहीं कि सरकार कोई पूर्वोपायात्मक कार्यवाही करे जिस से अन्य अधिकारी इसी प्रकार के कार्य न कर सकें ?

जुलाई १९५१ में ढोलपुर के उप-कोष में एक लाख रुपये से अधिक का गबन हुआ। जिस में खजांची तथा तहसील दार ने मिल कर रुपयों का गबन किया। अतः यह कहना गलत है कि ढोलपुर के तहसीलदार ने १,००,००० रुपया पाकिस्तान को भेज दिया। उस के विरुद्ध उचित कार्यवाही की गई और वह पाकिस्तान भाग गया। जयपुर में उस की कुछ सम्पत्ति है और सरकार द्वारा उचित कार्यवाही उस पर की जायगी। अतिरिक्त कोषाधिकारी भी पाकिस्तान चले गये हैं और कोष की जांच के पश्चात् ही पता लगेगा कि उन्हों ने कुछ सरकारी धन गायब किया या नहीं और किया तो कितना। ये लोग इच्छुक निष्क्रमणार्थी घोषित किये गये हैं। राजस्थान सरकार का यह कर्तव्य है कि जब वह इच्छुक निष्क्रमणार्थी घोषित किये जा चुके हैं तो उन को कुछ भी धन अब पाकिस्तान ले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। ऐसी अवस्था में न केवल वे इच्छुक निष्क्रमणार्थी ही घोषित किये जाने चाहियें वरन् उन की सारी सम्पत्ति भी ले ली जानी चाहिये। इन लोगों की यदि कुछ सम्पत्ति रह गई होगी जो अब अभिरक्षक के अधिकार में होगी तो उस में से सरकार उस क्षति को पूरा करेगी।

प्रत्येक सम्भव पूर्वोपाय लिया जा रहा है और राजस्थान सरकार द्वारा लिया भी जाता रहेगा राजस्थान से पाकिस्तान को अवैध राशि को हस्तांतरण करने के सम्बन्ध में।

यह है हमारे उत्तरदायी सरकारी स्वामि-भक्त अधिकारियों की दशा। अतः इन पर किस प्रकार विश्वास किया जा सकता है जो आज अपने को प्रजातन्त्र राज्य का भारतीय नागरिक बताते हैं और कल चुपके से सरकारी धन समेट कर पाकिस्तान उड़ जाते हैं। इस के अतिरिक्त संरक्षकों पर उचित अनुचित सभी प्रकार के प्रभाव मंत्रियों व्यक्तिगत सचिवों तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा ही नहीं वरन् गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा भी डलवाये जाते हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने एक फरदिल खां के मुकदमे का विस्तृत वर्णन करते हुए कहा है कि उन की अपील एक के बाद दूसरे न्यायालय से खारिज होती गई और अन्त में बड़ी सिफारिशें की गईं किन्तु फिर भी उच्च-न्यायालय ने अन्त में उसे खारिज कर ही दिया। इस के अतिरिक्त मन्त्रियों की सिफारिशों के भी कई उदाहरण दिये जा सकते हैं। एक मामले में मंत्री ने पत्र लिख दिया था।

एक माननीय सदस्य : वह मंत्री कौन थे ?

श्री गिडवानी : वह मंत्री डा० अम्बेदकर थे जो अब रिटायर हो गये हैं। मैं इस के अतिरिक्त यदि अवसर पड़ा तो अन्य मन्त्रियों के नाम भी बता दूंगा। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को कृतज्ञ करने के लिये कुछ लोग अनिष्क्रमणार्थी घोषित किये जाने वाले हैं जिस से निष्क्रमणार्थी संकोष में कमी होती जायगी। यदि मेरी सम्पत्ति पर किसी मुसलमान ने कब्ज़ा कर लिया है तो मुझे उस की सम्पत्ति मिलनी चाहिये किन्तु सरकार का कहना है कि हम को मुआवज़ा जिस रूप में हम सोच रहे हैं उस रूप में न मिल कर सरकार के निश्चयानुसार मिलेगा। पंडित नेहरू तथा गोपालस्वामी आयंगर द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि हम लोगों को मुआवज़ा मिलेगा अवश्य। कुछ नकद, कुछ वस्तु रूप में और कुछ प्रतिज्ञा-लेख्य के रूप में।

[श्री गिडवानी]

एक अन्य सम्मेलन में यह बताया गया कि यह मुआवज़ा तीन प्रकार से मिलेगा। एक तो निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति संकोष से, जो पूर्णतया आप लोगों का होगा। दूसरा पाकिस्तान से मिलने वाले अंशदान से। इस पर हम लोगों ने आपत्ति की कि यदि पाकिस्तान सरकार से हमें कुछ न मिला तो क्या होगा। इस पर माननीय मंत्री ने विश्वास दिलाया कि यदि पाकिस्तान से अंशदान न मिला तो भारत सरकार समुचित सहायता देने का प्रबन्ध करेगी। सिन्ध में अब भी कुछ हिन्दू हैं जिन से जेहाद के लिये अंशदान लिया जाता है। यहां से भी कुछ अंशदान जेहाद के लिये भेजा जाने वाला है जो हम लोगों को दबाने के लिये ही उपयोग में लाया जायगा। हम लोग ही पाकिस्तान के ब्रह्मा और विष्णु हैं और अब शिव बनने का विचार कर रहे हैं। हम लोगों ने कितनी सम्पत्ति खोई इस पर शीघ्र विश्वास सरकार को न होगा। मैं ने कराची कांग्रेस निधि में से २ लाख रुपये खर्च कर कांग्रेस भवन का निर्माण कराया था जो अब पाकिस्तानियों के हाथ में है। अधिकतर हिन्दू शरणार्थियों को उन की हानि का बहुत कम भाग मिलेगा। इस प्रकार यह मामला चल कब तक सकता है। यदि खण्ड ७ और १५ पारित हो गये तो यह बहुत बड़ा अन्याय होगा। मैं जानता हूं कि श्री अजित प्रसाद जैन मुझ से विभिन्न मत रखते हैं किन्तु "जाके पांव न जाय बिवाई, सो का जानै पीर पराई।" आज के इन शरणार्थियों की दयनीय अवस्था को मेरा हृदय ही जानता है।" मेरे हृदय में कितना दर्द है कितना मनस्ताप है, यदि मैं उसे व्यक्त करता हूं तो वह मेरी जिह्वा में फफोले डाल देगा और यदि मैं दबान का प्रयत्न करता हूं तो वह मेरी अस्थि मज्जा को ही खा जायगा।"

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : यद्यपि मैं जानती हूं कि उत्तरी भारत के शरणार्थियों की दशा अत्यधिक शोचनीय है किन्तु दूसरी ओर हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि वे गरीब मुसलमान जो बेचारे किन्हीं कारणोंवश पाकिस्तान चले गये थे, उन के वहां से वापस आने पर उन के रहने आदि के लिये उचित व्यवस्था न की जाय। अनेक मुसलमान जो पाकिस्तान से वापस लौट आये मेरे पास आये और पूछा कि क्या अब भारत में उन का रहना सम्भव हो सकता है। वे बेचारे डर के कारण पाकिस्तान चले गये थे और यहां की स्थिति सुधरते ही पुनः वापस आ गये। उन्हों ने अल्पसंख्यक मंत्री से भेंट की थी किन्तु कोई लाभ नहीं हुआ। अतः उन मुसलमानों के विषय में जिन्होंने १९४७-४९ के बीच भारत छोड़ा था, उन के सम्बन्ध में राष्ट्रीयता की भावना के विषय में सन्देह नहीं होना चाहिये। उन के लिये यहां पुनर्स्थापन की व्यवस्था होनी चाहिये। उन्हें अपनी सम्पत्ति प्राप्त करने के लिये अनुमति मिलनी चाहिये और निष्क्रमणार्थी नहीं कहना चाहिये।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहूंगी कि कुछ व्यक्ति जो भारतीय नागरिक ही हैं और यहीं स्थायी रूप से रहते हैं निष्क्रमणार्थी घोषित कर दिये हैं। मेरी समझ से इस सम्बन्ध में न केवल इस विधेयक का पारित होना आवश्यक ही है, वरन् इस में कुछ कमियां हैं जो दूर की जानी चाहियें। मेरा एक संशोधन यह है कि केवल वे ही व्यक्ति निष्क्रमणार्थी घोषित किये जाने चाहियें जो पूर्णतया उस व्यक्ति के आश्रित हों जो पाकिस्तान चला गया है, केवल परिवार का दस्य होने के नाते नहीं। इस का तात्पर्य नहीं होना चाहिये कि कोई भी व्यक्ति स्वतः ही निष्क्रमणार्थी ही बन जाता है। इस के अतिरिक्त अभिरक्षक को अत्यधिक अधिकार

दे दिये गये हैं। उन के अधिकार सीमित किये जान चाहियें और उनकी शक्ति से ऊपर अपील सम्बन्धी अधिकारी होने चाहियें। पृष्ठ संख्या १२, पंक्ति ४६ में इतना खण्ड और बढ़ा दिया जाना चाहिये। वे मुस्लिम शरणार्थी जो भारतीय राष्ट्रीय हैं डर या अन्य किसी ऐसे ही कारण से पाकिस्तान चले गए थे, उन की सम्पत्ति उन्हें वापस मिलनी चाहिये तथा उन्हें निष्क्रमणार्थी नहीं समझा जाना चाहिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: जनाब चेयरमैन साहब, यह जो नया ऐमेन्डमेन्ट बिल (संशोधक विधेयक) है उस के उसूलों और उस बिल (विधेयक) को मैं आम तौर पर सपोर्ट (अनुमोदन) करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस बिल (विधेयक) के ऊपर जो तकरीर अब तक हुई है वह कई ऐसी बातों के बारे में हुई है जो इस बिल (विधेयक) से डाइरेक्टली (सीधे-सीधे) ताल्लुक नहीं रखती लेकिन फिर भी उन का बड़ा भारी ताल्लुक इस बिल के साथ है। जिस वक्त पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में इतना बड़ा भारी एग्जोडस हो रहा था उस वक्त हर्गिज यह ख्याल नहीं था कि जो चालीस पचास लाख आदमी पाकिस्तान से यहां आये हैं अपना सारा माल मता सारी जायदाद और सब कुछ छोड़ कर आये हैं उन का वह सारा माल मता और उन की जायदाद पाकिस्तान गवर्नमेन्ट प्रैक्टिकली (व्यावहारिक रूप से) ज़ब्त कर लेगी और न कभी उन मुसलमानों को जो यहां से वहां गये कभी यह ख्याल था कि यह जायदाद जो उन के खून और पसीने से बनी थी उस जायदाद की तरफ हिन्दुस्तान निगाह करेगा। चुनाचे जब दोनों गवर्नमेन्टों के दर्म्यान मुआहिदात हुए और मुआहिदा यह था कि जो रेन्ट (किराया) और जो फायदा उन जायदादों से होगा वह पाकिस्तान गवर्नमेन्ट यहां के उन अश्खास के वास्ते इकट्ठा करेगी जो वहां से यहां आये हैं और यहां की गवर्नमेन्ट उन लोगों के वास्ते इकट्ठा करेगी जो यहां से पाकिस्तान चले गये हैं। यह जो नया नया कानून उस वक्त बना वह बना था उन अश्खास के वास्ते, उन अश्खास के इन्टरेस्ट (हित) में जो पाकिस्तान चले गये थे, और पाकिस्तान में जो उस वक्त कानून बने थे वह हमें मालूम हुआ था कि उन लोगों की भलाई के लिये बने थे जो कि वहां से यहां चले आये थे। लेकिन आज इस बात का मुलाहिजा फरमायें कि आज उस जायदाद की तरफ जो सरीहन पाकिस्तान वालों की थी हमारे शरणार्थी भाइयों की निगाह है, और निगाह ही नहीं, इतनी मर्तबा मैं ने मि० गिडवानी को यह कहते हुए सुना कि यह एवैक्वी प्रापर्टी (निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति) हमारी है। अगर कोई शख्स पाकिस्तान चला जाय हमेशा के वास्ते और जायदाद की मांग न करे तो कानून के मुताबिक वह जायदाद गवर्नमेन्ट को एस्चीट कर जाती है। मैं कोई कानून ऐसा नहीं जानता कि जिस की रू से कोई शख्स यह कह सकता कि यह जायदाद उस की नहीं है जिसकी यह पहले थी। लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। थोड़े ही अर्से के बाद पाकिस्तान गवर्नमेन्ट ने ऐसा कानून पास किया कि उन का तो कहना ही क्या था जो यहां चले आये और जिन की जायदाद वहां पर रह गई, लेकिन जो आदमी अब तक वहां रह गये थे उन के खिलाफ ऐसे इवेक्यई (निष्क्रमणार्थी) कानन के ज़रिये नहीं, एक और कानून के ज़रिये पाकिस्तान गवर्नमेन्ट ने ऐसे अहकामात रोज़मर्रा जारी किये, कि वह अश्खास जो वहां रह गये थे उन की जायदाद ज़बर्दस्ती से लेना शुरू कर दिया। एक ऐसे कानून के मातहत जिस के लिय बयान किया गया कि यह ऐसे अश्वास के, ऐसे नैशनल्स (प्रजाजन) पाकिस्तान के हक व हितों में हैं, उन की

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

जायदादों को छीनना शुरू कर दिया जिस पर किसी कानून के मातहत किसी उसूल के मातहत उन को कोई हक नहीं था, सिर्फ लूट खसोट के उसूल पर यह किया गया जिस में जो वहां की माइनारिटीज़ (अल्पसंख्यक) हैं उन को ज़बर्दस्ती निकाल दिया जाय। इस गरज़ से वह कानून बना और उस की रू से न सिर्फ वह जायदादें ही छीनी गईं, बल्कि उन लोगों को ज़बर्दस्ती हिन्दुस्तान के अन्दर ढकेला गया। यह काम यहीं पर खत्म नहीं हुआ, जिस वक्त शुरू शुरू में हम ने इस हाउस (सदन) में चिल्लाना शुरू किया कि (पूर्वी) ईस्टर्न पाकिस्तान से, ईस्टर्न (पूर्वी) बङ्गाल से माइनाग्टी (अल्पसंख्यक) को निकाला जा रहा है तो पहले तो बङ्गाल गवर्नमेन्ट ने यह कबूल ही नहीं किया कि वहां से लोग निकाले जा रहे हैं, लेकिन आखिर में जब उन्हों ने एक धक्का दिया, दो धक्के दिये, तीन धक्के दिये तब हम ने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान की पालिसी (नीति) चली आ रही है कि वहां की माइनारिटीज़ (अल्पसंख्यक) को निकाल दिया जाय या उन को ज़बर्दस्ती मुसलमान बना दिया जाय।

ऐसी सूरत में मुझे नजर नहीं आता कि हमारी गवर्नमेन्ट क्या करती। मैं यह जानता हूं कि जितने कानून हैं उन उसूलों के मुताबिक जिन को कि हम कानूनी उसूल मानते हैं अब ठीक नहीं हैं। पहले यह ख्याल किया जाता था कि पाकिस्तान से २० परसेंट (प्रतिशत) किराया वसूल होगा, लेकिन बाद को मालूम हुआ कि वहां किराया वसूल ही नहीं होता। हमारी गवर्नमेन्ट फिर भी किराया वसूल करती रही और दस परसेंट वसूल करती रही। शरणार्थियों से भी किराया वसूल किया जाता रहा और आखिर थोड़ा सा रुपया भी जमा किया गया। और गवर्नमेन्ट का यह मंशा नहीं था कि यहां पर जो इवेक्वी प्रोपर्टी (निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति) है यह पाकिस्तान के वास्ते न बनी रहे या इस पर कब्ज़ा करती या इस पर बद निगाह करती। मैं अर्ज़ करूं कि आज गिडवानी साहब की जो कि एक पुराने कांग्रेस मैन हैं और कांग्रेस के उसूलों पर चलते आ रहे हैं, शिकायतें दुरस्त हैं, और वह यह वाकया दूरस्त फरमाते हैं कि जिस वक्त पाकिस्तान से हिन्दू और सिक्ख आते थे ईस्टर्न (पूर्वी) पंजाब में, तो उस वक्त उन को यह भी इजाज़त नहीं थी कि वह अपने साथ एक घड़ी या पिस्तौल या एक मशीन भी ला सकते और सिर्फ जो कपड़े उन के जिस्म पर थे उन्हीं को पहन कर वह यहां आये। लेकिन मुझे उन दिनों का एक वाकया याद है कि हमारे यहां से उन्हीं दिनों एक मुसलमान एक लाख रुपये का सोना ले कर हवाई जहाज़ से चला गया। जनाब वाला इतना ही नहीं हमारी गवर्नमेन्ट कई तरह से उन उसूलों की पावन्द थी। इतना ही नहीं। बल्कि हमारी गवर्नमेन्ट के जो लीडर्स (नेता) हैं उन के दिल बहुत सोफ्ट (कोमल) हैं। वह रेसीप्रासिटी (पारस्परिकता) को नहीं समझते। हम यहां रोज़ लड़ते रहे कि रेसीप्रासिटी (पारस्परिकता) को बरता जाय क्योंकि यह इंटरनेशनल (अन्तर्राष्ट्रीय) चीज़ है। लेकिन रोज़मर्रा यही जवाब मिलता रहा कि अपीज़मेन्ट (समझौता) ही ठीक है, जो चल रहा है वही ठीक है। मुझे मालूम है कि बम्बई से करोड़ों रुपये की जायदाद और करोड़ों रुपया चला गया जो कि रोका जा सकता था लेकिन हमारी गवर्नमेन्ट ने नहीं रोका। अगर वह रुपया रोका जा सकता तो आज यह कम्पेन्सेशन (मुआवज़ा) की दिक्कत ही न होती। आज यह सवाल ही पैदा न होता कि इन को १६

आना मुआवज़ा नहीं दिया जा सकता । मैं अपनी गवर्नमेन्ट से अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि आज हमारे यहां चार मिलियन मुसलमान हैं । हमारे अपने कांस्टीट्यूशन में दफ़ा १९ लिखी हुई है जिस को मैं फंडामेंटल राइट (मौलिक अधिकार) समझता हूं और मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि कौनसे कानून के नीचे मैं किसी एक मुसलमान को जो हिन्दुस्तान में रहता है उस के फंडामेन्टल राइट (मौलिक अधिकार) से महरूम कर सकता हूं जो कि आपने रखा हुआ है । या तो हम अपना कांस्टीट्यूशन (संविधान) न बनाते । अब हमारी शिकायत जो हमारे दिल से निकलती है उस का जवाब हम को अपने कांस्टीट्यूशन (संविधान) से मिल जाता है कि दफा १९ के मुताबिक हर एक आदमी को हक है कि वह अपनी जायदाद को डिसपोज़ आफ (निबटाना) कर सके । लेकिन साथ साथ जनाब मुलाहिज़ा फरमायेंगे कि यह इवेक्वी प्रापर्टी (निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति) का कानून जो बना वह भी मौजूद है । आज मुझे यह सुन कर खुशी हो रही है इस में तबदीली होने वाली है और अब यह कानून खत्म होने वाला है । दरअसल यह जितने इवेक्वी लाज़ (निष्क्रमणार्थी विधियां) हैं यह जितने जल्दी खत्म हो जायें उतना ही अच्छा है । और मेरे नज़दीक इन का कोई कानूनी जवाब नहीं है सिवा इस के कि पार्लियामेन्ट ने इन को इनेक्ट (अधिविहित) कर दिया । वाक़ई मैं इस कानून को जस्टीफाई (उचित) नहीं कर सकता हूं । जो बात मेरे दोस्त श्री हुक्म सिंह ने कही है और जो शिकायत श्री गिडवानी ने की है उस को मैं न तो भूल सकता हूं और न बरदाश्त कर सकता हूं । उन की बात में मैं वज़न देखता हूं । लेकिन अगर यह शिकायत न की होती तो भी मैं एक पार्लियामेन्ट के मेम्बर होने की हैसियत से बहुत ज़ोर से अर्ज़ करना चाहता हूं कि इन पांच सालों में जो कुछ यहां पार्लियामेंट में और दूसरी जगह गवर्नमेन्ट के मिनिस्टर्स (मंत्रियों) ने कहा है उस को देखते हुए कोई गवर्नमेन्ट दुनिया के अन्दर अपने उसूल पर कायम नहीं रह सकती जिस के रेसपांसिबिल मिनिस्टर (उत्तरदायी मंत्री) बार बार यह बयान दें कि तुम को सब को मुआवज़ा मिलेगा और फाइनेन्स मिनिस्टर (वित्त मंत्री) यह कह दें कि हमारी कम्पेन्सेशन (मुआवज़ा) देने की कोई जिम्मेदारी नहीं है । मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि श्री अजीत प्रसाद जैन गवर्नमेन्ट को उतना ही रिप्रेजेंट करते हैं, जितना कि और कोई मिनिस्टर गवर्नमेन्ट को रिप्रेजेंट करता है इन्हों ने बार बार यह ऐलान किया, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, बीसियों दफा, कि मुआवज़ा दिया जायगा । और मैं चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट उस एक एक लफ्ज़ पर पाबन्द रहे जो कि इन्हों ने कहे हैं, वरना गवर्नमेन्ट के किसी मिनिस्टर के बयान की कोई वकत ही नहीं रह जायेगी । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि सिर्फ इन्हों ने ही नहीं यह ऐलान किया, बल्कि भरी सभा में, जिस में मैं भी मौजूद था, स्वर्गीय श्री गोपालस्वामी ने यही ऐलान किया था कि इन लोगों को कम्पेन्सेशन (मुआवज़ा) दिया जायेगा । वह कांफ्रेंस उन्हों ने बुलाई थी । इस का मतलब यही था कि चाहे जितना भी हो लेकिन गवर्नमेन्ट कंट्रीब्यूशन (अंशदान) जरूर करेगी । वह वक्त मुझे याद है वह दिन मुझे याद है । रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर (पुनर्वास मंत्री) ने यह बयान नहीं दिया था बल्कि श्री गोपालस्वामी ने यह बयान दिया था जो कि सुपर मिनिस्टर (अति मंत्री) थे । उन्हों ने यह बयान दिया उस के बाद श्री हुक्म सिंह साहब एक रिजोल्यूशन (प्रस्ताव) पार्लियामेन्ट में लाये कि शरणार्थियों को आठ आना उन की जायदाद की कीमत का दे दिया जाय । मैं ने उस रिजोल्यूशन (प्रस्ताव) पर अमेंडमेन्ट (संशो-

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

धन) भेजा था और उस पर बोलते हुए मैं ने इस हाउस (सदन) में कहा था, कि सरदार हुक्म सिंह को क्या अख्तियार था, उन के पास शरणार्थियों का कौन सा मुख्तारनामा था कि वह आठ आने लेने को तैयार हैं। मैं ने उस वक्त कहा था कि श्री गोपालस्वामी कम्पेन्सेशन (मुआवज़ा) के बारे में गवर्नमेन्ट की पोज़ीशन साफ कर चुके हैं। गवर्नमन्ट तो कम्पेन्सेशन (मुआवज़ा) देगी। यह मैं ने इस हाउस (सदन) में अर्ज़ किया था और गवर्नमेन्ट ने यह नहीं कहा था कि कम्पेन्सेशन (मुआवज़ा) देने की हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। इतना ही नहीं श्री अचिन्त राम साहब ने एक सवाल पूछा था हमारे प्राइम मिनिस्टर (प्रधान मंत्री) साहब से और हमारे प्राइम मिनिस्टर (प्रधान-मंत्री) साहब ने भी कुछ एसे अल्फाज़ इस्तैमाल किये जिन का मफहूम साफ था कि गवर्नमेन्ट जो कुछ कंट्रीब्यूशन (अंशदान) कर सकेगी करेगी। लेकिन आज फाइनेन्स मिनिस्ट्री (वित्त मंत्रालय) का अखबारों में यह स्टेटमेंट (वक्तव्य) निकलता है कि गवर्नमेन्ट का ऐसा इरादा नहीं है। यह स्टेटमेन्ट (वक्तव्य) बहुत परेशान और हैरान करने वाला है मैं तो इस पर एक मिनट के वास्ते यकीन नहीं कर सकता। मैं तो यह समझता हूं कि जो गवर्नमेन्ट के एक मिनिस्टर के बाद दूसरे ने भी लफ्ज़ कहे हैं उन को गवर्नमेन्ट पूरा करेगी। मैं श्री अजित प्रसाद जी को जानता हूं और जो बातें मैं कह रहा हूं अगर वह सही न होती तो वह मेरा गला दबा देते। मैं जानता हूं कि वह कितने जबरदस्त हैं। लेकिन वह यहां मौजूद हैं और मेरा कंट्रेडिक्शन (खंडन) नहीं करते यह इस बात का सरीह सबूत है कि श्री अजित प्रसाद जी अपने अल्फाज़ के पाबन्द हैं जो कि उन्हों ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार दुहराये हैं कि इन लोगों को सही कम्पेन्सेशन (मुआवज़ा) दिया जायगा मैं अर्ज़ करूं मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि यह अखबारों की बात दुरुस्त है। यह मामला कैबिनेट के सामने जा चुका है और श्री अजित प्रसाद जी बार बार फरमा चुके हैं कि वह अपने अल्फाज़ के पाबन्द हैं। ऐसी हालत में मैं नहीं समझता कि कोई दूसरा मिनिस्टर (मंत्री) उन के कहे हुए को झुटलायेगा। श्री गोपालस्वामी के कहे हुए अल्फाज़ मेरे लिये निहायत इज्जत के काबिल हैं और मुझे यकीन नहीं आ सकता कि आज कोई शख्स उन के वादों को झुठलाने का ख्याल कर सकता है। इस वास्ते श्री गिडवानी साहब ने जिस वक्त यह फरमाया कि शायद फाइनेन्स मिनिस्टर (वित्त मंत्री) साहब को यह मालूम न हो और यह उनका इनोसेंट इगनोरेंस (निरीह अज्ञानता) हो, उस वक्त मैं ने कहा था कि इनोसेंट इगनोरेंस (निरीह अज्ञानता) नहीं बल्कि इगनोरेंस (अज्ञानता) कहना ठीक होगा।

यह निरीह अज्ञानता नहीं है, इसे अज्ञानता कहिये, मैं सन्तुष्ट होऊंगा।

डा० खरे (ग्वालियर) द्वेषपूर्ण कुचेष्टा !

पंडित ठाकुर दास भार्गव : डाक्टर खरे साहब गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से जो चाहें फरमा सकते हैं, लेकिन मैं उस को स्वाद नहीं करता। उन को तो हक है कि वह चाहे जो कहें। लेकिन मैं तो अपनी गवर्नमेन्ट में यकीन रखता हूं, मैं यकीन करता हूं उस के वादों में और ऐसे बुज़र्गों के वादों में कि जिन्हों ने हमारे सामने वादे किये, और बतौर मेम्बर पार्लियामेन्ट के जिस वक्त मैं ने अमेंडमेंट (संशोधन) पेश किया उस वक्त भी मैं ने इस बात को दुहराया। मैं समझता हूं कि गवर्नमेन्ट हरगिज ऐसा कदम नहीं उठायेगी

जिस से कि गवर्नमेंट को, या उस के मिनिस्टर साहिबान को या उन अशखास को जो कि गवर्नमेन्ट में यकीन रखते हैं रूड शोक (भारी धक्का) पहुंचे और वे समझें कि गवर्नमेन्ट एक तरफ तो वादा करती है और दूसरी तरफ से तोड़ती है।

ऐसी सूरत नहीं होने की है, मैं इस का यकीन नहीं कर सकता। इस वास्ते जहां तक कम्पेन्सेशन (मुआवज़ा) का सवाल है मुझे कोई शुबहा नहीं है कि गवर्नमेन्ट कम्पेन्सेशन (मुआवज़ा) ज़रूर देगी। क्या कम्पेन्सेशन (मुआवज़ा) देगी यह गवर्नमेन्ट ने हम को नहीं बताया। लेकिन यह सरीह है कि गवर्नमेन्ट अब तक ८० करोड़ रुपया रीहैबिलिटेशन (पुनर्वास) पर खर्च कर चुकी है तो इस वास्ते कोई ऐसी रकम देगी जो कि गवर्नमेन्ट के शायाने शान हो। इस को मैं मानता हूं कि मेरा देश गरीब है। मैं चाहता था कि जो आदमी वहां से आये, जितने शरणार्थी हैं, जिन की कब्रों पर हम ने यह स्वराज्य हासिल किया है, उन को जितना भी आराम हम पहुंचा सकें वह थोड़ा है। हमारा फर्ज़ है कि जितनी खिदमत इन की हो सके वह थोड़ी है। और गवर्नमेन्ट ने जिस तरह से काम किया और जिस शान के साथ रिलीफ और रीहैबिलिटेशन (सहायता तथा पुनर्वास) का काम किया, तो जैसा मैं ने चन्द रोज़ हुए अर्ज़ किया था, यह इसी गवर्नमेन्ट का हिस्सा था। मेरे ख्याल में शायद दुनिया की तारीख में कोई भी ऐसी गवर्नमेन्ट नहीं है जिस ने यह काम इतनी मेहनत के साथ और इतनी हिम्मत के साथ किया हो। मैं ने खुद जा कर कलकत्ते में कैम्प्स (डेरे) देखे हैं। मैं ने पंजाब में कैम्पों (डेरों) को देखा है। शायद ही कोई जगह ऐसी बची हो जहां पर कि मैं रिलीफ और रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री (सहायता तथा पुनर्वास मंत्रालय) की तरफ से नहीं गया होऊं। मैंने वहां जो हालत देखी है उस की मैं ने सख्त से सख्त नुक्ता चीनी की है। लेकिन साथ ही मैं यह भी जानता हूं कि गवर्नमेन्ट के जरिये कितने हैं, वह क्या कुछ कर सकती है। कैसे इतने सारे आदमियों को जो उजड़ कर आ जायें पूरी रिलीफ (सहायता) पहुंचाई जा सकती है। लेकिन मेरा दावा है कि गवर्नमेन्ट ने जितना काम किया है वह निहायत ही आला पैमाने का है। मुझे इस वास्ते हरगिज यकीन नहीं होता कि इतना अच्छा काम करने पर गवर्नमेन्ट यह एटीट्यूड (रवैया) लेगी कि वह कम्पेनसेशन (मुआवज़ा) नहीं देगी।

अब मैं इस सवाल को छोड़ कर जनाब की खिदमत बें इस बिल (विधेयक) की चन्द दफात के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं। मुझे बड़ा अफसोस होता अगर मेरी राय श्री हुक्म सिंह साहब के साथ इत्तिफाक़ करती कि इस बिल (विधेयक) के अन्दर ऐसा प्रावीज़न (उपबन्ध) किया गया है कि अगर कोई कस्टोडियन (अभिरक्षक) से इजाजत भी हासिल कर ले तो भी फिर वह ट्रांसफर क्वश्चन (हस्तांतरण प्रश्न) किया जा सकता है। मैं अब जनाब की तवज्जह इस कनैक्शन (सम्बन्ध) में दफा १२ पर सब-सैक्शन (उप-धारा) ६ की तरफ दिलाऊंगा जिसके अन्दर साफ तौर पर दर्ज है कि ऐसा मन्शा इस बिल (विधेयक) का नहीं है। चुनांचे इस में दफा ५ में तो यह दर्ज है:

Nothing contained in sub-section (1) shall apply to the transfer for valuable consideration of any such property as is referred to therein in any of the following cases, namely :

(a) where the transfer has been made with the previous approval of the Custodian before the commencement of the

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

Administration of Evacuee Property (Amendment) Act, 1952.

[उप-धारा (१) में दिए हुए नियम के अनुसार यदि सम्पत्ति का हस्तांतरण अभिरक्षक की पूर्वस्वीकृति से निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति (संशोधित) अधिनियम १९५२ के पारित होने के पहले हो चुका है तो यह नियम लागू नहीं होगा।]

इस से साफ है कि अगर इस ऐक्ट (अधिनियम) के नाफ़िज होने के पहले कनसैंट (सम्मति) ली गयी है तो फिर उस कनसैंट (सम्मति) की मौजूदगी में वह सारा ट्रांसफर रिओपन (हस्तांतरण पुनः प्रारम्भ) हो जायगा, सो मंशा नहीं है। आगे दफा ६ में यह दर्ज है :

Where the transfer is made after the commencement of the Administration of Evacuee Property (Amendment) Act, 1952, and--

(i) the value of the property transferred is less than *three* thousand rupees :

Provided that the transferor does not transfer any other property belonging to him within a period of one year from the date of the transfer; or

(ii) the value of the property exceeds three thousands rupees but the transfer is made with the previous approval of the Custodian or *in the prescribed cases with the previous approval of the Custodian General.*

[जहां सम्पत्ति का हस्तांतरण निष्क्रमणार्थी (संशोधित) अधिनियम, १९५२ के बाद हुआ है और —

(१) यदि सम्पत्ति की कीमत तीन हजार रुपये से कम है; हस्तांतर करने वाला अपनी अन्य सम्पत्ति हस्तांतरण की तिथि से एक वर्ष के अन्दर नहीं कर देता; या

(२) सम्पत्ति की कीमत तीन हजार रुपये से अधिक है किन्तु हस्तांतरण अभिरक्षक की पूर्व स्वीकृति से हुआ है या निश्चित मामलों में प्रधान अभिरक्षक की अनुमति से हुआ है।]

इस के सरीह माने यह हैं कि चाहे जिस सूरत में, इस ऐक्ट (अधिनियम) के नाफिज होने से पहले अगर ट्रान्सफ़र अप्रूवल (हस्तांतरण स्वीकृति) ले लिया गया है तो उस ट्रांसफर (हस्तांतरण) को कोई क्वश्चन (प्रश्न) नहीं कर सकता। अगर इस ऐक्ट (अधिनियम) के नाफिज होने के बाद कोई अप्रूवल (स्वीकृति) ले लिया गया है कस्टोडियन (अभिरक्षक) का, तब भी उस ट्रांसफर (हस्तातरण) का कोई क्वश्चन (प्रश्न) नहीं कर सकता। अगर रूल्स (नियम) ऐसे बन जायें कि ५० हज़ार या २५ हजार से ज्यादा की जायदाद हो तो कस्टोडियन जेनरल (प्रधान अभिरक्षक) की इजाज़त लेनी जरूरी हो तो उस इजाजत लेने के बाद उस ट्रांसफर (हस्तांतरण) को क्वश्चन (प्रश्न) नहीं किया जा सकता। इस वास्ते इस में श्री हुक्म सिंह साहब का जो बड़ा ओबजैक्शन (आपत्ति) है वह मैं समझता हूं कि वैलफाउडेड (सम्यक आधार वाला) नहीं है। यह एक लम्बा सैक्शन (धारा) है और जनाब वाला कानून के मामले में हम को हर मामला साफ रखना चाहिये इस वास्ते अगर उन का औबजैक्शन (आपत्ति) दुरुस्त हो, जो मैं समझता हूं कि दुरुस्त नहीं है तो मैं अर्ज़ करूंगा आनरेबिल मिनिस्टर साहब की खिदमत में कि इस को दुरुस्त

कर दिया जाय । मेरी राय में इस की दुरुस्ती की कोई जरूरत नहीं है ।

अब मैं जनाब की तवज्जह कुछ चन्द उसूलों की बाबत दिलाना चाहता हूं जिन के बारे में हमारी बहन श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने तक़रीर फरमाई । आप ने उसूल को ठीक बयान किया कि यहां पर हम को सिर्फ यही नहीं देखना है कि रिफ्यूजीज (शरणार्थी) का इंटरैस्ट (हित) क्या है । यहां पर हमारे जो मुसलमान भाई रहते हैं और जो हमारी ही तरह के सिटीजन्स (नागरिक) हैं, उन के हक की तरफ भी हम को देखना है । लेकिन मैं उन की खिदमत में निहायत अदब से अर्ज़ करूंगा कि आज के दिन जो कानून मौजद है वह काफ़ी तौर पर उन के हक की हिफाजत करता है । जो अमेंडमेंट (संशोधन) मेरी बहन ने दिये हैं वह जरूरी नहीं है, आज का कानून वही है । उस में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आज के दिन अगर कोई शख्स जुलाई १९४८ से पहले अगर पाकिस्तान जा कर भी वह वापिस आ गया तो उस की प्रोपर्टी (सम्पत्ति) वापस कर दी जाती है । उस की प्रौपर्टी (सम्पत्ति) पर कोई आंच नहीं आने पाती । इसी तरह से मैम्बर आफ दी फैमिली (परिवार के सदस्य) की तारीफ इस एक्ट (विधेयक) में दी हुई है जहां लिखा हुआ है कि वह उस के ऊपर डिपैंडैंट (आश्रित) होना चाहिये । यह नहीं है कि वह अलग रहता हो और फिर कोई ऐसा फेल कर दे तो भी उस से जिस के ऊपर वह डिपैंडैंट (आश्रित) नहीं है और जिस से अलग रहता है, उस पर कोई आंच आवे और उस को कोई नुक्सान पहुंच जाय । इस वास्ते गो उन की राय दुरुस्त है, लेकिन चूंकि यह मामला पहले ही कानून में है, इस वास्ते मैं अर्ज़ करूंगा कि वह इस का मुलाहज़ा फ़रमा लेंगी और देखेंगी कि अगर जरूरत न हो तो इस अमेंडमेंट (संशोधन) को प्रैस नहीं करेंगी, क्योंकि आज का कानून भी वही है ।

इस के बाद जनाब वाला की खिदमत में मैं उस बारे में अर्ज करूंगा जिस के बारे में बहुत जोर की बहस की गई । श्री देशपांडे और श्री गिडवानी साहब ने बहुत जोर दिया है और यहां तक कहा है कि एग्जीक्यूटिव (कार्यपालिका) और ज्यूडिशियरी (न्याय-पालिका) और सिविल कोर्टस (दीवानी अदालत) की क्या हिस्ट्री (इतिहास) है, सन् १८८५ तक की पुरानी तवारीख तक उन्हों ने बयान कर डाली है । मैं निहायत अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि दर असल यह जितने भी कानून इवैक्युईज (निष्क्रमणार्थी) के बारे में हैं यह सब लॉलैस लॉ (निरर्थक विधि) हैं । इस के अन्दर जैसा हमारे आन-रेबिल मिनिस्टर साहब ने फरमाया, सिविल कोर्ट्स (दीवानी अदालत) को बहुत कम दखल दिया गया है । आप सारे ऐक्ट (अधि-नियम) का मुलाहजा फरमावें, चाहे वह हिन्दुस्तान का हो या पाकिस्तान का हो, जितने भी कानून हैं उन के अन्दर सिविल (दीवानी) कानून को बहुत कम जगह दी गई है । शुरू ही में चन्द लाइयर्स (वकील) की गवर्नमेन्ट ने एक कमेटी बनाई थी और फिर उस की रिपोर्ट (प्रतिवेदन) पर एक आर्डिनेन्स (अध्यादेश) बनाया गया था । उस वक्त हमारे देश के बड़े बड़े अच्छे मशहूर वकील उस कमेटी में शामिल थे । और इत्तिफाक से मैं भी उस का मैम्बर था । मैंने उस में अर्ज की थी कि जहां तक नान रिफ्यूजीज (अशरणार्थी) का सवाल है उन के इंटरैस्ट (हित) को भी गवर्नमेन्ट को देखना है और मैं ने अर्ज किया कि ऐसी सूरत में कोई ऐसी दफा भी बनाई जाये कि अगर कोई शख्स समझता हो कि सिविल कोर्ट (दीवानी अदालत) में उस के खिलाफ हुई बेइन्साफी

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

की दुरुस्ती कराई जा सकती है तो उस को वहां जाने की इजाजत हो। लेकिन बाकी जितने मेम्बर साहबान उस कमेटी में थे उन्हों ने इस को मंजूर नहीं किया और उस की वजह साफ थी, क्योंकि कोई यह पसन्द नहीं करता था कि हर एक मामले को हाई कोर्ट (उच्च न्यायालय) तक ले जाया जाय और इतने दिनों तक मामले को लटकाया जाय। उस वक्त यही डर था कि इस में रिफ्यूजीज (शरणार्थियों) का इंटरैस्ट सैक्री-फाइस (हित बलिदान) हो जायेगा। चुनाचे उस लॉ (विधि) में यह तो हक दिया गया कि ऐसा शख्स कि जिस को इवैक्युई (निष्क्रमणार्थी) करार दिया जाय तो उस को तो राइट (अधिकार) दिया गया कि वह सिविल कोर्ट (दीवानी अदालत) में जा कर अपने केस (मामले) को रिप्रैजेंट कर सके और जो यहां के रहने वाला है अपनी जायदाद को वापस ले सके, लेकिन और किसी को कोई हक नहीं दिया गया कि सिविल कोर्ट (दीवानी अदालत) में अपना केस (मामला) ले जाय और कहा गया कि जो जजमेंट (फैसला) कस्टोडियन (अभिरक्षक) का है वह नाफिज होगा।

इसी तरह से मैं अदब से कहूंगा कि चन्द और भी बेइन्साफियां यहां के लोगों के साथ हुईं। यहां पंजाब में कुछ ऐसे ज़िले थे फिरोजपुर, करनाल और दूसरे जिले, कि जहां बड़े बड़े मुसलमान लैंड लार्ड (ज़मींदार) थे। तो जब नया कानून पंजाब में बना जिस की रू से जमींदारी खत्म हो गई, तो उस की वजह से ऐसे आदमियों को जिन का मुद्दत दराज से कब्ज़ा उन की जमीन पर चला आया था और जो बरसों से काश्त करते थे, आज वह उस कानून की रू से आकुपैंसी टैनेंट (अधिकृत काश्तकार) बन जाते, वह मालिक बना दिये जाते। अगर आज वह मुसलमान यहां होते, फिरोजपुर या करनाल या और जगह के नवाब अगर आज यहां होते तो जिन के पास उन की जमीनें कब्ज़े में थीं, उन को बेदखल नहीं किया जा सकता था। वे उस के मालिक करार दे दिये जाते। लेकिन आज वे ज़मीनें हमारे रिफ्यूजीज (शरणार्थियों) को अलाट (आवंटित) हो गयी हैं तो सरकार ने यह कहना शुरू किया कि उन को बेदखल किया जाय। यह सख्त बेइन्साफी थी।

इसी तरह से मैं जानता हूं कि कितने ही आदमियों के साथ बेइन्साफी हुई। लेकिन इस गरज से कि जो हमारे भाई हिन्दुस्तान में पाकिस्तान से उजड़ कर आये हैं, उन के साथ बेइन्साफी न हो, हम ने यहां के लोगों के हक़ का ख्याल नहीं किया। मैं इस की कोई शिकायत नहीं करता, क्योंकि ऐसे मौके पर किस प्राइवेट प्रोपर्टी (व्यक्तिगत सम्पत्ति) के हक़ को मैं देखूं जब कि इतना मास (समुदाय) सैक्रीफाइस (बलिदान) हो रहा हो। मैं इस की कोई शिकायत नहीं करता। लेकिन मैं कहूंगा कि उन लोगों के बारे में जो बहुत गरीब हैं, जो किसान हैं, जिन का पुश्तों से कब्ज़ा था, उन के बारे में मैं अदब से अर्ज़ करूंगा श्री अजित प्रसाद जी की खिदमत में कि जहां तक उन किसानों का सवाल है जो इतनी पीढ़ियों से अपनी जमीन को बोते चले आये हैं, उन का ख्याल करना चाहिये। वह इवैक्युई लॉ (निष्क्रमणार्थी विधि) के मातहत बेदखल कर दिये गये। उन को बेदखल नहीं करना चाहिये था। उन को जमीनें वापस मिलनी चाहियें।

मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि इस बारे में वह लॉ (विधि) को फिर देखें और जो तरमीम मुनासिब हो वह पंजाब में या यहां कर दें।

इस के अलावा जनाबवाला मैं अर्ज कर रहा था कि दफा १६ की तरफ तवज्जह

दिलाई गई और कहा गया कि १६ का कानून ऐसा सख्त कानून है, जिस के जरिये गवर्नमेन्ट पता नहीं क्या करना चाहती है। अभी मेरे लायक दोस्त गिडवानी साहब ने पुरानी दफा ५२ का जिक्र किया.....

श्री गिडवानी: मैं पुरानी दफा नहीं बतला रहा हूं, नयी का जिक्र किया है. मैं बंधा नहीं हूं।

५ म० प०

पण्डित ठाकुर दास भार्गव: आप को बांध कौन सकता है बंध तो वही सकता है जो अपने आप को बंधवाना चाहे। मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि यह जो दफा १६ (१) की जगह थी और जो दफा १२ में है, यह निहायत गौर खौस के बाद बनाई गई थी और ऐसे वक्त बनाई गई थी और इस गरज़ से बनाई गई थी कि अगर कोई बेइन्साफी हो तो गवर्नमेन्ट उस को रोक सके। आज सिविल कोर्ट्स (दीवानी अदालतों) में हम देखते हैं और यह हो सकता है कि बहुत सी चीज़ो में नाइन्साफी हो जाय, लेकिन यह कानून तो इस गरज से बनाया गया है कि अगर गवर्नमेन्ट किसी के साथ इंसाफ करना चाहे तो इस दफा की रू से कर सके, साथ ही अगर कोई अफसर बेईमान हो, तो वह इस के ज़रिये अगर चाहे तो किसी के साथ तरफदारी भी कर सकता है। इस सिलसिले में मेरे लायक दोस्त ने अभी हमें बतलाया कि हमारे मिनिस्ट्रान और बड़े मौअज्ज़िज़ मिनिस्टर साहबान इवैक्युई प्रौपर्टी (निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति) के बारे में खत लिखते रहते हैं और सिफ़ारिशें करते रहते हैं उन की शिकायत दुरुस्त है और मैं ने भी का कई मर्तबा जिक्र किया है और यह चीज़ हुई, लेकिन आखिर सब इन्सान देवता तो हैं नहीं और इस वजह से जब ऐसी बातें हो जाती हैं जो न होनी चाहियें और हम उन चीज़ों की तारीफ नहीं करते, हम उन को कन्डेम (रद) करते हैं, तो हमें देखना यह है कि गवर्नमेन्ट को यह अख्तियार देना जायज है या नहीं। मैं इत्तिफाक से उस सेलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) का चेयरमैन था और हमारे सामने यह सब सवाल आये और हम ने उन को देखा और उन पर सोच विचार किया। मैं जनाब से अर्ज़ करूंगा कि एमेंडिंग बिल (संशोधक विधेयक) में सेलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) को उतना ही अख्तियार है जितनी दूर कि वह अमेंडमेंट (संशोधन) जाता है। पहले की दफा और इस सोलह दफा में बहुत थोड़ा फर्क है, पुरानी दफा के मातहत गवर्नमेन्ट के सर्टिफिकेट (प्रमाण) देने के बाद कस्टोडियन (अभिरक्षक) यह देख सकता था कि ऐसे आदमी का टाइटिल (आगम) दुरुस्त है या नहीं। अब भी यही कानून रक्खा गया है, इस में क्या फर्क है? मेरे दोस्त ने छतरीवाले के केस (मामले) का ज़िक्र किया था, मैं ने भी इस हाउस (सदन) के अन्दर उस का जिक्र किया था, लेकिन क्या मेरे दोस्त भूल गये कि यह पुराना कानून उस वक्त बना था जिस वक्त नेहरू लियाकत पैक्ट (समझौता) की स्याही भी नहीं सूख पाई थी और इस वास्ते उस वक्त का माहौल कुछ और ही तरह का था। इस ऐक्ट (अधिनियम) के बनते ही हमारे पिछले रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर (पुनर्वास मंत्री) श्री मोहन लाल ने बयान दिया कि जो लोग १८ जुलाई सन् ४९ (?) तक वापिस आयेंगे उन को उन की जायदाद वापिस हो सकेगी, अब इसमें चाहे छतरी वाले हों या बे छतरी वाले, चाहे दस करोड़ की प्रौपर्टी (सम्पत्ति) का सवाल हो या दस रुपये का, सब के साथ एक ही कानून के जरिये बर्त्ताव किया जायेगा, और यह होना ही चाहिये, आखिर यह कानूनी, गवर्नमेन्ट है और डैमोक्रेसी (जनतंत्र) में बिलीव (विश्वास) करती है और अगर

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

यह कानून न चले तो मैं अर्ज करूंगा कि सब मामला ही खत्म हो जायगा, जब जायदाद की वापसी के बारे में एक उसूल हम ने बना लिया, तब हमें उस पर जम कर चलना है फिर चाहे कितनी ही बड़ी जायदाद का मामला हमारे सामने क्यों न पेश हो, क्योंकि आखिर जो उसूल हम ने अपनाया वह तो सब के वास्ते है, मेरे दोस्त चाहते हैं कि रिफ्यूजीज (शरणार्थियों) का पूल (संकोष) कम न होना चाहिये और मैं भी यही चाहता हूं कि उस पूल (संकोष) को कम न होना चाहिये, लेकिन साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि अगर हमारे मिनिस्टर साहब चाहे कोई भी हों, जैसे हमारे श्री मोहनलाल ने अगर एक बयान दे दिया, तो फिर हम को उस पर जमे रहना है और उस पर अमल करते जाना है चाहे उस से फायदा या नुकसान क्यों न हो, ठीक उसी तरह अगर हमारे मिनिस्टर श्री अजित प्रसाद जैन ने बयान दे दिया है कि रिफ्यूजीज (शरणार्थियों) को कम्पेन्सेशन (मुआवज़ा) मिलना चाहिये, तो हमें उस बात पर पाबन्द रहना चाहिये और उस से हटना नहीं चाहिये। इसलिये यह हम पर लाजिम है कि हम जो बयान दें और पालिसी (नीति) बतलायें, उस पर पाबन्दी के साथ अमल करें और हम उस से दूर न भागें।

जनाबवाला, मैं ने जरूरत से ज्यादा वक्त ले लिया है। अब मैं थोड़ा इन्टेंडिंग इवैक्युई (इच्छक निष्क्रमणार्थी) के बारे में अर्ज करना चाहूंगा कि आया हम इन्टेंडिंग इवैक्युई (इच्छक निष्क्रमणार्थी) के प्राविजन (उपबन्ध) को इस ऐक्ट (अधिनियम) में रक्खें या न रक्खें! यह कहना दुरुस्त नहीं है कि इन्टेंडिंग इवैकुई (इच्छक निष्क्रमणार्थी) को हटाने से कोई एक तरफा कार्यवाही हुई है। अगर जनाब वाला, इस बिल (विधेयक) की दफ़ा दो को मुलाहिजा फरमायेंगे तो पायेंगे कि इन्टेंडिंग इवैकुई (इच्छक निष्क्रमणार्थी) की जो तारीफ की गई है वह तारीफ तबदील की गई है। चुनांचे जो अशखास पहले इवैकुई (निष्क्रमणार्थी) नहीं बनते थे, वह अब इस दफ़ा २ के जिम्न ४ और ५ की ज़द में जो आजायेंगे वह इवैकुई (निष्क्रमणार्थी) बन जायेंगे और उन की जायदाद इवैकुई प्रौपर्टी बन जायेगी, आप देखेंगे कि इस तरह जो तबदीली की गई है उस से इवैकुई पूल को सपोर्ट (समर्थन) ही किया गया है। यह वहन दुरुस्त नहीं है कि इनटेंडिंग इवैकुई को हटाने से उस सारे पूल को कम करने की कोशिश की गई है, इन्टेंडिंग इवैकुई ऐक्ट किस तरह बना, वह सारी हिस्ट्री (इतिहास) अगर बयान करने लग जाऊं तो बहुत वक्त लग जायेगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर अर्ज करना चाहता हूं कि आखिर इन्टेंडिंग इवैकुई का प्रैक्टिकल प्रोपोजीशन (व्यावहारिक रूप) क्या है और आप देखेंगे कि जिन की जायदाद इवैकुई प्रौपर्टी बन चुकी है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर जनाब वाला, आखिरी जिम्न को देखगे तो पायेंगे कि दफा १७ के मातहत जो जायदाद इवैकुई प्रापर्टी बन चुकी है, उस को हाथ नहीं लगाया है बल्कि यह लिखा है :

The repeal of Chapter IV of the principal Act shall not affect—

(a) any property which has vested in the Custodian under section 22 of the principal Act before the commencement of this Act, or

(b) any proceeding pending under that section on such commencement.

(मूल अधिनियम के अध्याय ४ को निरसन का प्रभाव नहीं पड़ेगा :—

(क) कोई भी सम्पत्ति जो अभिरक्षक के अधिकार में धारा २२ के अनुसार इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व आ गई है; या

(ख) इसके कार्यान्वित होने पर उस धारा के अनुसार विचाराधीन कार्यवाही।)

अब मैं गिडवानी साहब की अस्ली शिकायत पर आता हूं जिस में उन्हों ने फरमाया है कि जिन अशखास को इन्टेंडिंग इवैकुई डिक्लेयर (घोषित) किया जा चुका है, उन को एक तरह से दफा १७ की रू से उन की निस्बत यह करार दिया जा रहा है कि उन पर कोई पाबन्दी नहीं होगी।

मैं खुद भी नहीं जानता कि जिन को कोर्ट (न्यायालय) इन्टेंडिंग इवैकुई करार दे चुकी हैं उन को इन्टेंडिंग इवैकुई की लिस्ट (सूची) में हटाने से क्या फायदा होगा, लेकिन साथ ही मैं यह भी जानता हूं कि अगर इस को नहीं हटाया जाता है तो पोजीशन (स्थिति) बिल्कुल इन-कनसिसटेंट (अस्थायी) और इललाजिकल (तर्क रहित) हो जाती है और मैं समझता हूं कि आपने इस में से जो यह इजाज़त दी है कि कोई भी शख्स तीन हजार रुपये तक मालियत की जायदाद वगैर इजाज़त के ट्रांसफर (हस्तांतरित) और डिस्पोज़ आफ (निबटारा) कर सकता है और पाकिस्तान को जा सकता है दुरुस्त और माकूल है और मैं उन आदमियों में से हूं जो यह समझते हैं कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान को जाना चाहता है तो वह मेरी निगाह में न डिस्लायल (कृतघ्न) है और न ही वह कोई बुरा काम करता है। अगर आज मैं पाकिस्तान में होता तो मुझे भी हिन्दुस्तान में आने की ख्वाहिश होती और उस के वास्ते मैं अपने आप को बुरा नहीं समझता। मैं नहीं समझता कि अगर कोई शख्स अपनी कम्युनिटी (जाति) में जाना चाहता है तो वह कसूरवार है और ऐसे लोगों के जाने में क्यों रुकावट डाली जाती है, वह डिस्लायल (कृतघ्न) नहीं है अगर वह अपने मुल्क में जाना चाहता है। हमारे श्री अजित प्रसाद जैन को ऐसे केसेज़ (मामले) मालूम हैं कि जिस वक्त कहत के दिनों में जो शख्स अपने जानवरों की परवरिश के वास्ते रुपये कर्ज न ला सके और जो अपनी जरूरतों के वास्ते भूखे मरते हुए भी और अपनी जायदाद को बेच कर भी अपना और अपने बच्चों का पेट न पाल सके जो किसी तरह भी अपनी ज़रूरतों को जायदाद से पूरा न कर सके, जो सरीहन बड़ी सख्ती की बात है। इन बातों की बुनियाद पर जो स्पीच हमारे मिनिस्टर साहब ने दी उस का सारे हाउस (सदन) पर असर हुआ। इस बात को हम नहीं चाहते कि लोगों को बेजा तकलीफ हो। इस वजह से यह तीन हजार की रकम कायम की गई फिर अगर कोई गरीब आदमी है वह जाना चाहता है तो उस को तकलीफ न हो। इस रकम से वह अपना काम भी चलाये और अगर जाना चाहता है तो चला भी जाय। यह उसूल था और मैं समझता हूं कि अगर मेरा काबू होता तो मैं किसी आदमी को यह न चाहता कि जो पाकिस्तान जाना चाहता है वह यहां रहे। अभी मेरे लायक दोस्त ने मिस्टर खलीकुज्जमा और हुसैन इमाम साहब का जिक्र किया। उस वक्त जब यह कानून बन रहे थे तो वह लोग पंडित जी के कान में जा कर गुफ्तगू किया करते थे। हम तो श्री मोहन लाल जी से ही कहते थे कि एमेन्डमेंट (संशोधन) करो, यह करो, वह करो, उन के तमाम पहलू बयान किया करते थे, और हर तरह से डिबेट (भाषण) किया करते थे। मझे वह दिन याद है जब अजित प्रसाद साहब ने एक सवाल के जवाब म. यहां पर हुसैन इमाम साहब से कहा था कि हम आप को जाने की इजाजत देते हैं, आप की बीबी को

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

जाने की इजाजत देते हैं लेकिन आप अपनी जायदाद यहां पर छोड़ जाइये। उन को मालूम था कि वह किस तरह से यहां से जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत से आदमी हैं जिन के खिलाफ मेरे दोस्त के पास शिकायतें हैं। शुरू दिन से मेरी यह शिकायत थी कि जो लोग यहां से जाना चाहते हैं मैं उसूलन उन के खिलाफ नहीं, लेकिन असल में जिस तरह पाकिस्तान हमें निकाल रहा है उस से मेरी छाती पर सांप लोटता है। यह कैसे हो सकता है कि यहां से लोग अपनी कुल जायदाद या उस की कीमत ले कर वहां चले जायें। और वहां से जो आयें वह आदमी सिर्फ अपने जो कपड़े पहने हुए हों वह ही ले कर आवें। मैं ने शुरू में बहस की थी कि रिफ्यूजी यह नहीं कह सकते कि इवैक्वी (निष्क्रमणार्थी) जायदाद उन की है लेकिन जब कि गवर्नमेन्ट ने करार दे दिया कि यह जायदाद उन को दी जाय, तो इस जायदाद का पूल (संकोष) कम न हो यह उन को कहने का पूरा हक है। सरकार उन को कम्पेन्सेशन (मुआवज़ा) दे जो वह कम्पेन्सेशन (मुआवज़ा) अपनी जायदाद का मांगते हैं तो सरकार इवैक्वी जायदाद का चाहे सो करे। इनटेंडिंग इवैक्वी के बारे में अर्ज़ है कि अब वक्त काफी हो चुका है जो कुछ हम इस बिल में चाहते हैं उस की बुनियाद क्या है। जितने इवैक्वी प्रापर्टी वाले थे या जो इन्टेंडिंग इवैक्वी थे, क्या वह पांच बरस के बाद भी खत्म नहीं हुए। कितने आदमी इवैक्वी बने थे, आखिर उन की तादाद तो देखिये। सारे हिन्दुस्तान में उन की तादाद हजार से ज्यादा न थी उन में से बहुत सों की जायदाद इवैक्वी बन चुकी। जिन को जाना था वह चले गये, सारे हिन्दुस्तान से, जो यहां के न्टेंडिंग इवैक्वी थे अब उन के अन्डे बच्चे यहां बाकी नहीं रहे। इसलिये यह ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इन्टेंडिंग इवैक्वी (इच्छुक निष्क्रमणार्थी) हों उन की प्रापर्टी का इतना फर्क पड़ता हो। और फिर जिन को इन्टेंडिंग इवैक्वी कहा जाता था उन को इवैक्वी डिक्लेयर (निष्क्रमणार्थी घोषित) करने में आप ने इतनी देर लगा दी। जिस को कस्टोडियन ने इन्टेंडिंग इवैक्वी डिक्लेअर नहीं किया उस के लिये कौन सी चीज़ रह गई जिस से यह मालूम हो जाय कि वह इन्टेंडिंग इवैक्वी है बाई डाकुमेन्टरी इवेडिन्स (लिखित प्रमाण द्वारा) और बाई कान्डक्ट (आचरण द्वारा)। आज मैं कहना चाहता हूं कि यह जितनी बातें थीं बाई कान्डक्ट (आचरण द्वारा) बाई डाकुमेन्टरी एविडेन्स (लिखित प्रमाण द्वारा) या और कुछ, इस का जितना फायदा या नुकसान होना था वह सब का सब खत्म हो चुका। और कोई भी इन्टेन्डिंग इवैक्वी दिखाई नहीं पड़ता। और अगर है तो यह दफा ४० और ४१ मौजूद है जिस के ऊपर आप एतराज नहीं करते, जिस के ऊपर किसी ने भी एतराज नहीं किया है। जिन लोगों के लिये हमारे मिनिस्टर साहब मैगनैनिमिटी आफ हार्ट दिखाना चाहते थे कि हम उन को जायदाद बेच कर गुजारा करने दें, उस के खिलाफ कोई भी बात नहीं कही गई है। आप ने दफा ४० को रक्खा है तो मैं निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि यू हैव स्वालोड दि कैमेल, यू आर स्ट्रेनिंग ऐट दि नट (सुई के छेद से ऊठ तो निकल गया, पूंछ अटकी रह गई) मैं अपने दोस्त श्री देशपांडे से सहमत हूं। उन्हों ने जो भी फरमाया मैं उस चीज़ की कद्र करता हूं यानी यह कि वह नहीं चाहते कि इवैक्वी पूल कम हो। मैं उन के इस जज्बे की कद्र करता हूं कि जो लोग यहां रहते हैं उन के साथ बेइन्साफी न हो, हम किसी के खिलाफ बेइन्साफी नहीं चाहते, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान। हमें अपने दिमाग

को ठीक रखना चाहिये । मैं उन के साथ सहमत हूं । लेकिन इस बारे में जो कुछ गवर्नमेन्ट का रवैया रहा है उस से मैं यह महसूस नहीं करता कि उस का खास असर इवैक्वी प्रापर्टी पर हो । इसलिये मैं नहीं देखता कि इस का कोई खास असर पड़ेगा अगर कोर्ट ने किसी को इन्टेंडिंग इवैक्वी डिक्लेअर कर दिया और मिनिस्टर साहब उस के बखिलाफ जा कर यह डिक्लेअर (घोषित) कर देते हैं कि हर एक आदमी को वह डिक्लेअड इवैक्वी हो या न हो उस को अपनी जायदाद पाने का अख्तयार है बशर्ते वह ऐप्रूवल (स्वीकृति) ले ले कस्टोडियन का या कस्टोडियन जनरल का । अगर वह ऐप्रूवल (स्वीकृति) न ले तब भी वह नाजायज़ है । आज पांच छः बरस बाद और दरिया में बहुत सा पानी गुजर जाने के बाद हालात ऐसे नहीं हैं अगर यह ऐक्ट पास किया जा रहा है तो इस के लिये ज्यादा तरददुद की जरूरत हो ।

जनाब वाला, मैं उन आदमियों में से हूं जो चोइथ राम गिडवानी साहब के इस बारे में असूल से सहमत हूं । मैं जानता हूं कि जो गवर्नमेन्टल मामूली मामले होते हैं उन में रेसिप्रोसिटी (आपसी समझौते) पर फैसले होते हैं, लेकिन जहां इन्सानियत का मामला हो, जहां फंडामेन्टल राइट्स (मौलिक अधिकारों) का मामला हो, मैं कतई इस के खिलाफ हूं कि हम दूसरों की नकल करें । पाकिस्तान में कुछ हो, पाकिस्तान अपने कानून मुनासिब तरीके से बनाये न बनाये, हमारी गवर्नमेन्ट को और हम को ऐसे कानून बनाने चाहियें जो दुरुस्त हों, जो फेअर (न्यायपूर्ण) हों । मैं ने अभी औरतों के वापिसी के बारे में देखा कि वहां से औरतें आती हों या नहीं, हमारे सारे हाउस का एक ही जवाब इस बारे में था । जहां तक फंडामेन्टल राइट्स (मौलिक अधिकारों) का सवाल है, जहां तक मारेलिटी (नैतिकता) का सवाल है, हमारी गवर्नमेन्ट की जो ऐप्रोच (पहुंच) हो वह बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिये । इस में कोई इवैक्वी का सवाल नहीं है, इस में कोई शरणार्थी का सवाल नहीं है । जनाब वाला, मैं हुक्म सिंह साहब और गिडवानी साहब को जानता हूं । आप उन से बात कीजिये उन के दिल में कोई नफरत का जजबा नहीं है, वह कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान वालों के खिलाफ हम कोई नाजायज बात करें, या मुसलमानों के साथ बेइन्साफी करें । यही रवैया देशपांडे साहब का है । हमारी सेलेक्ट कमेटियों (प्रवर समितियों) में और यहां पर धनश्याम साहब का यही सोच है और इस के लिये मैं उन को मुबारकबाद देता हूं ।

श्री वी० जी० देशपाण्डे : मैं बताना चाहता हूं कि घनश्याम मेरे पिता का नाम है; मेरा नाम देशपांडे है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : गलती के लिये मुझे खेद है । जब असली घनश्याम यहां थे तो वह सभी के पिता थे ।

तो मैं जनाब वाला की खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि जहां तक इस अम्र का ताल्लुक है अगर इन्टेंडिंग इवैक्वीज़ के लिये अगर हम यही ला (विधि) पास कर दें तो इस में कोई लम्बी चौड़ी मूखालिफत किसी को नहीं है । और इसलिये मैं इन सब दफ़ात को सपोर्ट (समर्थन) करता हूं क्योंकि इस में जितने भी सैक्शन्स (धारायें) और क्लाजेज (खण्ड) हैं वह सारे के सारे दुरुस्त और मुनासिब मालूम होते हैं ।

एक दफा की तरफ हुक्म सिंह साहब ने तवज्जह दिलाई जिस में उन्हों ने कहा कि वह डिस्प्लेस्ड पर्सन्स (विस्थापित व्यक्तियों) के खिलाफ हैं । लेकिन मैं अर्ज़ करूंगा यह दुरुस्त नहीं है । सन् १९४७ के पहले जो लीजेज थे उन लीजेज के बारे में जो तरमीम है वह बिल्कुल दुरुस्त है । सन् १९४७ के पहले कस्टोडियन पैदा ही नहीं हुआ था इसलिये

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

उस के पहले के जो कन्ट्रैक्ट (संविदा) हैं उन के साथ खेलना जायज नहीं है। मेरे दोस्त लाला अचिन्त राम साहब की इस बारे में एक तरमीम है। मैं कहना चाहता हूं कि उसूल यही सही है कि पहले के जितने एक्शन्स (कार्य) थे, कंट्रैक्ट्स (संविदा) थे चाहे वह किसी के भी हक में हों, या खिलाफ हों, उन के साथ हम न खेलें। इसलिये सेलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) ने जो कुछ किया है वह बिल्कुल दुरुस्त है और मैं इस बिल (विधेयक) को सपोर्ट (समर्थन) करता हूं।

श्रीमती सुचेता कृपलानी (नई दिल्ली) : सभापति महोदय, कई सदस्यों ने बिल (विधेयक) के ऊपर काफी विचार प्रकट किये हैं इसलिये मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना है। मगर मैं जो कि सेलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) की एक मेम्बर थी, जिस शक्ल से यह बिल आया है उस से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं। इसलिये मैं दो चार शब्द कहना चाहती हूं।

माननीय रिहैबिलिटेशन (पुनर्वास) मंत्री ने शुरू में ही दो चार शब्द कह कर यह बिल (विधेयक) पेश करते हुए उन्हों ने एक बात बहुत ठीक कही कि वह बहुत खुश होते अगर इस ऐक्ट (अधिनियम) का काम खत्म हो चुका होता और इस समय इस से ज्यादा ठीक बात वह नहीं कह सकते थे और यह मेरे दिल की भी बात है कि इस ऐमेन्डिंग बिल (संशोधक विधेयक) की जरूरत न होती।

हम लोग खुद हैरान थे कि पांच साल बीतने के बाद आज इस वक्त इस ऐक्ट (अधिनियम) में अमेंडमेंट (संशोधन) लाने की क्या जरूरत थी क्योंकि यह तो थोड़े ही दिनों के लिये बना था। जैसा कि ठाकुर दास जी ने कहा कि यह ऐक्ट (अधिनियम) ठीक ऐक्ट (अधिनियम) नहीं है। मजबूरी हालत में ही हम ने यह इवैक्वी प्रापर्टी ऐक्ट (निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति विधेयक) पास किया था। जब मुल्क का बटवारा हुआ था उस वक्त अगर हम ईमानदारी से अपना सामान ला सकते और जो लोग यहां थे वह अपना सामान ले जा सकते तो कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता था कि जो हमारे लोग वहां से आवें वह सामान ले कर आ सकें। जब कोई चीज़ प्राइवेट (व्यक्तिगत) तरीके से तै नहीं हो सकी तो सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि स्टेट टू स्टेट अरेंजमेंट (राज्यानुकूल प्रबन्ध) से हम कुछ फैसला करवा सकते हैं तब यह ऐक्ट (अधिनियम) पास किया गया था।

मैं जानती हूं कि जो बात चोइथराम जी ने कही यह उन ८० हजार रिफ्यूजी (शरणार्थियों) के दिल की तड़प है जो कि हमारे मुल्क में हैं। यही तड़प उन के मुंह से निकल रही थी। उन्हों ने मेरी जायदाद जो शब्द इस्तेमाल किया था इस पर ठाकुर दास जी ने ऐतराज किया। उन का मतलब यह नहीं था कि यह हमारी प्रापर्टी (सम्पत्ति) है। उन का मतलब यह है कि जब यह फैसला हो गया कि स्टेट टू स्टेट अरेंजमेंट होगा (राज्यानुकूल) उस वक्त उन को हक है कि यह कहने का कि यह हमारी प्रापर्टी (सम्पत्ति) है। क्योंकि जो इवैक्वी प्रापर्टी (निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति) का जो पूल (संकोष) है उसी से तो आप रिफ्यूजीज (शरणार्थियों) को देंगे। आपने बार बार यही कहा पहले आप ने इन्कार किया कि कुछ नहीं देंगे फिर सरकार थोड़ी नरम पड़ी और कहा कि हम कुछ देंगे। पहले तो सरकार को कम्पेन्सेशन (मुआवज़ा) शब्द से बड़ा डर लगता था। पीछे वह यह कम्पेन्सेशन (मुआवज़ा) का शब्द कहने लगे। उस के बाद उन्हों ने कहा कि जो इवैक्वी प्रौपर्टी (निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति) का पुल (संकोष) है उस में से देंगे। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में हमारे लोगों ने जो जायदाद

छोड़ी है वह उस से कई गुना ज्यादा है जो कि पाकिस्तान जाने वालों ने यहां छोड़ी है। मगर हम ने जो पाकिस्तान में जायदाद छोड़ी है उस से हम को कुछ मिलने वाला नहीं है हम को उस की उम्मीद नहीं है। तो जो कुछ भी आज यहां रिफ्यूजीज (शरणार्थी) को मिलेगा वह इसी पूल (संकोष) से मिलेगा। तो मैं दो चार सवाल माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं जिन का जवाब वह देना पसन्द नहीं करते। मैं यह पूछना चाहती हूं कि यहां पूल (संकोष) में जो इवैक्वी प्रापर्टी (निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति) है उस की पूरी रकम कितनी है और जो रिफ्यूजीज़ (शरणार्थी) छोड़ आये हैं उस की रकम कितनी है। जो इवैक्वी प्रापर्टी (निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति) का पूल (संकोष) बना था वह आज कितना रह गया है। अगर आज रिफ्यूजीज़ जो कि पूल (संकोष) के घटने के बारे में चिल्लाता है तो इस में वह कुछ बेजा बात नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि इसी में से उस को कुछ मिलने वाला है। फिर एक बात और है जिस की तरफ डा० चोइथराम गिडवानी ने भी उन की तवज्जह दिलाई है। आप के मिनिस्टर गोपालस्वामी जी ने और श्री अजित प्रसाद जी ने बार बार कहा कि तुम को कुछ न कुछ देंगे, चाहे उन्हों ने कम्पेन्सेशन (मुआवज़ा) शब्द इस्तेमाल न किया हो। लेकिन यकायक अखबारों में निकल जाता है फाइनेन्स मिनिस्टर (वित्त मंत्री) साहब की तरफ से कि कुछ नहीं मिलने वाला है। आप कहते थे कि इस वक्त यह बिल (विधेयक) न आता तो बहुत ठीक होता। अगर पांच साल में आप लोग सारा इवैक्वी प्रापर्टी (निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति) का मामला खत्म कर देते तो यह बिल (विधेयक) आप को न लाना पड़ता। लेकिन हमें यह शिकायत है कि एक मंत्री एक ज़बान से बोलता है दूसरा दूसरी ज़बान से बोलता है। हमें मालम नहीं होता कि हम कहां हैं। मैं तो यह अर्ज़ करूंगी कि इस बिल को लाने के पहिले आप सब अपने दरवाजे बन्द करके बैठते और देखते कि आप को झोले में देने के लिये क्या है। फिर एक राय हो कर पबलिक (जनता) के सामने आते। अगर सन् १९४७ में रिफ्यूजीज़ (शरणार्थियों) को यह मालूम हो जाता कि उन को कुछ नहीं मिलने वाला है तो वह तसल्ली कर के बैठ जाते। वह अपना इरादा पक्का कर के बैठ जाते। लेकिन आप हर दो चार दस महीने बाद कहते रहे कि तुम्हें देंगे, क्लेम्स (दावे) का बड़ा ढकोसला बनाया, सैकड़ों आदमियों से फ़ेहरिस्त ली, दो दो दफा। गरीब आदमी रेल का किराया खर्च कर कर के अपना जेवर बेच बेच कर अपने क्लेम (दावे) की दरखास्त डाले हैं। आज उन को मालूम नहीं कि उन को कुछ मिलेगा या नहीं इसलिये आज मैं जानना चाहती हूं अपने रिफ्यूजीज (शरणार्थियों) की तरफ से कि आप का क्या इरादा है। आप इन को कुछ कम्पेन्सेशन (मुआवज़ा) देना चाहते हैं या नहीं, आप की पालिसी (नीति) क्या है। यही मेरा सवाल है। इसी लिये मैं ने आप से यह सवाल भी पूछा है कि हमारे यहां इवैक्वी प्रापर्टी (निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति) का कितना पैसा इकट्ठा हुआ है। कितना इवैक्वी प्रापर्टी (निष्क्रमणार्थी सम्पत्ती) का पूल (संकोष) घटा है और हम कितनी जायदाद छोड़ आये हैं। इसी बिल (विधेयक) से यह सवाल लागू है यह बात नहीं है, लेकिन कुछ हद तक इस का बेसिस (आधार) इस बात पर है। इसलिये मैं आप का ध्यान इस तरफ दिला रही हूं। मैं खुद सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) में थी। इस बिल (विधेयक) का उसूल यह है कि जो हमारे मुसलमान भाई मुल्क को छोड़ना नहीं चाहते हैं और उन को अपनी जायदाद जायज तौर से बेचने में दिक्कत हो रही है उस को दूर किया

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

जाय । उसूलन हम को इस से कोई एतराज नहीं है कि आप ने इनटेंडिंग इवैक्वी (इच्छुक निष्क्रमणार्थी) का क्लाज (खण्ड) हटा दिया। मगर जो इनटेंडिंग इवैक्वी डिक्लेअर (इच्छुक निष्क्रमणार्थी घोषित) हो चुके हैं, जिन को कानून के जरिये जांच कर के इनटेंडिंग इवैक्वी डिक्लेअर (इच्छुक निष्क्रमणार्थी घोषित) कर दिया गया है, उन के ऊपर से भी आप यह बंधन हटाये दे रहे हैं। मैं ने सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) में यह सवाल पूछा था कि आप इस ढंग के इन्टेंडिंग इवैक्वी (इच्छुक निष्क्रमणार्थी) को क्यों छोड़ रहे हैं। इन को छोड़ने से ये लोग जायदाद ले कर पाकिस्तान चले जायेंगे तब आपने कहा कि हम जाने वालों को बैरियर पर रोक देते हैं और मुल्क का धन बाहर जाने नहीं देंगे। किस तरह से आप इन को बैरियर (सीमा) पर रोकते हैं और किस ढंग से प्रापर्टी नहीं ले जाने देते यह मेरी समझ में कुछ नहीं आया। अभी चोइथराम जी ने आप को राजस्थान का उदाहरण दिया जिस से पता चलता है कि आप लोगों का यह काम कैसा ढीला चलता है, जो जाने वाला है, जिस का इन्टेंशन ऐस्टेबलिश्ड (विचार निश्चित) है उस को आप क्यों छोड़ देते हैं। ज्यादा अच्छा होता कि आप प्रापर्टी (सम्पत्ति) का मसला जल्द से जल्द हल कर देते कि इस ऐक्ट (विधेयक) की जरूरत नहीं रहती। आप यह फैसला कर दें कि किस ढंग से देंगे और कितना देना है। जितना देना है दे दीजिये। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है यह प्रापर्टी (सम्पत्ति) घटती जा रही है। पूल (संकोष) से कुछ चीज़ निकलती जाती है, मुसलमान वापस आते हैं और अपनी प्रापर्टी (सम्पत्ति) ले लेते हैं, और बहुत सी प्रापर्टी खराब हुई जा रही है, जैसे कि मकान मरम्मत न होने की वजह से खराब हुए जा रहे हैं। और इस तरह से पूल (संकोष) घटता जा रहा है। इसीलिये चोइथराम जी ने यह सवाल उठाया था कि हमारी प्रापर्टी (सम्पत्ति) घट रही है।

इस के अलावा मैं एक और बात की तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहती हूं। आप ने सेक्शन (धारा) ५२ में जनरल ऐग्जेम्पशन (सामान्य छट) ले लिया है। मैं वकील नहीं हूं लेकिन मैं समझती हूं कि अगर कहीं ऐग्जेम्पशन (छट) दिया जाता है तो उस का लिमिटेड स्कोप (सीमित क्षेत्र) होता है। आप ने तो सारा ऐग्जेम्पशन (छट) रखा है।

श्री ए० पी० जैन : यह इस संशोधित विधेयक के द्वारा प्रथम बार आ रहा है।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : नहीं, मैं ने आरम्भ से आप को बता दिया था कि यह खोखला है। उस में इसे नहीं रखना चाहिये था।

अगर एक बार आप ने कानून बनाते वक्त एक गलती की तो क्या उस को बार बार दुहराते रहें। यह तो हमारी डिमाक्रेसी (जनतन्त्र) की स्पिरिट (भावना) के खिलाफ है। आप ने इस को इतना वाइड (व्यापक) बना दिया कि आप चाहें तो मर्जी माफिक कानून की कारवाई रद कर सकते हैं। प्रशासन को इतना ज्यादा अधिक हरगिज नहीं होना चाहिये अगर ऐसे ही अधिकार लेना हो तो कानून बनाने की क्या जरूरत है, जो मन चाहे करते रहिए मगर मैं कहूंगी इतना अधिकार लेना डिमाक्रेसी की स्पिरिट के खिलाफ है। मैं बहुत पसन्द करती अगर इस कानून को खत्म कर दिया जाता। इस एक बात में ही मैं आप से पूरी तरह सहमत हूं।

चौधरी रणवीर सिंह (रोहतक) : कई भाई हैं जिन को जोश है कि इवैक्वी पूल (निष्क्रमणार्थी संकोष) किसी तरह से घटने

न पावे । कई भाइयों को जोश है कि कोई ऐसा कानून न बने जिस से किसी के ऊपर कोई पाबन्दी लगती हो । लेकिन जिस को ऐडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) चलाना है उस को बीच का रास्ता अख्तियार करना होता है । जोश तो न सही, पर ख्याल हमें भी पूरा है कि इवैक्वी पूल (निष्क्रमणार्थी संकोष) न घटे और इवैक्वी पूल (निष्क्रमणार्थी संकोष) आसानी से घटने नहीं दिया जाता है । लेकिन जोश में आदमी को सोचने की बुद्धि कम हो जाती है और ठीक बात को वह ठीक नहीं कहता और कई दफा ठीक बात उसे गलत दिखाई देती है । अभी बाबू ठाकुर दास जी ने बताया, एक बहिन ने कुछ अमेंडमेंट (संशोधन) दिया था उन्हों ने बताया मैं वकील नहीं हूं, लेकिन बाबू ठाकुर दास जी ने बताया कि इस अमेंडमेंट (संशोधन) की कुछ जरूरत नहीं है । किसी के लिये डरने की कोई गुंजायश नहीं है । यह बात कही तो बड़े खुले शब्दों में गई है कि इस देश में जो मजहब हैं मुसलमान ईसाई वगैरा वगैरा उन के लिए हम कोई फर्क नहीं करना चाहते ।

लेकिन उस जोश में जिस चीज़ को वह कहते हैं उस को भूल जाते हैं । जोश के अन्दर कुदरती बात है कि वह दूसरी बात को भूल जायें । आखिर इवैक्वी पूल (निष्क्रमणार्थी संकोष) का जोश है कि वह ज्यादा बढ़े । तो हो सकता है कि उस जोश में उस को गलत ढंग से बढ़ाने की कोशिश करें और उस को वह समझें कि वह ठीक है ।

श्री गिडवानी जी ने कहा और उन्हों ने इस को साबित करने की कोशिश की कि वह एक बहुत पुराने कांग्रेसी हैं । कांग्रेसी तो थे, लेकिन अब तो हैं नहीं । उन्हों ने बताया कि हम ने यह प्रस्ताव पास किया था कि हमारी ज्युडिशियरी (न्यायपालिका) अलहदा हो, एग्जीक्यूटिव (कार्यपालिका) अलहदा हो और ज्युडिशियरी (न्यायपालिका) में एग्जीक्यूटिव (कार्यपालिका) कोई इंटरफीयरेंस (हस्तक्षेप) नहीं करे । लेकिन एक अजीब बात है कि उन्होंने किस तरह से एग्जीक्यूटिव (कार्यपालिका) का इंटरफीयरेंस (हस्तक्षेप) करना बताया । वह समझते हैं कि, अगर कानून के अन्दर कोई अमेंडमेंट (संशोधन) और कोई तबदीली हो तो यह भी एक इंटरफीयरेंस । (हस्तक्षेप) है । मैं उन से कहता हूं कि अगर इसी का नाम इंटरफीयरेंस (हस्तक्षेप) है तो फिर इस पार्लियामेंट (संसद्) को बनाने की क्या जरूरत है ।

बाबू रामनारायण सिंह : जरूरत तो कोई नहीं है ।

चौधरी रणवीर सिंह : अगर यह बात है तो अच्छा होता कि आप यहां के लिये खड़े नहीं होते । आप के लिये तो रास्ता खुला था, आप के ऊपर कोई पाबन्दी तो थी नहीं कि आप पार्लियामेन्ट (संसद्) के मैम्बर (सदस्य) बनें । अगर आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट (संसद्) नहीं रहे तो आप के लिये तो अच्छा था कि न आप खड़े होते और न आप को लोग चुनते ।

खैर मैं अर्ज कर रहा था कि उन का अजीब ढग है । इंटरफीयरेंस (हस्तक्षेप) के वह अजीब माने निकालते हैं कि कानून को तबदील करने का नाम भी इंटरफीयरेंस (हस्तक्षेप) है । बात यह है कि देश के अन्दर कुछ ऐसे हालात थे कि जिन को हर एक भाई अच्छी तरह से जानता है । हमारे भाई कहते हैं कि कांग्रेस का एक प्रस्ताव था । तो जिस तरह से वह कहते हैं मैं भी उनसे कहता हूं कि कांग्रेस का ही और भी प्रस्ताव था और यहां कांस्टी-ट्यूऐंट असेम्बली (संविधान-सभा) का भी आदेश था कि जमीन को जो बोने वाले हैं वह उसी के पास रहे । लेकिन यू० पी० (उ० प्र०) के अन्दर जमींदारी अबोलीशन ऐक्ट (उन्मलन अधिनियम) पास

[चौधरी रणवीर सिंह]

किया गया, बिहार में पास किया गया, उन का क्या नतीजा निकला । अदालत में कानून ले जाने की वजह से वह रद्दी की टोकरी में रह गये थे बहुत अच्छे कानून थे वे कानून इस देश में तभी लागू किये जा सके जब कि वे विधान का भाग बना दिये गये । अगर इस सारी चीज़ का नाम इंटरफीयरेंस (हस्तक्षेप) है तो फिर तो इस पार्लियामेंट (संसद्) का काम ही क्या है । फिर तो बस सिर्फ जजेज़ (जजों) का ही काम रह जायगा और देश के अन्दर लैजिस्लेचर (विधान मंडल) की तो कोई भी जरूरत नहीं रहेगी ।

बाबू रामनारायण सिंह : और बहुत काम रहता है ।

चौधरी रणवीर सिंह : फिर गिडवानी जी को यह शिकायत है कि मंत्री महोदय को इवैक्वी पूल (निष्क्रमणार्थी संकोष) का या इवैक्वी इंटरैस्ट (निष्क्रमणार्थी हित) का कोई ख्याल नहीं है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मुझ को इस से उल्टी शिकायत है कि मंत्री महोदय को रीहैबिलिटेशन (पुनर्वास) का मिनिस्टर होने के नाते एक जोश आ गया है । जिस तरह से कुछ भाइयों में इवैक्ई पूल (निष्क्रमणार्थी संकोष) का जोश है उसी तरह से रीहैबिलिटेशन (पुनर्वास) का जोश हमारे मिनिस्टर साहब में भी आ गया है । जैसे उन्हें गिला है कि कांग्रेस का रिज्योल्यूशन (प्रस्ताव) है तो मैं भी कहता हूं कि कांग्रेस का एक और भी रिज्योल्यूशन (प्रस्ताव) है कि जमीन जो है वह जमीन के बोने वाले तक पहुंचे । मैं एक कानून की तरफ इशारा करना चाहता हूं । पंजाब स्टेट (राज्य) में मुजारों के फायदे के लिये बिल (विधेयक) पास किया गया । वहां पर एक नहीं, कम से कम एक तिहाई मैम्बर (सदस्य) भाई ऐसे होंगे जो रिफ्यूजी (शरणार्थी) थे और मेरी यह शिकायत है कि जो भाई यहां रीहैबिलिटेशन (पुनर्वास) के डिपार्टमेंट (विभाग) में सैक्रेटरीज (सचिव) हैं, डिप्टी सैक्रेटरीज (उप-सचिव) हैं, शायद उन के दिल में दर्द है उन से भी ज्यादा दर्द मैम्बरों के दिल में, इन रिफ्यूजीज़ (शरणार्थियों) के लिये हो । पंजाब असेम्बली (पंजाब सभा) ने एक कायदा बनाया । वह एक दूसरे किस्म के ख्यालात को देखते हुए बनाया कि जो आदमी उधर से आये हैं, उन को भी हमें बसाना है और जो आदमी यहां पर हैं जो जमीन की काश्त करते हैं और जिन को कि हमारे प्रान्त के अन्दर जमीन के ऊपर हक हों, जैसे कि और जगह हैं जो कि जमीन को बोते हैं, तो उन दोनों के ख्यालात को देखते हुए और उनके हक को ध्यान में रखते हुए कायदा बनाया है । लेकिन यह जो हमारी रीहैबिलिटेशन (पुनर्वास) की मिनिस्ट्री है वह उस पंजाब के बिल (विधेयक) को आज तक मंजूरी नहीं लेने दी है । इस वास्ते मैं कहता हूं कि उन को मिनिस्टर साहब को भी एक तरह से रीहैबिलिटेशन (पुनर्वास) का जोश हो गया है ।

मैं मिनिस्टर साहब को अच्छी तरह जानता हूं । मैं जाती तौर पर जानता हूं कि हम ने अजमेर मेरवाड़े का मुजारे का कानून बनाया था उस में वह भी सिलैक्ट कमेटी (प्रवर समिति) में मैम्बर (सदस्य) थे । और मैं भी था । मुझे याद है कि उस वक्त उन्हें कितना जोश था मुजारों का और कितना ख्याल था कि जमीन जो बोये उस के पास ही रहे । लेकिन जो वह ख्याल है वह रीहैबिलिटेशन (पुनर्वास) के जोश में सब कुछ हवा में उड़ गया और आज वह बिल्कुल यह समझते हैं कि सब से पहले काम यह है कि रिफ्यूजीज (शरणार्थी) बस जायें, चाहे वह बसाना इस ढंग से हो कि जो पहले बसे हुए हों, वह उजड़ जायें । मैं आप के द्वारा मंत्री महोदय से

अर्ज करना चाहता हूं कि पंजाब के अन्दर एक नहीं ९० ऐसे गांव थे जिन के मालिक मुसलमान थे और मैं किसी ऐसी जगह की जमीन और खेतों का जिक्र नहीं कर रहा हूं बल्कि ऐसे खेतों का जिक्र कर रहा हूं जो कि पंजाब की जमीन का है कि जहां पर जमीन के लिये इतनी कशमकश है। दूसरे सूबों की निस्बत जो बिल (विधेयक) आये थे तो वहां भी मौरूसी मुजारे बनाने का एक कानून था। उस में कुछ साल मुकर्रर थे कि इतने साल तक जो कोई आदमी खेती करेगा, एक ही खास शर्त पर करेगा, तो उस को मौरूसी मुजारा, बना दिया जायेगा ताकि कोई आकुपैंसी टैनेन्ट (अधिकृत काश्तकार) न बन सके। जमीन को एक मुजारा बोता था उन्हीं शर्तों पर, लेकिन काग़ज में दूसरी शर्त पर दूसरे आदमी का नाम लिखा जाता था ९० गांवों को उन्हों ने बसाया जो आज मुजारे हैं। उन्हों ने बंजर जमीन को आबाद किया और आज उन्हीं को मुजारे के कानून से जो थोड़ी बहुत सिक्यूरिटी देना चाहते हैं वह सेफ्टी (सुरक्षा) भी उन को नहीं मिल रही है, वह भी नहीं मिलने दी जाती, क्योंकि मंत्री महोदय का ख्याल है कि रिफ्यूजी (शरणार्थी) का बसाना पहला काम है।

मैं पंजाब से आता हूं। पंजाब में ही ऐसे भाई ज्यादा हैं जो उजड़ कर आये हैं। उन से मुझे बहुत हमदर्दी है। लेकिन में यह समझता हूं कि अगर कोई बसने वाला इस तरह बसता हो कि जिस से दूसरे बसे हुए उजड़ें तो यह कोई अच्छी पालिसी (नीति) नहीं है। एक और बात है लेकिन खैर, मैं उस सिलसिले में नहीं जाना चाहता क्योंकि वह मेन बिल (मुख्य विधेयक) नहीं है। लेकिन मैं मंत्री महोदय से एक अर्ज करना चाहता हूं कि वह जिस तरह से मैं ने इन भाइयों से कहा कि वह एक ही जोश में न रहें, उसी तरह उन से कहता हूं कि यह जो जोश जायज और नाजायज तरीके से आ गया है उस को छोड़ दें। बसे हुओं को भी बसने दें, क्योंकि वह कानून खाली ऐसी जमीनों के लिये नहीं था कि जो इवैक्युई लैंड (निष्क्रमणार्थी भूमि) हो। वह तमाम पंजाब की जमीन के लिए कानून था और खास तौर पर जो इवैक्युई लैंड (निष्क्रमणार्थी भूमि) है वह तो इस तरह की थी वहां उन मुजारों का फायदा होने वाला था जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वहां काश्त करती आई है। वह ऐसी शर्त पर काश्त किया करते थे कि कहीं एक रुपया बीघा की शर्त थी तो वह शर्त भी उड़ा दी गई और उन से साझा, बटाई, ली जाती है। लेकिन पंजाब में उस कानून से उन को मौका नहीं मिला।

इसी सिलसिले में दूसरी बात यह अर्ज करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय बड़े सोशियलिस्टिक (समाजवादी) विचार के थे, लेकिन बसाने के जोश में उन के तमाम कायदे और कानून कुछ उलटते से दिखाई देते हैं। अब यहां एक नई क्लाज (खण्ड) है, जिस के तहत अगर कोई आदमी फर्ज कीजिये कि किराएदार रिफ्यूजी (शरणार्थी) हो या मुजारा रिफ्यूजी (शरणार्थी) है मालिक हिन्दू है, इधर का रहने वाला, तो नये कानून में जो मालिक है उस को कुछ ज्यादा रक्षा मिलने जा रही है, पहले से ज्यादा। पहले जो उस में कुछ अख्तियार था, अब वह आप के कस्टोडियन (अभिरक्षक) को कोई अख्तियार नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं कि आप उस में कुछ तबदीली कर सकें तो आप तबदीली करें, जिससे किरायेदारों और मुजारों के लिये कुछ फायदा हो।

तो जैसा मैं ने पहले कहा मैं इतनी ही आप से अर्ज करता हूं कि जिन को आप बसाना चाहते हैं बसाइये और मेहनत से बसाइये, लेकिन इस तरह से न बसायें कि बसे हुओं को उजाड़ दें।

[लाला अचिन्त राम]

लाला अचिन्त राम (हिसार): मोहतरम प्रधान जी, आप के सामने मंत्री जी ने बिल (विधेयक) पेश कर दिया और उस पर खासी तकरीरें हो गयीं, श्री गिडवानी और सरदार हुक्म सिंह की तकरीरें हुयीं। मिनिस्टर साहब ने बहुत मुख्तसर और सादे अल्फ़ाज में तकरीर की और जो तकरीर उन्हों ने इस सिलसिले में फरमाई वह बहुत मामूली जान पड़ती थी, इनटेंडिंग इवैकुई (इच्छुक निष्क्रमाणार्थी) की डैफ़ीनीशन (परिभाषा) में से निकाल कर उस को इवैकुई (निष्क्रमणार्थी) में दर्ज कर दिया, बिल्कुल सीधी बात थी, हमारे इंडियन नेशनल्स (भारतीय प्रजाजनों) को विजिनेस फ़ैसिलिटीज़ (व्यवसाय सुविधाएं) मिल जायं उन को यहां काम मिल जाय, सीधी और मामूली बात थी और बड़ी अच्छी मालूम पड़ती थी लेकिन ज्यों ही इधर अपोजीशन (विरोधी दल) की तरफ से बौछार शुरू हुई और उन की बात कुछ माकूल भी मालूम पड़ती थी, एक ने कहा भाई यह कम्पेन्सेशन (मुआवजा) की बात है, साठ लाख आदमी यहां आये और रुपया खर्च किया गवर्नमेंट ने कोई १४७ करोड़, अस्सी करोड़ अब तक खर्च किया मकानों और कर्ज़ों पर और कोई साठ एक करोड़ को पांच वर्ष में खर्च किया, उन को फिर बसाने के लिए अगर हिसाब लगायें तो आप को मालूम पड़ेगा कि वह कितना नाकाफ़ी होता है, पचास, साठ लाख बाहर से आने वाले आदमियों पर साठ पैंसठ करोड़ रुपया पांच साल में खर्च हो, तो उस से क्या बनता बिगड़ता है, इस में कोई शक नहीं कि हमारे भाइयों ने बातें ज़ोरदार कहीं। फिर उन्होंने हमें यह भी बतलाया कि जब हम सरकार के लोगों के पास फ़रियाद ले कर जाते हैं, कि हम बेकार हैं, हमें काम दो, तो सरकार की तरफ से जवाब दे दिया जाता है कि वह आम तौर से बस गये हैं और उनको कहा जाता है कि सरकार बसा तो रही है, लेकिन उस के लिये उन से सबूत पेश करने को कहा जाता है, उन से कह दिया जाता है कि हम इनक्वायरी (जांच-पड़ताल) करेंगे और सर्वे (परिमाप) करायेंगे, लेकिन न इनक्वायरी (जांच-पड़ताल) होती है और न सर्वे (परिमाप) होती है, यह सब देख कर और सुन कर बड़ी अजीब बात मालूम पड़ती है और उन को मैं कैसे गलत कहूं। मैं आप को बतलाऊं कि प्रेसीडेंट साहब जब पहली बार बोले तो रिफ्यूजीज़ (शरणार्थियों) का कोई जिक्र नहीं था, हम ने समझा भूल से उन का जिक्र करना छोड़ गये, मगर दूसरी दफा और फिर तीसरी दफा भी शरणार्थियों का प्रेसीडेंट साहब के भाषणों में कोई जिक्र नहीं था, अब इस को हाफ़जे की गलती कैसे कहा जाय, एक बार भूल गये, दो बार भूल गये और तीसरी बार भी उस का जिक्र न करें अब क्या करें, और आप की शिकायत को गलत कैसे कहूं, गलती एक बार हो सकती है, हमेशा नहीं, तीन बार लगातार उस का जिक्र नहीं किया जाता है, बड़ी मुश्किल की बात बन रही है, मैं क्या करूं, गवर्नमेंट की तरफ से इन्नोसेंसी (अज्ञानता) मालूम पड़ती है और उधर से बड़े जोर् का दावा किया जाता है, क्या करा जाय, उन भाइयों की बात तो सच्ची मालूम पड़ती है।

अब दूसरी बात आप कहते हैं कि वह जो दफ़ा ७ और १५ है, उस के अन्दर गवर्नमेंट अख्तयारात ले रही है और आगे से भी ज्यादा अख्तयारात गवर्नमेंट उस के जरिये ले रही है, और उस के सबूत में कोटेशन (उद्धरण) देते हैं, गलत बात तो वह कहते नहीं होंगे, शरीफ़ आदमी हैं, और रिफ्यूजीज (शरणार्थियों) के प्रेसीडेंट हैं और अपनी बात को साबित करने के लिये चिट्ठियां खतूत पेश करने को तैयार हो जाते हैं अब किसे गलत कहूं और

किस की बात को सही मानूं। हमें तो देखना है कि इन मौजूदा हालात के अन्दर क्या पोजीशन (स्थिति) है और क्या किया जाना चाहिए? यह दुरुस्त है कि हमारे भाइयों ने जो अभी कहा है और इस बिल (विधेयक) को अपोज़ (विरोध) किया है वह अपोज़ीशन (विरोध) गलत बुनियाद पर कायम नहीं है, आप की बातें तो सारी सच्ची हैं, कम्पेन्सेशन (मुआवजे) की बात आप की वजनदार मालूम पड़ती है, इनटेंन्डिग इवेकुई (इच्छुक निष्क्रमणार्थी) को निकाल देने से क्या नुकसान होगा, एक पैसे का नुकसान भी हम बर्दाश्त न करना चाहेंगे, क्योंकि आप हमें कुछ देते नहीं, हमें कुछ दे दीजिये, आप की बातें तो सारी माकूल जान पड़ती हैं, हम को कम्पेन्सेशन (मुआवजा) दो, वह सब दुरुस्त है लेकिन हम को सारे मौजूदा हालात का अन्दाज़ा कर के देखना चाहिये कि आया हमारे मिनिस्टर साहब जो करना चाहते हैं वह माकूल है या नहीं। यह गलतफहमी कम से कम मेरे अन्दर नहीं है अगर कुछ लोग यह महसूस करते हों कि कम्पेन्सेशन (मुआवज़े) के सवाल पर हमारे मंत्री जी कम महसूस करते हैं। मुझे पूरा और पक्का यकीन है कि रिफ्यूजीज (शरणार्थियों) को मदद करने के वास्ते और उन को कम्पेन्सेशन (मुआवजा) देने के वास्ते हमारे मंत्री जी दिल से महसूस करते हैं वह दिल से चाहते हैं कि हमारे रिफ्यूजी (शरणार्थी) भाइयों को कम्पेन्सेशन (मुआवजा) मिले और उस के लिये जितनी उन की ताकत है उन्हों ने किया है और मुझे पूरा यकीन है वह अपनी ताकत भर उस के लिये प्रयत्नशील हैं और यह ख्याल करना कि वह इस के लिये कोशिश नहीं कर रहे हैं गलत है और दुरुस्त नहीं है।

दूसरे जो आपने सात और पन्द्रह के बारे में फ़रमाया, मैं समझता हूं कि उस में वज़न ज़रूर है। लेकिन मैं साफ साफ कहना चाहता हूं सेलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) में आप में से कितने ही साहबान शामिल थे, और मैं भी शामिल था, कम से कम मेरे दिल में यह यकीन हो चुका था कि दफ़ा ७ और १५ में श्री अजित प्रसाद जैन चाहे कितने ही अख्तयार ले लें, लेकिन वह कोई ऐसी गलत बात नहीं करने वाले हैं जो रिफ्यूजीज़ (शरणार्थियों) के इंटरेस्ट (हित) के खिलाफ हो। उन अधिकारों का दुरुपयोग बिलकुल न होगा यह मुझे पक्का यकीन है कि उन के दिल में रिफ्यूजीज़ (शरणार्थियों) का हित है और हमें उन पर यकीन करना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो अख्तयारात गवर्नमेन्ट ले रही है वह भले के लिए ले रही है और उस पर हमें भरोसा करना चाहिये। लेकिन आप जो अपोजीशन (विरोध) में बैठे हैं, वह तो आप शक की बुनियाद पर बैठे हैं, आप का शक गलत है, शक करना मुनासिब और जायज नहीं है। आज के हालात सन् १९४७ के हालात से बहुत मुख्तलिफ हैं, आज हालत बिल्कुल बदल गयी है, जो इनटेन्डिग इवेकुई (इच्छुक-निष्क्रमणार्थी) हैं वह आज वहां जाने को तैयार नहीं हैं।

श्री काज़मी (जिला सुल्तानपुर--उत्तर जव जिला फैजाबाद--दक्षिण-पश्चिम): लौटे आ रहे हैं।

लाला अचिन्त राम: वहां रोटी नहीं है कपड़ा नहीं है, बाहर से अनाज मंगाना पड़ रहा है, करांची से जो मेरे दोस्त आये हैं उन्हों ने मुझे बतलाया कि वहां पर बुरी हालत हो रही है, खाने पीने की हालत बहुत नाजुक है, आज सन् ५३ में हालत यह है कि यह कानून बन जाने के बाद भी जो कि पाकिस्तान जाना चाहे वह जा सकता है, लोग जाने को तैयार नहीं हैं। वहां आज हालत अच्छी नहीं है, और यहां वह देखते हैं कि स्टबिलिटी (स्थायित्व) है और वह महसूस करते हैं कि हम यहां खुशी से

[लाला अचिन्त राम]

सेफली (सुरक्षित) रह सकते हैं और यहां से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम यहां पर अपना कारोबार कर सकते हैं। अभी हमारी ईस्ट बंगाल (पूर्वी बंगाल) पर बहस हुई और उन्हों ने और मैं ने हिस्सा लिया। हमारा कहना है कि आने जाने के लिये कोई पासपोर्ट पर बंदिश न हो, सब चीज खुली हो, लेकिन पाकिस्तान ऐसा करने में झिझकता है, हमारी दरख्वास्त है कि आज पासपोर्ट सिस्टम (पारपत्र प्रणाली) उड़ जाना चाहिये, यहां आने और जाने के लिय कोई रुकावट न हो, जहां चाहें लोग आ जा सकें, आज के हालात में कोई रुकावट मुनासिब नहीं मालूम पड़ती। अभी पासपोर्ट सिस्टम (पार-पत्र प्रणाली) के बारे में कान्फ्रेंस (सभा) भी हुई थी, और प्रेसीडेंट साहब ने अपने ऐड्रैस (अभिभाषण) में भी जिक्र किया था कि पहले से पाकिस्तान का एटीट्यूड (रुख़) बेहतर है, आप मेरे बेहतर कहने पर हंसते हैं, मैं समझता हूं कि आप की हंसी का जवाब तो एक ही है कि चलो लड़ाई कर लो, लेकिन जब लड़ाई की बात आती है तो आप की तरफ से यह साफ किया जाता है कि हमारा यह मतलब नहीं है, हम पाकिस्तान से लड़ाई नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान से परसों लड़ाई छिड़ जाये, लड़ने के लिये आप तैयार नहीं हैं।

दो बातें कैसे चलें। या तो लड़ना है या फैसला करना है। जब कहा जाता हैकि अगर आप लड़ना चाहते हैं, कल लड़ाई करना चाहते हैं, परसों लड़ाई करना चाहते हैं तो लड़ाई की बात करो, तो उस के लिये आप तैयार नहीं हैं, जब सुलह की बात कहो तो हंसते हैं। आप तय कीजिये एक बात। हमने बात चीत जारी की थी, बात का असर यह हुआ कि उन की तबियत कुछ बदली है, रवैया बदला है, आपस में खत व किताबत हुई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर (प्रधान मंत्री) और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर (प्रधान मंत्री) में मुमकिन है कि मुलाकात भी हो, और मुलाकात से फायदा ही होने वाला है। हो सकता है कि पाकिस्तान को भी फायदा पहुंचे और आप को भी पहुंचे। इस वक्त हालत यह है कि रुपया नहीं है। बहुत सारी जायदाद जो मुसलमानों की थी, करीब १०० करोड़ रुपये की थी, उस से करोड़ों रुपया ज्यादा तो हम डिफेंस (सुरक्षा) के लिये खर्च कर रहे हैं, इस के अलावा गवर्नमेन्ट की फाइव इअर प्लान (पंचवर्षीय योजना) को देखते हुए हम जोर भी नहीं दे सकते। पाकिस्तान के मुकाबले में तैयारी में रुपया यहां पर खर्च हो रहा है जिस की आज कल बहुत कमी है। जब सुलह की बात कहते हैं तो हंसते हैं। तो यह चीज चल नहीं सकती। आज लड़ाई की बात न हो तो हम गवर्नमेन्ट पर जोर भी दे सकते हैं कि चलो बीस करोड़, तीस करोड़ या एक अरब रुपया इस के लिये निकाल लो, लेकिन जिस तरह से खर्च हो रहा है और हमारा हौसला होता नहीं कि हम लड़ें उस तरह से काम नहीं चल सकता। इसलिये मैं कहता हूं कि आप अपनी पालिसी (नीति) को सोच विचार कर कन्सिस्टेंट (स्थिर) बनाइये। मौजूदा हालात के अन्दर रास्ता यही है। अगर आप की बातें जायज हैं तो इस के लिये मैं यह कह सकता हूं कि श्री अजित प्रसाद जी और दूसरे मंत्री पूरी पूरी कोशिश करेंगे, इस का मेरे दिल में पक्का यकीन है।

एक बात मैं कहता हूं कि आप के दिल में गलत फहमी नहीं होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि उन्हों ने सारी बातें कैबिनेट (मंत्रिमंडल) के सामने पेश की होंगी और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी शरणार्थियों के लिये बड़ा दर्द है और इस हाउस के अन्दर

उन्हों ने कई मर्तबा सवालों के जवाब में वादा किया है कि जैसी हमारी फाइनेन्शल कंडीशन (आर्थिक स्थिति) होगी उस के मुताबिक हम कम्पेन्सेशन (मुआवज़ा) ज़रूर देंगे । मैं कहता हूं कि मुझे कतई यकीन है कि इस बात की जितनी फ़िक्र होनी चाहिये कोई अकेले पंडित जी की बात नहीं कहता, आन दि होल (पूर्णरूपेण) सब के लिये कहता हूं, कि रिफ्यूजीज (शरणार्थियों) के मामले में जितना काम हुआ है का ी नहीं है सब को मालूम है । इस गवर्नमेंट ने और पंडित जी ने जितना काम किया है उस की हम निन्दा भी करते रहे हैं । और इस बात में मैं आप के आगे रहा हूं, लेकिन इस के बावजूद जितना काम हुआ है वह काबिले तारीफ है, इस को भुलाया नहीं जा सकता । इन हालात के अन्दर मैं दर्खास्त करूंगा कि जो बिल (विधेयक) आप के सामने पेश किया गया है वह बहुत मामूली बिल है । इस के अन्दर कोई लम्बी चौड़ी बातें नहीं हैं कि इन को मंजूर न किया जाय । इसलिये मैं चाहूंगा कि इस को पास कर दिया जाय ।

अभी मेरे अमेन्डमेन्ट (संशोधन) की बात कही गई । मैं कहता हूं कि मैं ने अमेन्डमेन्ट (संशोधन) दिये थे वह रिफ्यूजीज (शरणार्थियों) के इन्टरेस्ट में ही थे, आप के अन्दर भी रिफ्यूजीज़ (शरणार्थियों) का इन्टरेस्ट (हित) है । इसलिये अगर आप कोई ऐश्योरेंस (आश्वासन) दे सकें जिन से रिफ्यूजीज़ (शरणार्थियों) का इन्टरेस्ट (हित) सफर न हो तो मेरी तसल्ली हो जायगी । इतना कह कर मैं इस बिल (विधेयक) को सपोर्ट (समर्थन) करता हूं ।

कर्नल जैदी (ज़िला हरदोई—उत्तर-पश्चिम व ज़िला फर्रुखाबाद—पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर—दक्षिण) : मि० चेअरमैन मैं हाउस में देख रहा हूं कि अंग्रेजी से सब लोगों ने मुंह मोड़ लिया है, इसलिये मैं भी इस वक्त यह हिम्मत नहीं कर सकता कि मैं अंग्रेजी में बातचीत करूं । मंत्री महोदय के मुताल्लिक बहुत से इशारे किये गये, और बहुत सी बातों में उन का नाम रेकार्ड (अभिलिखित) किया गया है । उन की बाबत अगर आप की इजाजत हो तो मैं एक शेर पढ़ दूं जो उन पर पूरी तरह से उतरता है, वह शेर यह है :

मोमिन की नजर ने मुझे काफिर समझा,
काफिर यह समझता है कि मुसलमां हूं मैं ।

एक तरफ तो माननीय मंत्री के ऊपर बौछार है कि वह किसी खास कम्युनिटी (जाति) या किसी खास शख्स को ख्याल कर के उस को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, और बहुत से वह लोग, जिन की बाबत लोग यह समझ रहे हैं कि उन को फायदा पहुंचाने में ही मंत्री जी लगे रहते हैं, समझते हैं कि वह बड़े तंग नजर हिन्दू ह और वे हमारे हकूक की हिफाजत नहीं करत । हमारा जो पैदायशी हक है, जो हमारा फंडामेंटल राइट (मौलिक अधिकार) है वह पैरों के तले रौंदा जा रहा है, और हमारे मंत्री जी बैठे सुन रहे हैं । दरअसल वह बड़ी हमदर्दी के लायक हैं । सच बात तो यह है कि जहां तक हो सका उन्हों ने सब की सेवा करनी चाही है, सब के हुक्क का जहां तक हालात ने इजाजत दी ख्याल रक्खा है ।

सभापति जी, सब से पहले मैं यह कह देना जरूरी समझता हूं कि जहां तक रिफ्यूजीज (शरणार्थियों) का ताल्लुक है और जहां तक उन की खिदमत और उन को फायदा पहुंचाने और उन को रिहैबिलिटेट (पुनर्वास) करने का सवाल है, वहां मैं अपने किसी दोस्त से कम जोश नहीं रखता हूं । मैं समझता हूं कि हमारा बहुत बड़ा फर्ज, हम में से हर एक का और हमारे देश का और हमारी गवर्नमेन्ट

[कर्नल जदी]

का बहुत बड़ा फर्ज है कि हमारे जो लाखों भाई परेशान हो कर जो तबाह हो कर जो अपना सब कुछ जाया कर के हिन्दुस्तान में आये हैं और हिन्दुस्तान की पनाह में आकर बैठे हैं उन की हर तरह से सेवा की जाय। लेकिन हमें समझना यह है कि इस का मतलब क्या है। चन्द बातें मेरे कुछ दोस्तों ने कहीं जिन का मतलब मैं ठीक तरह पर नहीं समझ सका। मसलन मुझे यह अन्देशा है कि इस बिल (विधेयक) के मुताल्लिक जो असली मकसद है उस को भुला दिया गया और लोगों के दिल में यह ख्याल आ रहा है कि इवैक्वी प्रापर्टी पूल (निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति संकोष) पर इस का क्या असर पड़ेगा। यह एक कुदरती बात है। रिफ्यूजीज़ (शरणार्थी) या उन के लीडर्स (नेता) या उन के नुमाइंदे इस हाउस (सदन) में या इस हाउस के बाहर बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं अपने फायदे के ख्याल से वह यह देखते हैं कि किस कानून का इवैक्वी प्रापर्टी पूल (निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति संकोष) पर क्या असर पड़ रहा है। जाहिर है कि जिस चीज़ से वह पूल (संकोष) बढ़ेगा वह उन्हें खुश करेगी और जिस चीज़ से वह पूल (संकोष) कम होगा उस से उन्हें रंज होगा। लेकिन इस का मतलब यह नहीं कि जिस चीज़ से पूल (संकोष) बढ़े वह सब जायज है और जिस से घटे वह नाजायज है। मसलन हमारे भाई ने कहा कि इट इज माई मनी (यह धन मेरा है), देशपांडे साहब ने कहा कि "दिस इज टु डिटर्मिन हूज लायलटी इज सस्पेक्टेड" (यह तय करना है कि किस की वफादारी पर शक है) में समझ नहीं सका कि इन लफ्ज़ों का मतलब क्या है। जो शख्स, जो मुसलमान हिन्दुस्तान में रहने वाला पाकिस्तान से ज्यादा हमदर्दी और मुहब्बत रखता है या पाकिस्तान जाना चाहता है, या जा चका है उस से मुझे और इस हाउस में किसी को कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिये। मैं जो कुछ कह रहा हूं इस से मुराद वह लोग हर्गिज नहीं हैं जो कि या तो पाकिस्तान चले गये या पाकिस्तान जाना चाहते हैं और किसी मजबूरी की वजह से हिन्दुस्तान में बैठे हुए हैं। मुझे उन से बिल्कुल हमदर्दी नहीं है। लेकिन क्या यह मतलब है कि जिस को इवैक्वी (निष्क्रमणार्थी) बना दिया गया, या जिस की प्रापर्टी पूल (सम्पत्ति संकोष) में आ गई वह सचमुच हिन्दुस्तान छोड़ कर पाकिस्तान जाना चाहता है? या क्या यह इस बात का सबूत है कि वह हिन्दुस्तान से नफरत करता है या डिसलायल (कृतघ्न) है? फिर यह भी कहा गया कि 'दीज पीपुल हैव बीन डिक्लेअर्ड इवैक्वीज बाई जुडिशल अथारिटीज' (ये लोग न्यायक पदाधिकारियों द्वारा निष्क्रमणार्थी घोषित कर दिये गये हैं) इस में भी बहुत कुछ शक की गुंजायश है। कहां है जुडिशल अथारिटी (न्यायपालिका) को अख्त्यारात? मिनिस्टर साहब ने खुद यह फरमाया कि इस कानून के हुकूक में जुडिशरी (न्यायपालिका) और जुडिशल अथारिटीज (न्यायिक पदाधिकारियों) को अलग रक्खा गया है।

६ म० प०

इस कानून में कहीं जो पाइंट्स आफ़ ला (कानूनी बातें) हैं उन पर भी किसी हाई कोर्ट (उच्च न्यायालय) या सुप्रीम कोर्ट (उच्चतम न्यायालय) को अपील या रेफ़रेन्स (निर्देश) करने की इजाज़त नहीं है।

श्री गिडवानी : है।

कर्नल जैदी : हम में और किसी और साहब में जिन्हें इस बात पर ऐतराज था फ़र्क इतना ही है। अगर कोई गलती हुई है या किसी के साथ नाइन्साफी हुई है तो उसका

इसलाह की जाती है बस इस से ज्यादा नहीं है। मैं चन्द मिसालें पेश करूंगा। मिसालों के बगैर यह बात समझ में नहीं आ सकती। एक शख्स उस वक्त पाकिस्तान गया जिस वक्त कि परमिट का कोई क़ायदा नहीं था। बाद में परमिट का कानून हो गया। जब उस ने हिन्दुस्तान वापस आना चाहा तो उस को हमारे हाई कमिश्नर (उच्चायुक्त) ने टेम्पोरेरी परमिट (अस्थायी परमिट) दे दिया और कहा कि हिन्दुस्तान में पहुंचने पर तुम्हारा परमानेंट परमिट (स्थायी परमिट) बना दिया जायगा। वह आया और यहां मर गया। हिन्दुस्तान के हाई कमिश्नर (उच्चायुक्त) के टेम्पोरेरी परमिट (अस्थायी परमिट) पर वह हिन्दुस्तान आ गया। कुछ अर्से के बाद वह मर गया गवर्नमेंट ने उस परमिट को परमानेंट (स्थायी) कर दिया। इस के बावजूद भी उस की तमाम प्रापर्टी (सम्पत्ति) इवैक्वी प्रापर्टी (निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति) हो गई। अब यह कहना कि "यह मेरा धन है और उन लोगों को दिया जा रहा है जिन की वफ़ादारी में शक है" इन लफ्ज़ों का मतलब मैं नहीं समझ सका। इसी सिलसिले में मैं ने आप से यह किस्सा बयान किया कि एक आदमी चन्द दिन के लिये उस वक्त पाकिस्तान गया जब कि कोई परमिट का कायदा नहीं था। इंडियन हाई कमिश्नर (भारतीय उच्चायुक्त) से टैम्पोरेरी परमिट (अस्थायी परमिट) ले कर वापस आया और उस का वह परमिट बना दिया गया और वह मर भी गया। और उस की औलाद से यह कहा गया कि उस की तमाम प्रापर्टी (सम्पत्ति) इवैक्वी प्रापर्टी (निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति) है। यह मामला जब बम्बई हाई कोर्ट (उच्च न्यायालय) में गया तब बम्बई हाई कोर्ट ने उस की बाबत जो बातें कही हैं उन में से मैं चन्द सुनाना चाहता हूं:

(हम यह मानने को तैयार हैं कि महा अभिरक्षक द्वारा श्री पालकीवाला के सम्बन्ध में गलत निर्णय किया गया। किन्तु हम को उनके निर्णय में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। यद्यपि महा अभिरक्षक को जुलाई १९५० की विज्ञप्ति के अनुसार उस को लागू कर दिया गया था और कहा गया था कि वह निस्सन्देह अपने क्षेत्राधिकार में कार्य कर रहा है। किन्तु उन के निर्णय में विधिक त्रुटि हो गई।)

तो मसलन ऐसा केस (मामला) या और कोई केस (मामला) ऐसा हो जिस में कि किसी के साथ नासमझी की बिना पर या हालात न मालूम होने की बिना पर या और किसी वजह से नाइन्साफी हुई है और उस की प्रापर्टी (सम्पत्ति) उस को वापस मिल जाती है तो मैं नहीं समझता कि इस में क्या शिकायत की बात है। लेकिन यहां रोंगटे खड़े करने वाले किस्से बयान करना और यह दिखाना कि बहुत से मुसलमान चले गये पाकिस्तान अपना रुपया ले कर और उन में से बाज लोग ऐसे थे जो यहां रहने का दावा करते थे। एक साहब का नाम लिया गया कि इसी बिल्डिंग के अन्दर खड़े हो कर उन्हों ने हलफ़ उठाया था कि वह इस झंडे के लिये आखिरी कतरा खून बहा देंगे और उस के बाद वह गैर वफ़ादार साबित हुए और इस किस्म की तमाम चीजें बयान करने से मतलब क्या है। अगर हम चाहते हैं कि एक हिन्दुस्तान बने, अगर हम चाहते हैं कि सब को एक दूसरे से हमदर्दी हो किसी किस्म का कोई फ़र्क न रहे तो यह नाखुशगवार बात क्यों बयान की जाती हैं। अगर एक तरफ खलीकुज्जमां का नाम लिया जाता है तो उस के साथ यह भी कम से कम बतलाया जाता कि हमारे यहां ऐसे भी लोग हैं जिन्हों न अपनी जानें हिन्दुस्तान के लिये दे दीं जैसे कि ब्रिगेडियर उस्मान, तो समझ में आता कि वाकेई इस में कोई सच्चाई है। लेकिन यह कहना कि कुछ लोग रुपया ले कर चले गये बिल्कुल

[कर्नल जैदी]

इर्रेलेवेंट (निरर्थक) बातें हैं। आप हरगिज़ इजाज़त न दीजिये कि कोई हिन्दुस्तान से पाकिस्तान रुपया न भेजे या हिन्दुस्तान के साथ गद्दारी न करे। लेकिन जहां जहां कोई गलती हुई है वहां अगर मिनिस्ट्री (मंत्रालय) यह चाहे कि इन्साफ़ करे तो उस पर क्यों ऐतराज होना चाहिये। अगर उस का असर उस पूल (संकोष) पर पड़े और वह दर चार या पांच पर सेंट (प्रतिशत) कम हो जाय तो उस का सदमा हमें नहीं होना चाहिये। मैं बिल्कुल इत्तिफ़ाक करता हूं अपनी उन बहिन और भाइयों से जिन्हों ने ज़ोरों से यह मतालबा किया है कि हमारी सरकार रिफ्यूजीज (शरणार्थियों) के लिए पूरी पूरी मदद दे और हम सब को उम्मीद है कि हमारी सरकार की तरफ़ से रिफ्यूजीज (शरणार्थियों) के लिये बड़ी से बड़ी रकमें निकाली जायेंगी और मुहैय्या की जायेंगी। हम सब के लिये यह खुशी की बात होगी कि इन रिफ्यूजीज़ (शरणार्थियों) के साथ जो वायदे किये गय हैं वह पूरे किये जायें और शानदार तरीके से पूरे किये जायें।

दूसरी बात यह है कि जो मुसलमान गैर वफ़ादार हो, जो पाकिस्तान रुपया भेजना चाहे, जिस को वहां से हमदर्दी हो, जो वहां चला गया हो, आप हरगिज़ उस के साथ हमदर्दी न कीजिये। किसी मुसलमान को भी नहीं चाहिये कि उस के साथ हमदर्दी करे। लेकिन जो लोग आज यहां बैठे हुए हैं....

श्री गिडवानी : वह हमारे सिर आंखों पर बैठें।

कर्नल जैदी : तो फिर कोई फ़र्क नहीं है ; तो मैं समझता हूं कि अगर यह स्पिरिट (भावना) काम करेगी तो गालिबन इस बिल (विधेयक) की कोई लम्बी चौड़ी मुखालिफ़त नहीं होगी। हमारी बहिन ने यह कहा कि यह बहुत अच्छा सवाल है लेकिन इंटेंडिंग इवैक्वीज (इच्छुक निष्क्रमणार्थी) को क्यों माफ किया जा रहा है। जब उन का कसूर कानून से साबित हो गया है तो फिर उन को क्यों माफ़ किया जा रहा है। शायद इस के मुताल्लिक थोड़ी सी गलतफ़हमी है। कोई शख्स जो कि एक लाख रुपये का आदमी है अगर वह किसी भी वजह से १४ अगस्त सन् ४७ के बाद पाकिस्तान रुपया भेज दे तो वह इंटेंडिंग इवैक्वी (इच्छुक निष्क्रमणार्थी) हो गया। अगर उस ने अपने किसी रिश्तेदार के लिये या बिजनेस (व्यापार) के लिये कुछ रुपया भेज दिया, तो वह इंटेंडिंग इवैक्वी (इच्छुक निष्क्रमणार्थी) हो गया। उस वक्त यहां मार काट मच रही थी, खून बह रहा था, ऐसे वक्त अगर किसी ने जो कि एक लाख का आदमी है दो चार हज़ार रुपया भेज दिया तो वह कानून की रू से इंटेंडिंग इवैक्वी (इच्छुक निष्क्रमणार्थी) हो गया। इस कानून में यह नहीं बतलाया गया है कि वह अपनी दौलत का कितना हिस्सा भेज दे। अगर कोई एक लाख रुपये का आदमी एक हज़ार रुपये यहां से इस ख्याल से भेज देता है कि अगर मुझे भागना पड़ा तो दो महीने रोटी तो मिल जायेगी, तो वह इंटेंडिंग इवैक्वी (इच्छुक निष्क्रमणार्थी) हो जाता है। और जिस वक्त उस ने यह रुपया भेजा था उस वक्त यह कानून भी नहीं था। लेकिन इस कानून के मुताबिक वह इंटेंडिंग इवैक्वी (इच्छुक निष्क्रमणार्थी) हो गया। अब सब को मालूम है कि रुपया नहीं भेजना चाहिये। अब जो रुपया भेजे उस को उसी मंत्री महोदय और इसी मिनिस्ट्री ने यह तै कर दिया है कि वह इंटेंडिंग इवैक्वी (इच्छुक निष्क्रमणार्थी) नहीं बल्कि इवैक्वी (निष्क्रमणार्थी) माना जायगा। लेकिन अगर किसी ने १४ अगस्त सन् १९४७ के लगभग रुपया भेजा और आज हिन्दुस्तान में बैठा हुआ है और

आज हम उस से कहें कि तुम इवैक्वी (निष्क्रमणार्थी) हो गये हो तो यह बड़ी नाइन्साफ़ी की बात होगी। मुझे सिर्फ़ इतना और कहना है कि बाज ऐसी मिसालें हैं कि जिन्हें देखकर थोड़ा सा अफ़सोस होता है। लेकिन यहां यह कहा जा रहा है कि मुसलमान अपनी जायदादें फ़रोख्त कर के चले जायेंगे। लेकिन कोई समझदार इन्सान, और इस हाउस में भी बहुत कम ऐसे हैं जो यह समझते हों कि इस कानून की वजह से मुसलमान अपनी जायदाद बेच देंगे। वह अपनी जायदाद बेच नहीं सकते। यह कानून यहां तक बढ़ा है कि जामा मिलिया जो कि एक बड़ा नेशनल इंस्टीट्यूशन (राष्ट्रीय शिक्षा संस्था) है और सारे हिन्दुस्तान म उस का नाम है और उस की तारीफ़ है, उस की पांच छः लाख की किताबें थीं करोल बाग में और उस वहशत के जमाने में कुछ लोगों ने उन को जला दिया। वह तमाम नुकसान हो गया। खैर वह नुकसान तो हुआ ही। वह इमारत भी तबाह हो गयी और जब जामिया मिलिया ने यह मुनासिब ख्याल किया कि उस जमीन को फरोख्त कर दे क्योंकि उन की परमानेंट बिल्डिंग (स्थायी इमारत) ओखले में बन गयी। साल भर से वह कोशिश कर रहे हैं कि उस जमीन को कोई खरीद ले लेकिन हर शख्स यह कहता है कि अगर यह इवैक्वी प्रापर्टी (निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति) हो गयी तो क्या होगा। आखिर कस्टोडियन साहब को दरखास्त दी गयी और चन्द रोज हुए उन्हों ने यह सरटीफाई (प्रमाणित) किया है कि :

(यह सम्पत्ति निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति नहीं है और पाकिस्तान प्रवास करने वाले किसी भी व्यक्ति की नहीं है।)

खरीदार को यह दिखाया गया और उस से कहा गया कि देखो अब तुम उस को खरीद सकते हो। उस ने कहा कि कल को अगर यह इवैक्वी प्रापर्टी (निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति) हो गयी और आप लोग पाकिस्तान चले गय तो क्या होगा। उस को समझाया गया कि यह जामा मिलिया की प्रापर्टी (सम्पत्ति) है किसी आदमी की नहीं है, वह तो एक संस्था है। यह तो यहीं रहेगी। फिर तुम को क्या फिक्र है। उस ने कहा कि आप यह लिखवा दीजिये कि इस प्रापर्टी (सम्पत्ति) को बेचने की इजाज़त है। और जो कोई खरीदेगा उस को कोई नुकसान नहीं होगा तो हम लेने को तैयार हैं। यह मैं ने मिसाल दी ऐसे इंस्टीट्यूशन (शिक्षा संस्था) की जो कि हिन्दुस्तान में एक खास दरजा रखता है और जिस का काम करने वाले डाक्टर जाकिर हुसैन और प्रोफेसर मुजीब जैसे आदमी हैं। तो जब जामिया मिलिया को ऐसी परेशानी हो सकती है कि साल भर से उस की जमीन नहीं बिकती और अब कस्टोडियन के सर्टिफिकेट (प्रमाण) देने से भी कोई काम नहीं चलता, तो मालूम हुआ कि मुसलमानों को अपनी ज़मीन बेचने में दुश्वारियां होंगी, चाहे उस को कितनी ही ज़रूरत बेचने की क्यों न हो। इस बिल में कोशिश की गई है कि उन को कुछ सहूलियतें दी जायें। मुझ को उम्मीद है कि जो जायज़ सहूलियतें मुसलमानों को दी जायें और उन लोगों को जिन के मुताल्लिक यह अन्दाजा हो जाय कि इन पर शुबहा गलत था, उन की कोई ऐसी हरकत नहीं थी जो कि गलत हो, तो हमारे भाई हिन्दुस्तान की हमेशा की खादारी और हमेशा की खुशादए दिल का सबूत देते हुए इस बात को खुशी से मंजूर करेंगे और यह कहेंगे कि, हां, हम को बड़ी खुशी है कि इन लोगों के साथ बेहतर बरतावा करने की तजवीज़ हमारे सामने आई है, इस को हम मंजूर करते हैं। यह फ़िक्र न करें कि यह इवैक्वी पूल (निष्क्रमणार्थी संकोष) कम हो जायेगा। अगर खुदा ने चाहा तो यह पूल (संकोष) नहीं होगा। और अगर कम हो

[कर्नल ज़ैदी]

जायेगा तो हम सब कोशिश करेंगे कि यह ज्यादा से ज्यादा हो। लेकिन यह न कहिये कि पूल (संकोष) की खातिर किसी का गला कटे तो कटे लेकिन एक कतरा भी पूल (संकोष) का कम न हो। मैं उम्मीद करता हूं कि यह कोई भी भाई नहीं चाहते।

आखिर में मैं यह अर्ज़ करूंगा कि तमाम चीज़ों को देखते हुए यह एक अच्छा बिल (विधेयक) है और यह इस काबिल है कि यह हाउस (सदन) इस को मंजूर करे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि अब प्रश्न रखा जाय।"

श्री ए० पी० जैन : मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्हों ने शान्ति पूर्वक ढंग से जिस प्रकार समस्या पर विचार करना चाहिये, भाग लिया।

एक प्रश्न जो निस्सन्देह आवश्यक है, किन्तु इस विधेयक से पूर्णतया सम्बन्धित नहीं है, सदस्यों की काफी संख्या द्वारा जो बोले हैं, उठाया गया है। वह मुआवज़े का प्रश्न है। माननीय सदस्या श्रीमती सुचेता कृपलानी ने कहा है कि इस के सम्बन्ध में एक अधिकारपूर्ण अभिघोषणा होनी चाहिये। मैं उन से पूर्णतया सहमत हूं, किन्तु मुझे खेद है कि उसी समय उन्हों ने शिकायत की कि मैं कुछ भी नहीं कह रही हूं। मैं मुआवज़े के प्रश्न पर उस अधिकारपूर्ण अभिघोषणा की प्रतीक्षा कर रहा हूं जो आज प्रत्येक विस्थापित व्यक्ति का मस्तिष्क स्वभावतः उत्तेजित कर देता है। एक योजना तैयार की गई है। सरकार इस पर उच्चमान पर विचार कर रही है। उन मामलों के सम्बन्ध में मेरे लिये कुछ कहना उचित न होगा जिन के विषय में सरकार अभी तक अन्तिम निर्णय तक नहीं पहुंच सकी है। किन्तु मैं आप को विश्वास दिला सकता हूं कि जहां मेरे मन्त्रालय का सम्बन्ध है, उस ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और अब अन्तिम रूप से विचाराधीन है।

श्रीमती सुचेता कृपलानी ने कहा कि मंत्री लोग भिन्न-भिन्न बात करते हैं। निस्सन्देह अखबारों में कुछ मंत्रालयों के सम्बन्ध में कुछ समाचार प्रकाशित हुए हैं किन्तु मैं ने किसी भी मन्त्री या सरकार का कोई वक्तव्य मुआवज़े के सम्बन्ध में ऐसा नहीं देखा जो वचनबद्धता के प्रतिकूल गया हो। मुआवज़े के सम्बन्ध में सदन तथा अन्य स्थानों में भी निस्संदेह मैं ने वक्तव्य दिये हैं। मैं अपन द्वारा दिये गये प्रत्येक वक्तव्य के सम्बन्ध में भली प्रकार जानता हूं। कुछ व्यक्ति हो सकता है मेरे द्वारा समाचारपत्रों में दिये गये वक्तव्यों के सम्बन्ध में सन्देह प्रकट करते हों कि मैं उन वक्तव्यों को देने का अधिकार रखता हूं या नहीं ? माननीय सदस्यों में से यहां के एक सदस्य सरदार हुक्म सिंह ने कुछ ऐसा ही कहा था। एक मंत्री जो ऐसा वक्तव्य देता है, जिस को देने का वह अधिकारी नहीं तो उसे उस का प्रतिफल भुगतना ही पड़ेगा और मैं उस का प्रतिफल भुगतने को पूर्णतया तत्पर रहूंगा, यदि मैं ने ऐसा कोई वक्तव्य दिया है जिस को देने का मैं अधिकारी नहीं था। मुझे मुआवज़े के विषय में बस यही कहना है, जो सदन के समक्ष आयेगा और जनता के सम्मुख भी तत्काल ही आ जायगा।

तत्पश्चात् निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति संकोष के विषय में प्रश्न उठाया गया है। हमें देखना है कि निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति संकोष क्या है ? मेरे विचार से निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति संकोष का अर्थ है कोई भी सम्पत्ति जो अब तक कानूनन निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति हो गई है और कोई भी सम्पत्ति जो निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति वर्तमान कानून के अन्तर्गत् आगे बन जाती है। यह इस संसद् की योग्यता पर निर्भर करता है ऐसे कानून को पारित करना कि जिस के द्वारा निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति की मात्रा पर प्रभाव डाल सके। विधेयक में कुछ ऐसे संशोधन

हैं जो भविष्य में निष्क्रमणार्थी सम्पत्तियों पर प्रभाव डालेंगे। किन्तु उन को पारित करना या न करना इस संसद् की इच्छा पर निर्भर करता है। किन्तु एक बार जब यह कानून बन जाता है, निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति वही समझी जायगी जो नवीन कानून के अन्तर्गत् हो जाती है। निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति पर विचार करने का यह एक मार्ग है।

दो और आपत्तियां की गई हैं, जो लगभग दुर्भाग्यपूर्ण हैं। एक है अभिरक्षक के निर्णय में हस्तक्षप किया जाना। कुछ उदाहरण दिये गये हैं। यह कहा गया है कि किसी मंत्री ने एक अभिरक्षक या संसदीय सचिव अथवा अन्य किसी ऊंचे पदाधिकारी ने किसी संरक्षक के लिये लिख दिया था। ये मामले पुराने इतिहास के हैं। निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति के ढाई वर्ष के प्रशासन काल के जिस में मैं मंत्री रहा हूं मैं किसी भी माननीय सदस्य को चाहे वह इस पक्ष का हो या उस पक्ष का चुनौती दे कर कहता हूं कि वह एक भी पत्र उपस्थित कर दे जो संरक्षक को लिखा गया हो अथवा कोई अन्य उदाहरण बता दे जिस में अभिरक्षक के निर्णय में हस्तक्षेप किया गया हो। यह सत्य है कि हम को धारा १६ के अनुसार अधिकार प्राप्त हैं; और धारा ५२ के अनुसार अधिकार प्राप्त हैं। मैं ने कुछ मुकदमों में उन का प्रयोग किया भी है। मैं ने छत्रीवाले मुकदमे में उन का प्रयोग किया था। यह लोक सम्पत्ति है। मुकदमा सदन के सम्मुख है और इस पर कई बार विवाद हो चुका है और इस मुकदमे या अन्य मुकदमों में मैं ने जो जो भी किया है वह है केवल सही निर्णय करना जो होना भी चाहिये था। मैं निर्भयतापूर्वक कहता हूं कि मैं कोई भी कदम जो सही होता है उठाने में नहीं डरता चाहे उस से मेरे कुछ मित्र भले ही अप्रसन्न हो जायं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आप के विरुद्ध किसी को शिकायत नहीं है।

श्री ए० पी० जैन : धारा १६ तथा ५२ के अधिकारों का उपयोग मैं करूंगा। मैं खुल्लमखुल्ला उन का उपयोग करूंगा। यह इस सदन के माननीय सदस्यों को इस का अधिकार रहेगा कि वे किसी भी मुकदमे का निरीक्षण कर सकते हैं और यदि यह पता लगे कि मैं ने उस में दुर्भावना से कार्य किया है या बेईमानी की है तो मैं जिस पद पर हूं उस पर रहने के योग्य नहीं।

[पडाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

यह सत्य है कि धारा १६ तथा ५२ के अनुसार जो अधिकार प्राप्त हैं वे अतिरिक्त अधिकार हैं। किन्तु यह एक विशेष विधि है जिस के अनुसार विशिष्ट अधिकार भी आवश्यक हैं। सदन नहीं भूला सकता कि निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति कानून तथा उस का प्रशासन, किसी सीमा तक, हमारे पाकिस्तान से किये गये करारों पर निर्भर करता है। अत्यधिक संख्या में करार हो चुके हैं। मुझे खेद है कि पाकिस्तान द्वारा उन में से अधिकतर करारों की पूर्ति नहीं हुई है। निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति कानून चाहे कुछ भी हो, उन करारों के आधार पर कुछ अपवाद बनाने ही पड़ेंगे।

निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति कानून समय-समय पर बदलता रहा है। एक समय एक व्यक्ति जो कभी पाकिस्तान नहीं गया था, जिसे पाकिस्तान से कोई सम्बन्ध नहीं था, किन्तु वह अपने सामान्य निवास स्थान से दूसरे राज्य को विस्थापित किया गया, या कभी कभी उसी राज्य में वह निष्क्रमणार्थी बन गये। प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या वह व्यक्ति आगे भी निष्क्रमणार्थी ही समझा जाय ? कानून बदल गया है, और वर्तमान कानून के अनुसार कोई व्यक्ति जिसने भारत नहीं छोड़ा है, साधारणतः निष्क्रमणार्थी घोषित नहीं किया जा सकता। अतः कुछ निर्णय नीति के कारण लिये गये हैं। उन में से एक यह है कि यदि

[श्री ए० पी० जैन]

एक व्यक्ति पाकिस्तान नहीं गया था किन्तु उपद्रवों अथवा अन्य असुरक्षा के कारण अपने सामान्य निवास स्थान से विस्थापित किया गया, ऐसे व्यक्ति की सम्पत्ति निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति नहीं समझी जानी चाहिये और उसे पुनः मिल जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि यह अच्छी और ईमानदारी की चीज़ है।

तब ३ जुलाई की एक विज्ञप्ति थी जिस के अनुसार वे लोग जो तिथि विशेष के पहले ही वापस लौट आये थे, उन को सम्पत्ति पाने का पूरा अधिकार था। यही वचन उस सदन में दिया गया था। एक विज्ञप्ति निकाली गई थी। प्रश्न यह उठा कि वह विज्ञप्ति पहले वाले अधिनियमों तथा अध्यादेशों में ही लागू होती है या केवल वर्तमान कानून में ही। सरकार का दृष्टिकोण वचन देने के समय तथा बाद को दोनों ही बार यह था कि यह विज्ञप्ति व्यर्थ थी जब तक कि वह पहले से लागू न किया गया हो। विज्ञप्ति में एक दोष था और उस को हम ने सुधार दिया है।

धारा १६ तथा धारा ५२ के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि पुराने नियम हैं जो चले आ रहे हैं। इनकी हम ने एक विशेष रूप से व्याख्या की है। इस के सम्बन्ध में कुछ मत विभिन्नता है। मैं ने जो कुछ भी किया है वह यह कि धारा १६ तथा ५२ के निदेशों को जिस दृष्टिकोण से हम ने कार्य किया है उस से सहमत होते हुए किया है, और यह प्रत्येक सरकार तथा प्रत्येक मंत्रालय के लिये उचित है कि वह इस तरह के विधान-निर्माण को आगे बढ़ायें।

अतः मैं कहता हूं कि जहा तक इन निदेशों का सम्बन्ध है मैं समझता हूं वे, इस असाधारण नियम के लिये आवश्यक हैं। हम लोगों ने उन पर कार्य किया है, हम लोग उन्हीं के अनुसार कार्य करते रहने का विचार कर रहे ह। मान लीजिये कि एक मुकदमा आता है। उदाहरण के लिये, माननीय दस्य श्री ज़ैदी ने एक मुकदमे की ओर निर्देश किया जिस में उच्चन्यायालय ने कुछ पर्यवेक्षण किये थे। और हाल ही में मैं ने एक ऐसा मुकदमा देखा जिस में बम्बई उच्चन्यायालय ने कुछ पर्यवेक्षण किये थे, जिस में कहा गया है कि यद्यपि उन्हें इस मुकदमे का निर्णय करने का अधिकार नहीं था, फिर भी कुछ संगत विषय ऐसे थे जिन पर प्रधान संरक्षक ने विचार नहीं किया था और जिन का मुकदमे से सम्बन्ध है। मुकदमा मेरे सामने आया। मैं ने उसे परीक्षा के लिये विधि मंत्रालय भेज दिया। मैं ने अन्तिम निर्णय नहीं लिया है किन्तु विधि मंत्रालय उच्चन्यायालय के पर्यवेक्षण से काफी सहमत है। ऐसे विषयों में मैं उस शक्ति का उपयोग करने का विचार कर रहा हूं, क्योंकि जहां कहीं भी गलती होती हैं उस को सुधारना चाहिये चाहे निर्णय क के पक्ष में जाय और चाहे ख के पक्ष में।

निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति संकोष शरणार्थियों के लिये आवश्यक है। यह मेरे लिये भी आवश्यक है क्योंकि मैं उन में से एक हूं जो यह विश्वास रखते हैं कि पुनर्वास की समस्या का वास्तविक हल मुआवज़ा देने पर निर्भर करता है। जैसे जैसे निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति संकोश कम होता जाता है वैसे ही उचित मुआवज़ा देने की सम्भावन भी कम होती जाती है। अतः मैं उस को सुरक्षित रखने का अत्यधिक इच्छुक हूं किन्तु किसी व्यक्ति की न्यायसंगत सम्पत्ति से उस को वंचित करके नहीं। चाहे इस प्रकार का एक मामला हो, दस मामले हों और चाहे सौ मामले हों। जहां कहीं मैं अभिरक्षक या प्रधान अभिरक्षक की त्रुटि पाता हूं, जहां भी हस्तक्षेप का मैं एक भी उदाहरण देखता हूं, किसी प्रतिकूलता के कारण, पसन्द या नापसन्द, अथवा वैयक्तिक कारणों से नहीं किन्तु एक गलती हो गई है—विधिक त्रुटि

या तथ्य त्रुटि—या अन्य अनेक कारणों से मैं धारा १६ और ५२ के अन्तर्गत मैं अपना विवेक प्रयोग करना चाहूंगा, जो भी धारा लागू हो ।

किन्तु मैं निर्भीकतापूर्वक कहता हूं कि इन सभी मामलों में जिन में मैं ने धारा १६ के अनुसार सम्पत्ति लौटाई है, सभी व्यक्ति सहमत नहीं होंगे किन्तु मैं ने विवेकपूर्वक का किया है। मैं ने सत्यवादिता से काम किया है। लोग मुझ से मत विभिन्नता रख सकते हैं किन्तु वे मुझे इस के लिये दोषी नहीं ठहरा सकते कि मैं ने सम्पत्ति नष्ट कर दी है । मैं इस की परीक्षा देने को तैयार हूं । एक व्यक्ति सहमत नहीं हो सकता या कोई दूसरा सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों में सदैव असहमत की भावना रहती है। किन्तु मत-भेद ईमानदारी का होना चाहिये । प्रत्येक को अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिये यह निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति संकोष के सम्बन्ध में है ।

अनेक तर्क बिन्दु उठाये गए हैं, और मैं अपने मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव का आभारी हूं, जिन्हों ने अत्यधिक संख्या में विभिन्न सदस्यों द्वारा उठाये गये विप्रश्नों के उत्तर दिये हैं । दो या तीन विषय ऐसे हैं जिन के सम्बन्ध में मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा ।

प्रथम 'इच्छुक निष्क्रमणार्थी' का प्रश्न है । इस के सम्बन्ध में आपत्ति की गई है कि वे व्यक्ति जो युक्त पदाधिकारियों द्वारा इच्छुक निष्क्रमणार्थी घोषित किये जा चुके हैं उन को क्यों मुक्त कर दिया जाय । मेरे मित्र श्री अचित राम ने जो कुछ कहा है उस के अतिरिक्त नाम्नः स्थितियां बदल गई हैं । मैं सदन का ध्यान निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति विधेयक की धारा २६ की उपधारा संख्या (३) की ओर आकर्षित करना चाहूंगा । उस में कहा गया है कि कोई व्यक्ति सदैव इच्छुक निष्क्रमणार्थी नहीं रह सकता जब कि एक बार वह इच्छुक निष्क्रमणार्थी घोषित किया जा चुका है । वह एक प्रकार की उम्मीदवारी पर रखा गया है । यदि वह चाहे तो आज्ञा जारी होने के छः माह पश्चात् उस पर पुनः विचार करने के लिये अपील प्रस्तुत कर सकता है । इस प्रकार कानून में समय समय पर विवेचना करने के लिये निवेश रखा गया है । अब, वह व्यक्ति कौन है जो 'इच्छुक निष्क्रमणार्थी' हो सकता है ? एक व्यक्ति जिस ने धारा २ (ङ) में दिये हुए किसी भी एक कार्य को किया है, नाम्नः जिसने अपना कुछ धन पाकिस्तान भेजा है, या निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति प्राप्त की है या वहां किन्हीं परिस्थितियोंवश सम्पत्ति छोड़ी है या विनिमय पत्र प्राप्त किया है आदि; इन कार्यों से कुछ वैधिक निष्कर्ष निकाले गए हैं। वह कार्य १८ अक्तूबर, १९४९ से पूर्व किया जाना चाहिये था । १८ अक्तूबर, १९४९ से साढ़े तीन वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, और अनुमान जो लगाया गया, मैं समझता हूं, पूर्ण निराकरणीय निकला क्योंकि मैं बराबर भारत में ही रह रहा हूं । यह एक कारण है जिस से हम ने सामान्य राजक्षमा दे दी है, यानी हम अनुभव करते हैं कि साढ़े तीन वर्ष के काल के बीत जाने के पश्चात्, कोई भी विचार जिन का किन्हीं कार्यों से अनुमान किया जा सकता है जो उस ने किये हैं आज खण्डित जान पड़ते हैं ।

मैं इस अवसर को कुछ भ्रांतधारणा सुधारने के लिये काम में लाऊंगा जो उत्पन्न हो सकती है और जो मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा किये गये कुछ पर्यवेक्षणों में उत्पन्न हो गए थे, कुछ खण्डों में जो निष्क्रमणार्थी की परिभाषा में जोड़े गये हैं । उन्हों ने कहा कि मैं खण्ड २ के उपखण्ड (१) को निर्देश कर रहा हूं निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति संकोष बढ़ाया जायगा । स्थिति यह नहीं है । वर्तमान कानून के अन्तर्गत भी, एक व्यक्ति

[श्री ए० पी० जैन]

जो अपना धन किन्हीं परिस्थितिवश भेजता है या १८ अक्तूबर, १९४९ के बाद छोड़ी हुई या निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति पाकिस्तान में प्राप्त करता है, खण्ड २ (ङ) और (च) के सम्मिलित विवेचन द्वारा निष्क्रमणार्थी हो जाता है। यह स्थिति है जिस की रक्षा करनी है। यह एक प्रकार से या दूसरे प्रकार से प्रभावित नहीं हुई है। अन्तर केवल इतना है कि खण्ड २ (ङ) और (च) के परिणामस्वरूप प्रभाव खण्ड २ (घ) में हस्तांतरित कर दिये गए हैं। अतः स्थिति वही रहती है। न तो इस से संकोष में वृद्धि होती है और न कमी।

श्री ज़ैदी ने अपने भाषण में कहा कि निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति सम्बन्धी प्रश्न न्याय-पालिका द्वारा नहीं निर्णित किये जा रहे हैं और उन्हों ने मेरे द्वारा किये गए पर्यालोचनों की पुष्टि की। मैं ने कहा कि दीवानी अदालतों का क्षेत्राधिकार निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति अधिनियम से साधारणतः बाहर कर दिया गया है। इस का तात्पर्य यह नहीं कि संरक्षक कानून के अनुसार न चल कर विपरीत कार्य करे। व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता कुछ आवश्यक धारायें अभिजरक्षकों के सम्मुख कार्यवाहियों में लागू की जा सकती हैं। वे तरीके तथा सिद्धान्त जिन पर अभि-रक्षकों को कार्य करना चाहिये कानून में दिये हुए हैं। वे एक प्रकार के विशेषाधिकारी हैं जो न्यायिक अधिकारों का उपयोग करते हैं। अतः यह कहना कि निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति सम्बन्धी प्रश्न न्यायायिक तरीके में नहीं निर्णीत किये जा रहे हैं, गलत होगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: धारा १६ के अन्तर्गत दीवानी अदालतों के लिये ये अधिकार सुरक्षित कर दिये गए हैं।

श्री ए० पी० जैन: हां एक दूसरी आपत्ति की गई थी जिस के लिये मैं ने आज प्रातः कहा कि पूर्णरूप से दीवानी अदालतों के क्षेत्राधिकार का प्रश्न संशोधक विधेयक का विषय वस्तु नहीं बनाता।

एक दूसरे माननीय सदस्य—जिन का नाम मैं भूल गया—जिन्हों ने विधेयक के खण्ड ७ को निर्देश किया था जिस में यह स्पष्ट किया गया था कि यदि धारा १६ के अनुसार कोई प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर दिया जाता है तो दीवानी अदालत के द्वारा उस का आगम स्थापित करने से प्रार्थी को कोई रोक नहीं सकेगा। हम ने कोई भी नई चीज़ नहीं की है किन्तु यह वास्तविक स्थिति का स्पष्टीकरण है। मैं मूल धारा १६ की उपधारा (३) को निर्देश करना चाहूंगा जिस के अनुसार सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो एक व्यक्ति दूसरे से प्राप्त करने का अधिकारी है, जिन की सम्पत्ति की रक्षा की जा रही है उन का निर्णय ऐसे पूर्ववत्करण अधिकारों के प्रतिकूल नहीं होगा यदि कोई है तो। अब इस अनुबन्ध का प्रभाव यह है कि यदि सम्पत्ति किसी गलत व्यक्ति को मिल गई है तो सही व्यक्ति दीवानी अदालत में सम्पत्ति के लिये दावा कर सकता है, किन्तु यदि प्रार्थना पत्र गलती से अस्वीकृत हो गया था, उस का कोई उपाय नहीं है। हम ने केवल स्थिति का अभिनवीकरण ही किया है किन्तु पूर्ण रूप से अधिनियम की जो योजना थी वह ज्यों की त्यों रखी गई है। कुछ विषयों के सम्बन्ध में मेरे ये निरीक्षण हैं जो उठाये जा चुके हैं और पूर्ण रूप से मैं अनुभव करता हूं कि उस में कुछ मत विभिन्नताएं हो सकती हैं—विधेयक का मैं समझता हूं, अच्छा स्वागत किया जायगा। मुझे आशा है कि सदन प्रस्ताव को पारित करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति अधिनियम, १९५० जैसा कि प्रवर समिति ने प्रतिवेदित किया था इस के प्रशासन में

संशोधन के लिये, उस पर विचार किया जाना चाहिये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २—(धारा २ का संशोधन आदि)

श्री वी० जी० देशपाण्डे : मैं प्रस्तावित करूंगा :

(१) पृष्ठ ७ पर पंक्ति १३ में १८ अक्तूबर, १९४९ के स्थान पर १५ अगस्त, १९४७ होनी चाहिये ।

(२) पृष्ठ ७ पर, पंक्ति १७ में १८ अक्तूबर, १९४९ के स्थान पर १५ अक्तूबर १९४७ होनी चाहिये ।

(३) पृष्ठ ७ पर पंक्ति २३ के पश्चात् बढ़ाइये :

"(६) जिस की पत्नी और बच्चे पाकिस्तान में लगातार दो वर्ष से अधिक समय से रह रहे हैं और उस के आचरण एवं अन्य लिखित प्रमाणों से उस का पाकिस्तान में बसना सिद्ध हो जाता है ।"

(४) पृष्ठ ८ पर पंक्ति ५ निकाल दी जाय ।

इस संशोधन का तात्पर्य यह है कि निष्क्रमणार्थी की नई परिभाषा में उन्हों ने इच्छुक निष्क्रमणार्थी को हटा दिया है ।

अब १५ अगस्त, १९४७ के बजाय १८ अक्तूबर, १९४९ कर दी है । मेरा कहना है कि वे व्यक्ति जिन्हों ने १५ अगस्त, १९४७ से १८ अक्तूबर १९४९ के अन्तर्गत अपनी आस्तियां पाकिस्तान भेज दी हैं वे इस से बच जाते हैं । कोई एक व्यक्ति है जो अपनी आय का कुछ भाग पाकिस्तान भेज देत है ताकि यदि आवश्यकता पड़े तो वह जा सके । ऐसा व्यक्ति इच्छक निष्क्रमणार्थी नहीं घोषित किया जाना चाहिये । कुछ व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जो अपनी आय का अधिक भाग पाकिस्तान भेज देते हैं और कुछ अपने पास रख लेते हैं और इस विधेयक के पारित होने की बाट जोहते हैं । श्री ज़ैदी ने कहा कि मुझे उन लोगों से जो पाकिस्तान जाने वाले थे उन से मुझे कोई सहानुभूति नहीं है, मैं समझता हूं कि वह विधेयक का विरोध कर रहे थे । यों मुझे किसी से विरोध या घृणा नहीं है किन्तु मैं केवल उन लोगों के पक्ष में नहीं हूं जो अब भी पाकिस्तान जाने का विचार कर रहे हैं । आखिर मैं भी मनुष्य हूं या मैं उस अध्यात्मिक उच्चता को नहीं पहुंच सका हूं कि मैं मुसलमानों को दोनों ओर से लाभ उठाने की प्रशंसा करूं । पाकिस्तान इस विषय में बड़ा कठोर है और वह हमारी सरकार को कोई भी सम्पत्ति न लेने देगा किन्तु हमारी सरकार बड़ी उदार एवं आध्यात्मिक उच्चता को पहुंची हुई है । मुसलमानों को वहां हिन्दुओं की सम्पत्ति मिले—कुछ धन राशि में ही और फिर यहां की सम्पत्ति का उपयोग भी करें । मैं ऐसा पसन्द नहीं करता ।

मैं इस में एक परिवर्तन करना चाहता हूं और वह यह कि 'परिवार के सदस्य' के बजाय 'केवल उसी पर पूर्ण रूपेण आश्रित' कर दिया जाय क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो जो व्यक्ति उसी पर आश्रित है और भारत में रहता है, उस को हानि हो सकती है और अन्य परिवार के सदस्य जो पाकिस्तान में रहते हैं, मजे कर सकते हैं ।

मेरे विचार से वे व्यक्ति जिन के विषय में यह निश्चित रूप से ज्ञात हो गया है कि वे पाकिस्तान चले ही जायेंगे उन को इस सरकार की ओर से ऐसा उदारतापूर्ण व्यवहार नहीं मिलना चाहिये । केवल सन्देह पर ही किसी व्यक्ति को इच्छुक निष्क्रमणार्थी घोषित न कर दिया जाय वरन् न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा या संरक्षक द्वारा जांच करने के पश्चात् ही यदि उस का विचार पाकिस्तान जाने का जान पड़े तभी वह निष्क्रमणार्थी घोषित किया जाना चाहिये । मेरा तात्पर्य यह नहीं कि यदि मुसलमान लोग पाकिस्तान में हिन्दुओं

[श्री वी० जी० देशपाण्डे]

को सताते हैं तो यहां भी स्वामिभक्त एवं निरपराध मुसलमानों को सताया जाय। किन्तु इच्छुक निष्क्रमणार्थी का प्रश्न बड़ा आवश्यक है और उस का तय होना भी जरूरी है। अभी कल ही पाकिस्तान से आये हुए लोगों को बसाने के लिये करोड़ों रुपया निश्चित किया गया है। पाकिस्तान के घाव अभी भी हरे हैं और जो स्थिति की ओर से अंधे बने हुए हैं वे जो चाहें कर सकते हैं। मैं अभी भी यह मानने को तैयार नहीं कि अब न तो कोई मुसलमान भारत से पाकिस्तान जाना चाहता है और न कोई हिन्दू वहां से वापस आना चाहता है। यदि किसी मुसलमान का विचार पाकिस्तान जाने को है और जो सभी प्रकार से सिद्ध हो चुका है तो मैं समझता हूं कि खण्ड (ङ) अभी समाप्त नहीं किया जाना चाहिये। मैं जो चाहता हूं वह यह है कि इच्छुक निष्क्रमणार्थियों की श्रेणी अभी रहनी चाहिये क्योंकि अभी वह समस्या हल नहीं हुई है। मैं कोई बदले की भावना से ऐसा नहीं कह रहा हूं वरन् वास्तविक स्थिति के आधार पर कह रहा हूं। यही मुझे खण्ड २ में संशोधन के सम्बन्ध में कहना था।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव जो श्री वी० जी० देशपाण्डे द्वारा रखे गये थे स्वीकृत किये गए।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मुझे बहुत कुछ बोलना था लेकिन हमारे व्हिप ने क्लोजर (रोक) लगा दिया है। इसलिये नहीं बोलना चाहता। मेरा कहना यह है कि हिन्दुस्तान में रहने वाले किसी पर भी अन्याय करने के खिलाफ हैं। चाहे वह मुसलमान हो या ईसाई हो। लेकिन आज इन्टेंडिंग इवैक्वी (इच्छुक निष्क्रमणार्थी) की धारा को समाप्त करने से यह नतीजा हो रहा है कि उधर से आने वालों को प्रापर्टी (सम्पत्ति) दे दी जाती है और गरीब शरणार्थियों को नुक्सान होता है। मेरे पास काश्मीर से एक पत्र आया है। हमारे काश्मीर के भाई सब लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह से रहते हैं ऐसे कहते हैं। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जम्मू में शिड्यूल्ड कास्ट (अनुसूचित जाति) वालों को उन लोगों की जमीन मिली जो कि पाकिस्तान चले गये थे, लेकिन इस कानून के अनुसार जब वह वापस आयेंगे तो उन की वह जमीन जो कि शिड्यूल्ड कास्ट (अनुसूचित जाति) वालों को मिली थी वह चली जायगी। तो मैं अपने मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि जो लोग आये हैं उन को जो जमीन मिलेगी वह परमानेंट (स्थायी) तौर से मिलेगी या जब मुसलमान आ जायेंगे तब उन से ले ली जायेगी। मेरे पास इसी तरह की चिट्ठी आई है। उस में लिखा है कि जम्मू और काश्मीर में जो जमीन उन को मिली थी वह जब मुसलमान वापस आते हैं उन को दे दी जाती है। शरणार्थियों में बहुत से शिड्यूल्ड कास्ट (अनुसूचित जाति) के भी हैं। इस के अलावा आप शरणार्थियों के लिये तो इतना करते हैं लेकिन जो हजारों वर्षों से आप के यहां अछूत लोग हैं उन के लिये क्यों नहीं कुछ करते। इस वास्ते इस बिल (विधेयक) पर श्री देशपांडे जी ने भी कुछ कहा है। मेरे पास भी चिट्ठी आई है। इस के लिये कोई क्लेरिफिकेशन (स्पष्टीकरण) मिनिस्टर साहब की तरफ से होना चाहिये कि जो जमीन जिस को मिल जाय वह हमेशा के लिये उस को मिल जाय। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो मुसलमान आयेंगे वह उन की जमीन ले लेंगे। तो जो अमेंडमेंट (संशोधन) देशपांडे जी ने दिया है उस को मंजूर करना चाहिये। और कई सवाल हैं लेकिन इस वक्त मैं हाउस का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। मैं सिर्फ मिनिस्टर (मंत्री) महोदय से यह

कहना चाहता हूं कि वह यह बतलावें कि शिड्यूल्ड कास्ट (अनुसूचित जाति) की क्या परिस्थिति होगी ।

अब और भी दूसरे लोगों को, करीब करीब हजारों लोगों को उठाने के लिये कस्टोडियन (अभिरक्षक) की तरफ़ से नोटिस चला गया और नोटिस में लिखा है कि तुम अभी चले जाओ । अभी कानून में ऐसा लिख दिया है तो उस में भी करीब करीब १/६ शिड्यूल्ड कास्ट (अनुसूचित जाति) के लोग हैं । तो यह जो रूलिंग (अधिनिर्णय) है, कानून है, उस में कुछ फ़र्म (दृढ़ता) होना चाहिये जिस से सारे लोगों के लिये भी कुछ हो । हम हिन्दू लोग संगठित नहीं हैं । मुसलमान चाहे मुस्लिम लीग के हों, चाहे कांग्रेस वाले हों, अन्दर से. एक भाई भाई, बन कर काम करते हैं । हमारे अन्दर क्या है ? यह अछत है, बनिया है, ठाकुर है, यह है, वह है, इस तरह की हालत है । यह होना चाहिये कि जो सच्ची बात है वह सच्ची बताई जाये और जो झूठी बात है उस को झूठी बताना चाहिये । इन लोगों के साथ तो हमारा हर वक्त झगड़ा रहता है, क्योंकि यह लोग भी कोई हमारे दोस्त हैं, ऐसी बात नहीं है । जहां तक अछूतों का अच्छा होता है कि हम किसी पार्टी के साथ दोस्ती करते हैं, जहां तक बुरा होता है, हम झगड़ा कर लेते हैं ।

तो मेरा कहना यह है कि जहां तक रिफ्यूजी (शरणार्थी) लोगों का सवाल है इस के अन्दर भी अछूतपन का झगड़ा नहीं होना चाहिये उन के साथ अन्याय नहीं होना चाहिये । जो सहूलियतें उन को मिल रही हैं वह मिलनी चाहियें । रिफ्यूजी के लिये जितना देना हो दे दो, लेकिन यह न करो कि इस में भी अछूत-पन हो ।

सरदार हुक्म सिंह : चिट्ठी तो दे दीजिये ।

श्री पी० एन० राजभोज : वह तो ज़रूर दे दूंगा । मैं जम्मू जा रहा हूं । वहां इनक्वायरी (जांच) कर के आऊंगा तो सब बताऊंगा । न इस पार्टी में हूं न उस में हूं । हमारी तो इंडिपेंडेंट (स्वतन्त्र) आवाज है, वही रखना चाहता हूं ।

इतना ही बोल कर मुझे स्पीकर महोदय ने जो बोलने का चान्स (अवसर) दिया है और बात करने का मौका दिया है उस के लिये मैं धन्यवाद देता हूं ।

श्री मूलचन्द दुबे (ज़िला फर्रूखाबाद-उत्तर) : मेरे विचार से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई सम्पत्ति और उस के परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त की गई सम्पत्ति में अन्तर है । पहली में यह केवल क्रय या विनिमय के द्वारा हो सकती है और दूसरी दशा में किसी भी प्रकार से हो सकता है । मैं माननीय मंत्री द्वारा इस का स्पष्टीकरण चाहूंगा । यदि वह चाहें तो यह संशोधन स्वीकार कर सकते हैं ।

श्री ए० पी० जैन : संशोधन संख्या ३ और ४ के सम्बन्ध में, विचार यह है कि वर्तमान कानून के अनुसार जो वे इच्छुक निष्क्रमणार्थी जिन के साथ 'इच्छुक निष्क्रमणार्थी' की भांति व्यवहार किया गया था । मेरा तात्पर्य है कि वे व्यक्ति जो धारा १९ के अन्तर्गत नहीं आते थे उन के साथ निष्क्रमणार्थियों जैसा व्यवहार किया जाना चाहिये । मुझे खेद है कि मैं वह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता । यदि एक व्यक्ति अपनी सम्पत्ति बेचने के पश्चात् पाकिस्तान जाता है तो उस के लिये धारा ४० है और कोई भी सौदा जो वह क्रय-विक्रय आदि के रूप में करता है, धारा १९ के अनुसार उस के न्यायौचित्य पर प्रश्न किया जा सकता है ।

आगे संशोधन संख्या ५ है, यद्यपि वह अभी स्वीकृत नहीं हुई है जो इस प्रकार है— "उस पर पूर्णतया आश्रित ।" मुझे सन्देह है कि माननीय सदस्य ने 'परिवार के सदस्य'

[श्री ए० पी० जैन]

की परिभाषा जो मूल अधिनियम में दी हुई है, अर्थात् 'परिवार के सदस्य का अर्थ है किसी भी व्यक्ति के परिवार का कोई भी सदस्य जो ऐसे व्यक्ति की आय पर पूर्णतया आश्रित है'। अतः वह अनावश्यक है।

तब संशोधन संख्या ६ के सम्बन्ध में, वह खण्ड को और अधिक कठोर बना देना चाहते हैं जैसा कि वर्तमान में है क्योंकि केवल वे व्यक्ति जो खण्ड २ (ङ) में दिये हुए किसी कार्य को करते हैं उदाहरण के लिये धन भेजते हैं या सम्पत्ति प्राप्त करते हैं या इन में से कोई अन्य कार्य करते हैं, निष्क्रमणार्थी हो जाते हैं। केवल प्रवास का विचार जो अन्य कार्यों से निर्देशित किया जा सकता है किसी व्यक्ति को निष्क्रमणार्थी नहीं बना देता यद्यपि वह चाहे १८ अक्तूबर, १९४९ के पश्चात् हुआ हो। अतः यह संशोधन मुझे स्वीकार नहीं है।

मैं सभी संशोधनों का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ७, पंक्ति १३ में "१८ अक्तूबर, १९४९" के स्थान पर "१५ अगस्त, १९४७" कर दिया जाय।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि

पृष्ठ ७, भंक्ति १७ पर "१८ अक्तूबर, १९४९" के बजाय "१५ अक्तूबर, १९४७" कर दी जाय।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ७ में पंक्ति २३ के पश्चात् जोड़िये :

"(६) जिस की पत्नी और बच्चे दो वर्ष से अधिक समय से पाकिस्तान में रह रहे हैं और जिन के सम्बन्ध में स्थायी रूप से पाकिस्तान में बसना उसके व्यवहार तथा अन्य लिखित प्रमाण से सिद्ध हो चुका है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ८ में पंक्ति ५ हटा दीजिये।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खण्ड २ विधेयक का एक भाग माना जाता है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ा गया।

खण्ड ३ से ४ विधेयक में जोड़े गये।

खण्ड ५.—(धारा १२ का संशोधन)

श्री वी० जी० देशपाण्डे : वास्तव में प्रवर समिति द्वारा मूल अधिनियम में धारा १२ संशोधित की गई थी।

७ म० प०

ऐसे पट्टे या आवंटन जो १४ अगस्त से पहले प्राप्त किये गए थे उन में कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता था और अत्यय के मामलों में निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति के अभिरक्षक को भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था और मूल विधेयक में यह सुझाया गया था कि '१४ अगस्त, १९४७ के बाद दर्ज की हुई' के स्थान पर उन्हों ने रखा था, 'या १४ अगस्त, १९४७ के पश्चात्'। इस के पश्चात् अभिरक्षक के अधिकार सीमित कर दिये जाने की ओर संकेत किया जिस से वे उन का दुरुपयोग न कर सकें। इस में भी बहुत अवांछित चीजें रह गई थीं और शक्ति का दुरुपयोग किये जाने की सम्भावना थी। अतः यह संशोधन सुझाया गया :

पृष्ठ ८ पर, पंक्ति ४२ से ५० तक आदिष्ट किये जाने वाले संशोधन का अर्थ है कि १४ अगस्त, १९४७ से पूर्व स्वीकृत किसी भी पट्टे के मामले में जिस को पट्टा दिया गया है उस समय

राज्य में लागू होने वाले नियम के अनुसार उस को उस अधिकार से वंचित किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव रखा गया।

श्री ए० पी० जैन : इस खण्ड पर भली प्रकार विचार विमर्श हुआ था। वहां दो दृष्टिकोण थे; एक यह कि संरक्षक को, उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में जो निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति पर १४ अगस्त, १९४७ से पहले से रह रहे हैं, पूरे अधिकार दिये जाने चाहियें। दूसरा मत यह था "ये वे व्यक्ति हैं जिन का सामान्य समय से इस पर अधिकार रहा है," इन के साथ असाधारण अधिकार नहीं लगने देना चाहिये। अतः एक प्रकार का समझौता हुआ था जिस में केवल उन झगड़े वाले मामलों का ही निबटारा अभिरक्षक द्वारा अपनी सांक्षपिक शक्ति द्वारा किया जा सकता था जिन में १५ अगस्त, १९४७ से पहले वाले किरायेदारों द्वारा किराये सम्बन्धी अधिकार पुनः किराये पर उठा दिये गए थे या उस सम्पत्ति का किराये की शर्तों से प्र थक प्रयोजन के लिये उपयोग किया गया था। किन्तु अन्य मामलों में अभिरक्षक को न्यायालय जाना ही चाहिये। मैं समझता हूं कि यह एक उचित अनुबन्ध है क्योंकि जो कुछ भी कहा जाय किन्तु सामान्य कानून जैसा है वैसा ही चलना चाहिये, और विशेषकर उन मनुष्यों के सम्बन्ध में जिन का बहुत समय से अधिकार रहा है, चाहे वह अभिरक्षक हो, या कोई जमींदार जिस को अभियोग चलाना है। अतः मुझे खेद है मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

खण्ड ५ और खण्ड ६ विधेयक में जोड़ दिये गए थे।

खण्ड ७.--(धारा १६ आदि का संशोधन)

श्री वी० जी० देशपाण्डे : विधेयक में जो उपबन्ध दिया गया है उस के अनुसार केन्द्रीय सरकार या अन्य पदाधिकारी जिस को यह अधिकार प्राप्त हो, किसी भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर प्रमाण पत्र स्वीकृत कर सकता है यदि वह सन्तुष्ट हो जाता है कि प्रार्थी उस का उत्तराधिकारी है, यदि यह अधिनियम लागू न किया गया होता तो उस व्यक्ति की सम्पत्ति प्रार्थी को पुनः वापस दे दी जायगी।

इन शक्तियों को देने से पूर्व सदन को इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर लेना चाहिये। मैं यह मानता हूं कि माननीय मंत्री तथा उन के सहकारियों ने जो भी किया है अच्छे मन्तव्य से किया है। देश का हित, शरणार्थियों का हित तथा न्याय को भी ध्यान में रखना चाहिये। यदि मंत्रियों को इतने अधिकार दे दिये जाते हैं तो मैं कहूंगा कि तथ्य में अराजकता फैल रही है। जब तक श्री जन इस पद पर आसीन हैं तब तक कार्य अत्यन्त ईमानदारी से हो रहा है किन्तु वे सदैव तो इस स्थान पर रह नहीं सकते।

सरदार हुक्म सिंह : वह सारी चीज़ को समाप्त कर देंगे।

श्री वी० जी० दशपाण्डे : यदि वह ऐसा करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। मैं चाहता हूं कि यदि ये अधिकार देने ही हैं तो किसी सरकार या उस के द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को न दे कर उच्च न्यायालय के किसी रिटायर्ड जज को देना चाहिये जो निष्क्रमणार्थी जज के नाम से पुकारा जाय। यदि कोई मंत्री यह कार्य करता है तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कर सकता है। यद्यपि राजनीतिक दृष्टिकोण सदैव खराब नहीं होता फिर भी मैं उसे उचित नहीं समझता। यदि किसी मन्त्री के अधीन कार्य करने वाले एक कार्यपालिका पदाधिकारी को भी यह कार्य सौंप दिया जाय तो भी बुरा नहीं किन्तु मन्त्री चाहे कितनी ही सद्भावना से कार्य

[श्री वी० जी देशपाण्डे]

करे तो भी उस को यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये क्योंकि वह कुछ नहीं तो अपने लिये वोट ही प्राप्त कर सकता है। या अन्य किसी रूप में उस से अनुचित लाभ उठा सकता है। इस से मेरा तात्पर्य यह नहीं कि वर्तमान मंत्री लोग ऐसा करते हैं। अतः मेरा संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिये जिस से दल बन्दी का प्रश्न न उपस्थित हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन रखा गया।

पंडित के० सी० शर्मा (मेरठ जिला--दक्षिण) : यह "निष्क्रमणार्थी जज" का पद एक हास्यास्पद विचार जान पड़ता है। एक जज का मूल्य उस की ईमानदारी तथा उचित रूप में कार्य करने से आंकना चाहिये। यह विवादग्रस्तता की उच्चता हो जायगी यदि जज के पूर्व निष्क्रमणार्थी जोड़ दिया जायगा।

सरदार हुक्म सिंह : मेरे माननीय मित्र को पता नहीं "निष्क्रमणार्थी जज" का पद बुरा क्यों लगा? वह चूंकि निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति से सम्बन्धित मामलों का निर्णय करेगा अतः यह नाम पूर्ण उपयुक्त रहेगा और फिर हम किसी को पुकारें चाहे जिस उपाधि से किन्तु यह तो उस का कार्य है जो महत्व रखता है, पद नहीं। अतः मेरी समझ में नहीं आया कि इसी को अपवाद क्यों बनाया जाय?

माननीय मंत्री ने बताया कि जहां कहीं उन्होंने उचित समझा प्रमाणपत्र दे दिये। मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं। वह सर्वेसर्वा हैं अतः जो चाहें कर सकते हैं। किन्तु हम आभारी होंगे यदि वह कृपया धारा १६ तथा धारा ५२ के अनुसार प्रमाण पत्र देने वाले मामलों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे। क्या किसी उच्च न्यायालय या न्यायिक पदाधिकारियों ने अभिरक्षक द्वारा प्रयोग किये गए अधिकारों के सम्बन्ध में आपत्ति की थी और यदि ऐसा है तो क्या विधि-मंत्री का परामर्श लिया गया था। क्या भविष्य में भी वह अपना निर्णय उन मामलों में देते रहेंगे इन धाराओं के अनुसार जिन का निर्णय केवल उच्च न्यायालय अथवा उन के मंत्रालय द्वारा हो चुका है। या अन्य भी कोई कारण होंगे, इस का आश्वासन वह दे सकेंगे? सन्तुष्ट होना पूर्णतया ठीक है किन्तु वैसा अनुभव करने के लिये कुछ कारण भी तो होने चाहियें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : धारा १६ तथा ५२ कार्यपालिका को विशिष्ट अधिकार देते हैं। किन्तु वर्तमान निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति के सम्बन्ध में इन का होना अत्यन्त आवश्यक है। प्रारम्भ में तो यह था कि जो भी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के परिवार के सदस्य भारत में ही, पाकिस्तान में नहीं, किसी अन्य राज्य को चले जाते थे, तो भी उन की सम्पत्ति निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति समझी जाती थी। क्या उन के साथ यह न्याय था?

एक अन्य मामले में कुछ सम्पत्ति अनिष्क्रमणार्थी समझी जाती थी जैसे कम्पनी में हिस्से आदि। किन्तु अपने कानून के अनुसार प्रधान अभिरक्षक का मत था कि ये हिस्से निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति के अन्तर्गत् आते हैं जब कि करार तथा विज्ञप्ति के अनुसार यह निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति नहीं थी। फांसी के मामलों में भी कई बार व्यक्ति छोड़ दिये जाते हैं यदि वह निर्दोष सिद्ध हो जाता है तो। अतः ये अधिकार न्याय करने के लिये दिये जाते हैं।

सरदार हुक्म सिंह : दया याचिका।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : बिलकुल ठीक। मैं दैवी अधिकार के पक्ष में नहीं हूं

किन्तु जब सारा विधान ही ऐसा हो जिस को पारमार्थिक सिद्धान्तों पर न्याय से प्रमाणित न किया जा सके, ऐसी अवस्था में यह अधिकार पूर्णतः आवश्यक है। धारा ५२ बदल चुकी है और उस का अभिनवीकरण हो चुका है। यह व्यक्तिगत सम्पत्ति से नहीं वरन् वर्ग-सम्पत्ति से सम्बन्ध रखती है। धारा १६ के अनुसार वास्तव में न्याय होता है। यदि इस में कोई गलत चीज़ की जाती है तो मामला विधान-मंडल के समक्ष लाया जा सकता है। मैं "निष्क्रमणार्थी जज" के बजाय "शरणार्थी जज" अधिक सरल समझता हूं।

श्री वी० जी० देशपाण्डे : मेरा मतलब है निष्क्रमणार्थी-सम्पत्ति जज।

डा० एस० पी० मुकर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : किराया नियन्त्रक की भांति।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वह व्यक्ति उच्च न्यायालय के जजों में से ही चुना जाना चाहिये।

डा० एस० पी० मुकर्जी : निष्क्रमणार्थियों का अधिकारी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : उस का नाम निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति जज ही रहने देना चाहिये। उस के कार्य क्या होंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस धारा के अनुसार केन्द्रीय सरकार को जो अधिकार प्राप्त हैं, वह यह चाहते हैं कि यह उच्च न्यायालय के जज को दे दिये जायं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस जज की नियुक्ति मान लीजिये सरकार द्वारा हो गई। इस के कार्य दो प्रकार के होंगे—प्रथम जिन में अधिकार दीवानी अदालतों के लिये सुरक्षित हो चुके हैं। मान लीजिये कि सरकार ने प्रमाण पत्र दे दिया किन्तु प्रधान अभिरक्षक ने आगम स्वीकार न किया। वह दीवानी अदालत जा सकता है। उस में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। और फिर आगम का प्रश्न तय करना रहता है जिस को प्रधान-अभिरक्षक को पुनः देखना पड़ता है। अतः सम्पूर्ण धारा में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यदि केवल यह संशोधन ही स्वीकार किया गया तो उस का कोई अर्थ न होगा।

श्री ए० पी० जैन : मैं संशोधन का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ संख्या ९ पंक्तियां ४७ और ४८ पर "केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा उस की ओर से अधिकृत किसी व्यक्ति" के स्थान पर "कोई निष्क्रमणार्थी जज जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के वर्तमान या रिटायर्ड जजों में से नियुक्त किया जाने वाला हो" होना चाहिये।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खण्ड ७ विधेयक का भाग है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ७ विधेयक में जोड़ा गया।

खण्ड ८—(नई धारा आदि का स्थानापन्न करना)

श्री ए० पी० जैन : मैं प्रस्ताव रखता हूं :

(१) पृष्ठ १०, पंक्ति ३६ में "जहां" के पूर्व "(१)" प्रविष्ट कर दीजिये; और

(२) पृष्ठ ११ पर पंक्ति ४ के बाद प्रविष्ट कीजिये—

"(२) कोई व्यक्ति प्रादेशिक अधिनियम या राज्य अधिनियम के अनुसार किसी सम्पत्ति पर कब्जा करने का कोई अधिकार प्राप्त करता है या, प्राप्त किया है चाहे किसी अनुदान पट्टे या अभिरक्षक द्वारा आवंटन के

[श्री ए० पी० जैन]

रूप में या अन्य किसी रूप में, ऐसे अधिकार प्राप्त करने का कोई भी प्रभाव अभिरक्षक को दिये गए अधिकारों या शक्तियों पर न तो पड़ेगा और न समझा ही जायगा, जो अभिरक्षक को इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में तथा इस अधिनियम के अनुसार प्रदान किये गए हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि : "खण्ड ८, जैसा संशोधित हुआ, विधेयक के भाग हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ८, जैसा संशोधित हुआ, विधेयक में जोड़ दिया गया था।

खण्ड ९ विधेयक में जोड़ दिया गया था।

खण्ड १०—(धारा २४ का संशोधन)

कर्नल जैदी : मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि इन पदाधिकारियों द्वारा दिये गए निर्णयों की अपील दीवानी अदालतों में नहीं हो सकती। अतः मैं माननीय मंत्री से इस के लिये क्षमा चाहूंगा। मैं चाहता था कि दीवानी अदालतों को यह अधिकार मिलने चाहियें किन्तु माननीय मंत्री ने बताया कि ऐसा करना अधिनियम को स्थापित करने के बिलकुल विपरीत होगा। मैं यह मानने को तैयार नहीं क्योंकि आयकर अधिनियम म जहां विभागीय पदाधिकारियों पर ही सब कुछ निर्भर करता है, वहां भी उच्च न्यायालय को कुछ अधिकार रहता है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह ह कि : "कि खण्ड १० विधेयक का भाग हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १० विधेयक में जोड़ा गया।

खण्ड ११ और १२ विधेयक म जोड़े गए।

खण्ड १३.—(धारा ४० और ४१ के बदले नई धाराओं को आदिष्ट करना)

श्री मुहीउद्दीन (हैदराबाद नगर) : मैं प्रस्ताव रखता हूं :

पृष्ठ १२ पर पंक्ति ९ से १३ तक, आदिष्ट कीजिये—

"(१) सम्पत्ति का मूल्य या हस्तांतरित की गई सम्पत्तियों का समष्टि मूल्य तीन हजार रुपयों से कम है :

जब तक हस्तांतरण करने वाला तीन हजार रुपये की या उस से अधिक मूल्य की अपनी सम्पत्ति हस्तांतरण की तिथि से एक वर्ष के काल के अन्दर नहीं हस्तांतरित करता;"

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती अपने स्थान पर नहीं हैं, ये संशोधन प्रस्तावित नहीं हुए।

कर्नल जैदी : मैं संशोधन १४ का प्रस्ताव नहीं रख रहा हूं।

श्री ए० पी० जैन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ १२, पंक्ति ३८ और ३९ में "अभिरक्षक ने पुष्टिकरण के लिये किसी प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार कर दिया" के स्थान पर "पुष्टीकरण के लिये कोई प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर दिया गया है" रखा जाय।

(२) पृष्ठ १२, पंक्ति २६, "अभिरक्षक कर सकता है" के पश्चात् निमिष्ट कीजिये :

"और जब प्रधान अभिरक्षक द्वारा पुष्टीकरण का आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया हो, तो प्रधान अभिरक्षक जैसा निदेश दे।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री मुहीउद्दीन और श्री ए० पी० जैन वाले संशोधन सदन में प्रस्तुत किये गए

श्री मुहीउद्दीन: प्रवर समिति ने मूल विधेयक में सम्पत्ति का अधिकतम एक वर्ष में जो वह हस्तांतरित कर सकता है ३००० रु० रखी थी, जब कि यदि कोई व्यक्ति केवल ५०० रु० ही एक वर्ष में हस्तांतरित करता है तो इस मूल खण्ड के अनुसार अपनी रियायत खो बैठता है। मेरा उस विषय को स्पष्ट करता है जिस से कि उस का एक वर्ष का ३०० रु० का हस्तांतरण बना रहता है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री मेरा यह संशोधन स्वीकार करेंगे।

श्री ए० पी० जैन: मैं संशोधन के सार को स्वीकार करता हूं, किन्तु मैं ने इस का पुनर्रूपण किया है। मैं इस को भिन्न रूप में रखूंगा। मैं श्री मुहीउद्दीन के संशोधन में स्थानापन्न कर के निम्न प्रस्ताव रखता हूं:

धारा ४० की उप-धारा (२) के खण्ड (ग) जैसी कि खण्ड १३ द्वारा आदिष्ट की गई है--

(क) उप-खण्ड (१) और तत्सम्बन्धित परन्तुक के स्थान पर निम्न उप-खण्ड आदिष्ट किया जायगा, यथा

"(१) सम्पत्ति या सम्पत्तियों की कीमत जो किसी एक वर्ष में हस्तांतरित की जाय तीन हजार रुपये से कम होनी चाहिये; या"

(ख) उप-खण्ड (२) में "सम्पत्ति की कीमत तीन हजार रुपये से अधिक किन्तु" शब्द निकाल दिये जायेंगे।"

कर्नल जैदी: प्रवर समिति ने गरीब लोगों की दशा को ध्यान में रखते हुए मूल प्रस्ताव में कुछ संशोधन कर के यह राशि घटा कर ३००० रु० कर दी थी। यह राशि सम्पत्ति के मूल्य को देखते हुए बहुत कम है। क्या माननीय मंत्री महोदय मूल प्रस्तावना में रखी गई राशि पर कुछ विचार करेंगे।

श्री वी० जी० देशपांडे: मैं इस में किसी प्रकार का भेद नहीं पसन्द करता कि एक गरीब आदमी ५००० रु० भेजे और अमीर १०००० रु०। यह प्रस्ताव कि यह रकम ३००० रु० से बढ़ाकर ५००० रु० कर दी जाय न्यायसंगत नहीं जान पड़ती। बल्कि मैं तो कहूंगा कि यदि सम्भव हो सके तो यह सीमा और भी कुछ घटा दी जाय।

कर्नल जैदी: मेरा तात्पर्य यह है कि कुछ विशेष अवसरों या आवश्यकताओं जैसे लड़की का विवाह, व्यापार, मुकदमेबाज़ी या अन्य ऐसे ही किसी उचित कार्य के। यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति बेच कर रुपया पाकिस्तान भेजना चाहता है, तो वह सीमा ५००० रु० तक स्वीकृत की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

धारा ४० की उप-धारा (२) के खण्ड (ग) में जैसी कि खण्ड १३ द्वारा आदिष्ट की गई है--

(क) उप-खण्ड (१) और तत्सम्बन्धित परन्तुक के स्थान पर निम्न उपखण्ड आदिष्ट किया जायगा:

"(१) सम्पत्ति या सम्पत्तियों की कीमत जो किसी एक वर्ष में हस्तांतरित की जाय तीन हजार रुपये से कम होनी चाहिये; या"

(ख) उपखण्ड (२) में "सम्पत्ति की कीमत तीन हजार रुपये से अधिक किन्तु" शब्द निकाल दिये जायेंगे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: फिर दो सरकारी संशोधन हैं जिन के विरोध में कोई नहीं बोला है। अतः माननीय मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण

[उपाध्यक्ष महोदय]

की भी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ १२, पंक्ति ३८ और ३९ में "अभिरक्षक ने पुष्टीकरण के लिये किसी प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार कर दिया" के स्थान पर "पुष्टीकरण के लिये कोई प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर दिया गया है" रखा जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

(२) पृष्ठ १२, पंक्ति ४६, "अभिरक्षक कर सकता है" के पश्चात् निम्निष्ट कीजिये :

"और जब प्रधान अभिरक्षक द्वारा पुष्टीकरण का आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया हो तो प्रधान अभिरक्षक जैसा निदेश दे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : माननीय मंत्री ने खण्ड १३ को काफी उदार बना दिया है और अब हस्तांतरण को पुराना बताने वाले उपबन्ध न रहने से लोगों को लाभ पहुंचेगा और उन के साथ न्याय होगा। मैं माननीय मंत्री की इस के लिये प्रशंसा करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि : "खण्ड १३ यथासंशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १३ यथासंशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड १४ से १७ तक विधेयक के अंग बना लिये गए।

खण्ड १ विधेयक में जोड़ दिया गया।

नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गए।

श्री ए० पी० जैन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को यथासंशोधित रूप में पारित किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड (१) में १९५२ के स्थान पर १९५३ रखा जायगा और ऐसे आनुषंगिक संशोधन संसद् सचिवालय द्वारा कर लिये जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि : "विधेयक को यथासंशोधित रूप में पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इस के पश्चात सदन की बैठक सोमवार २३ फरवरी, १९५३ के दो बजे तक के लिये स्थगित हो गई।